पंचम माला, खंड 47, अंक 26, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1974/28 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVII, No. 26, Thursday, Dec. 19, 1974/Agrahayana 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Two Rupees

मूल्य : दो रुपये

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/Contents

अंक 26, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1974/28 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 26, Thursday, December 19, 1974/Agrahayana 28, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
535 महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय	Expenditure on National Highways in Maharashtra	1
536 भारत में इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने में जापान की रुचि	Japanese Interest in Steel Projects in India	4
538 मजूरी कानून के कार्यकरण में दोष	Faults in working of Wage Law .	6
539 संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का स्थान	Place for Hindi in United Nations .	8
542 दूसरे देश पर से उड़ानों के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत	Talks with Pakistan on Over Flights .	11
544 नकली औषधियों के उत्पादन/वितरण/बिक्री के लिए विदेशी फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमें चलाये जाना	Prosecutions of Foreign Firms/person for Manufacture/Distribution/Sale of Spurious Drugs	13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS	
537 उद्योगों का बंद होना तथा उसके फलस्वरूप मजदूरों का बेकार हो जाना	Closure of Industries and Workers Unemployed as a Result thereof .	15
540 मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई	Mazagon Dock Limited, Bombay	15
541 उगांडा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का गुजरात में पुनर्वास	Rehabilitation of Uganda Repatriates in Gujarat	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या० S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
543	भारत की अफ्रीकी देशों को सहायता — India's Assistance to African Countries .	18
545	अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक — All India Working Class Consumer Price Index	18
546	तस्करों की नौकाओं को पकड़ने के लिए पनडुब्बियों का प्रयोग — Use of Submarine for capturing Smugglers Boats.	19
547	मध्य प्रदेश में फास्फेट निक्षेपों का निकाला जाना — Exploitation of Phosphate Deposits in Madhya Pradesh	20
548	सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सैनिकों के लिए सुविधाएं — Facilities for Soldiers under Government Schemes	21
549	श्रमिक ब्यूरो में क्षेत्रीय कर्मचारियों में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व — Representation of Field Staff by Each State in Labour Bureau . . .	21
550.	अमरीकी खान व्यापार मिशन का भारत का दौरा — Visit of U.S. Mine Trade Mission to India . . .	22
551	औषधियों के लिए बिहार को विशेष अनुदान — Special Grants to Bihar for Medicines .	22
552	लद्दाख की ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा — Health Service for Rural Population of Ladakh	23
553	कर्मचारीयों राज्य बीमा योजना को गुजरात में श्रमिकों पर लागू करना — Coverage of Workers under ESIS in Gujarat	24
554	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें — Road Accidents in Delhi	24

अता० प्र० संख्या० U. S. Q. No.		
5131	पोर्ट ब्लेयर में चिकित्सा सुविधाएं — Medical Facilities at Port Blair .	25
5132	ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को विशेष प्रोत्साहन/सहायता — Special Incentives/Assistance to Doctors for Rural Areas	26
5133	खेतड़ी तांबा परियोजना में कथित चोरी की घटनाएं — Alleged Theft Cases in Khetri Copper Project	26
5134	राउरकेला इस्पात संयंत्र के लोक सम्पर्क विभाग में उड़िया अधिकारी — Oriya Officers in Public Relations Department of Rourkela Steel Plant .	27
5135	क्विलोन जिले में 'टिटेनियम पिगमेंट' परियोजना — Titanium Pigment Project in Quilon District	27

अता० प्र० संख्या० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5136 हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik School in Himachal Pradesh	28
5137 राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान बंगलोर द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी एसोसिएशन को सुविधाएं	Facilities to Non-Gazetted Employees Association by National Tuberculosis Institute, Bangalore	28
5138 गुजरात में श्रमिक संकट के कारण कारखानों को बंद करना	Factories closed due to Labour Crisis in Gujarat	28
5139 वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान विदेश गये भारतीय परिवार	Indian Families Proceeded Abroad during 1971-72 and 1972-73	29
5140 भारतीय चिकित्सक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाना	Popularization of Indian Systems of Medicines	29
5141 झालाबाड़ (राजस्थान) में पुरानी तांबा खानों को पुनः चालू करना	Reactivation of old Copper Mines of Jhalawar (Rajasthan). . . .	30
5142 विलिंगडन अस्पताल में अंतरंग रोगियों के लिए शय्याएं	Beds for Indoor Patients in Willingdon Hospital	30
5143 गुजरात की कपड़ा मिलों में तीसरी पारी की समाप्ति	Closure of Third Shift in Textile Mills in Gujarat	31
5144 फैरोमेंग्नीज का उत्पादन	Production of Ferro Manganese .	31
5145 केरल द्वारा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध	Kerala's Request for Financial Assistance for Repair of Roads Damaged due to Floods	32
5146 आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड	Assam Sugar Mills Limited . .	33
5147 जनकपुरी, नई दिल्ली में अस्पताल पोली क्लोनिक/केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालयों की स्थापना	Setting up a Hospital Poly Clinic/C.G. H.S. Dispensaries in Janakpuri, New Delhi	33
5148 दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्ति	Physcally Handicapped persons Registered with Employment Exchanges in Delhi .	34
5149 खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के क्षेत्राधिकार से फल से उत्पाद आदेशों को छूट देना	Exemption of Fruit Product Orders from Purview of Prevention of Food Adulteration Act	35
5150 पेन्नार नदी पर सड़क पुल	Road Bridge over River Penuar	35
5151 बड़े नगरों में केमिस्ट की दुकानों का 24 घंटे खुला रखना	Opening of 24 Hrs. Chemist Shops in Big Cities	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5152 पुनर्वास विभाग के गंगानगर एकक में पुनर्वास अधिकारी के पद के लिए क्षेत्राधिकार	Jurisdiction for the Post of Settlement Officer in Ganganangar Unit of Department of Rehabilitation . .	36
5153 युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को पैट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of a Petrol Pump to Dependents of Military Personnel Killed in Action	37
5154 जहाजों की वाणिज्यिक टन भार क्षमता	Commercial Tonnage of Shipping . .	37
5155 तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के जी० डी० ओ० डाक्टरों का वेतन मान निर्धारित करना	Fixation of Pay of CGHS GDO I and GDO II Doctors under Third Pay Commission Recommendations . .	38
5156 जमाखोरी से निर्यात का डांवाडोल	Cornering Leads to Export Fiasco	39
5157 मध्य प्रदेश में 'लेटे राइट' पर रायल्टी	Royalty on Laterite in M.P. .	39
5158 पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम	Service Rules for Employees of Post Graduate Institute of Medical Sciences Chandigarh.	39
5159 दिल्ली में कस्टोडियन द्वारा मकानों तथा प्लाटों की नीलामी	Auction of Houses and Plots by Custodian in Delhi	40
5160 भारत को उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए जापान को संयुक्त राष्ट्र मिशन का भेजा जाना	U.N. Mission to Japan for Diversion of Fertilisers to India	40
5161 पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस का आयात और उसे लौह अयस्क का निर्यात	Import of Natural Gas from Pakistan and Export of Iron Ore	41
5162 जापान से उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilisers from Japan	41
5163 गुजरात में भारत-ईरानी अल्यूमिना परियोजना	Indo Iranian Alumina Project in Gujarat	42
5164 प्रादेशिक सेना को सशक्त बनाना	Strengthening of Territorial Army	42
5165 व्यापार और तकनीकी सहयोग संबंधी संयुक्त समिति के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए भारत और चेकोस्लोवाकिया के दलों के बीच बैठक	Meeting between Indian and Czechosloakian Team to Review Working of Joint Committee on Trade and Technical Cooperation	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5166	हिन्दुस्तान एयरनाटिक्स लि० में प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करना / Jobs to Trained Workers by HAL .	43
5167	सैन्य उपकरणों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त / Acheivement of Self Sufficiency in Production of Artillery Pieces . . .	44
5168	इंडियन मैडिकल एसोसिएशन द्वारा औषध नीति के परिवर्तन के बारे में दिया गया सुझाव / Modification of Drugs Policy suggested by Indian Medical Association . .	44
5169	गर्भनिरोधक प्रोद्योगिकी में जीव विज्ञान का अन्वेषण / Biological Research in contraceptive Technology	45
5170	बीड़ी और सिगार अधिनियम, 1966 का संशोधन / Amendment of Beedi and Cigar Act, 1966	46
5171	बंगलोर में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने का प्रस्ताव / Proposal for Regional Passport Office at Bangalore	47
5172	बिजली के संकट तथा अन्य कारणों से श्रमिकों की जबरी छुट्टी / Workers laid off due to Power Crisis and other reasons	47
5173	सरकारी स्टोरों द्वारा औषधियों पर खर्च की गई धनराशि / Amount spent on durgs by Government stores	48
5174	सरकारी इस्पात कारखानों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जाना / Inferior Quality of Coal supplied to Public Sector Steel Plants . . .	48
5175	पाकिस्तान में 'मिराज' किस्म के बमवर्षक विमानों का निर्माण / Manufacture of Mirage Type Bombers in Pakistan	49
5176	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी बर्नपुर में नियुक्तियां / Appointments in IISCO Burnpur	49
5177	मुगल लाइंस द्वारा बम्बई-कोंकन-गोआ मार्ग के किराये में वृद्धि / Increase in Fares by Moghul Lines on Bombay Konkan Goa Route . .	50
5178	पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर हुई मुठभेड़ों में मारे गये सैनिक कर्मचारी / Defence Personnel killed in Border Encounters with Pakistan and China .	50
5179	उद्योग भवन से कृष्ण नगर, दिल्ली को आने जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रद्द किया जाना / Cancellation of DTC Buses from Udyog Bhavan to Krishna Nagar, Delhi . .	51
5180	बागान श्रमिकों के लिए मकान बनाना / Construction of Houses for Plantation Workers	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5181 'स्पायरली-वैल्डिड पाइप प्लांट'	Spirally welded pipe plant	52
5182 मजदूरों और कार्मिक संघ नेताओं की पूर्ण सुरक्षा	Full Safety of Workers and Trade Union Leaders	52
5183 पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा फफूंद की विषाक्तता के बारे में अनुसंधान	Research on Tocicity of Fungus by Patel Chest Institute of Delhi . . .	53
5184 ईरान तथा अन्य देशों को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए नया मंगलोर पत्तन	New Mangalore Harbour for Export of Iron Ore to Iran and other Countries .	53
5185 हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधायें	Medical facilities for Haj Pilgrims	54
5186. डियागो गारसिया द्वीप में अमरीकी सैनिक अड्डा बनाये जाने का हाउस कमेटी द्वारा समर्थन	House Committee support to U.S. Military Base on Diego Garcia Island . .	54
5187 होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के चिकित्सा केन्द्र खोलना	Opening of Homoeopathic, Ayurvedic and Unani Medicine Centres . . .	54
5188 बंगला देश के शरणार्थियों पर व्यय	Expenditure on Bangladesh Refugees	55
5189 पश्चिम बंगाल में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड का कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Factory of Indian Drugs and Pharmaceutical Limited in West Bengal	55
5190 लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में श्वेत पत्र का प्रकाशन	Publication of White Paper on Mini Steel Plants	55
5191 देश में औषधियों में मिलावट रोकने के लिए प्रयोगशालाएं	Laboratories for checking Drugs Adulteration in the country . . .	56
5192 दिल्ली में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Family Planning in Delhi	56
5193 एम०बी०बी०एस० तथा इन्टर्नशिप पूरी करने के पश्चात सरकारी सेवा करने के लिए बाण्ड भरना	Execution of Bond for serving the Government after completion of M.B.B.S. and Internship	57
5194 संकटग्रस्त तथा बंद पड़े चाय बागानों के मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा किया जाना	Deposit of E.P.F. by owners of Sick and Closed Tea Gardens . . .	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5195 उत्तरी लखीमपुर कमलाबाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग	Demand for taking over North Lakhimpur Kamalabari Road as National Highway	58
5196 मंजूरियों की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने पर भूतपूर्व सैनिकों को वाहनों का आवंटन	Allotment of Vehicles on Time barred sanctions to ex-servicemen . . .	58
5197 देश में यातायात प्रणाली में परिवर्तन	Change in Traffic Pattern in the country .	59
5198 इस्पात संयंत्रों को स्वायत्तता देने के संबंध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की नीति	HSL Policy in regard to autonomy to Steel Plants	59
5199 देश से 'रेबीज' रोग का उन्मूलन	Eradication of Rabies from the country .	60
5200 वर्ष 1973 और 1974 के दौरान इस्पात उत्पादन की प्राप्ति	Achievement of Steel Production during 1973 and 1974	60
5201 फास्फेट उर्वरकों के मूल्य	Price of Phosphate Fertilisers .	61
5202 भरतीय औषधि नियंत्रण अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ (इंडियन मैडिकल एसोसिएशन) द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Indian Medical Association for changing the Indian Drug Control Act . . .	61
5203 लोगों को सस्ती कीमत पर औषधियां उपलब्ध करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to provide Cheaper Drugs to people	63
5204 कुदरेनुख से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Kudrenuk to Iran	63
5205 भारत और बंगला देश के बीच शत्रु सम्पत्ति संबंधी मामलों को तय करना	Settlement of Issues regarding Enemy Property between India and Bangladesh	64
5206 भारत-रूस आयोग की दूसरी बैठक	Second meeting of Indo-Soviet Commission.	64
5207 बिरला काटन एंड स्पिनिंग मिल्स, दिल्ली के श्रमिकों को लाभों से वंचित किया जाना	Workers deprived of benefits in Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi. .	65

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5208	खेतड़ी तांबा परियोजना के स्मेल्टर प्लांट की खपत हेतु कंसेन्ट्रेट	Feeding of concentrate to Smelter Plant in Khetri Copper Project . . . 65
5209	खेतड़ी तांबा परियोजना में केन्सेन्ट्रेट का उत्पादन	Production of Concentrate in Khetri Copper Project 66
5210	मार्ग में खाद्यान्नों की क्षति	Foodgrains lost in Transit 67
5211	केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तथा दिल्ली में अस्पतालों का खोला जाना	Opening of Hospitals in M.P., U.P. Gujarat and Delhi by Centre . . 68
5212	'टिस्को' के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र	Captive Power Plant for TISCO 68
5213	राउरकेला इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं	Accidents in Rourkela Steel Plant . 69
5214	लौह खनिजों का आयात	Import of Ferrous Minerals . 69
5215	तांबा तथा पीतल का मूल्य नियंत्रण	Price control on copper and Brass . 69
5216	चीन से सांस्कृतिक संबंध	Cultural relations with China 69
5217	लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength of Indian High Commission in London 70
5218	दिल्ली में नर्सों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	Nurses Training Centres in Delhi 70
5219	दिल्ली के औद्योगिक एककों में बिजली की कटौती के कारण कर्मचारियों की जबरी छुट्टी	Workers laid off due to power cut in Delhi in Industrial Units . . . 71
5220	केरल में बौक्साइट निक्षेपों का उपयोग	Exploitation of Bauxite Deposits of Kerala 72
5221	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सड़कों का निर्माण	Construction of roads in Kerala in Fifth Plan 72
5222.	सैनिक स्कूलों के कार्यकरण संबंधी समिति	Committee on working of Sainik Schools . 73
5223	एयर चीफ मार्शल द्वारा इंडियन एयर फोर्स के बारे में दिया गया वक्तव्य	Statement made by Air Chief Marshal regarding Indian Air Force . . 74
5224	गंगानगर के पुनर्वास विभाग यूनिट सैटलमेंट अधिकारी के पद को समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to abolish post of Settlement Officer in Ganganagar Unit of Department of Rehabilitation . . . 75
5225	बिड़ला काटन एंड स्पिनिंग मिल्स, दिल्ली में कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service condition of employees in Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi . 75

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5226	खेतड़ी परियोजना में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन	Violation of E.P. Act in Khetri Copper Project	76
5227	दिल्ली तथा राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना	Persons provided with employment in Central Government Offices located in Delhi and in States	77
5228	महाराष्ट्र में कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाएं	Accidents in Coal Mines in Maharashtra	77
5229	राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़क-संकेतों और नम्बर प्लेटों का अंग्रेजी में लिखा जाना	Writing of names of National Highways, Road Marks and Number Plates of Vehicles in English	78
5230	भारतीय नौसेना द्वारा "हिम गिरि" युद्धपोत का समुद्र में उतारा जाना	Commissioning of 'Him Giri' Warship by Indian Navy	79
5231	इस्पात-निर्यात क्रयादेशों के निष्पादन हेतु निर्यात गृह	Export houses to execute Steel Export Orders	79
5232	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारत निर्मित वस्तुओं का प्रयोग	Use of India made goods in Missions Abroad	80
5233	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलोर	Bharat Earth Movers Limited, Bangalore .	80
5234	गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, कलकत्ता	Garden Reach Workshops Ltd., Calcutta	81
5235	प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद	Praga Tools Limited, Secunderabad	81
5236	इस्पात वितरण नीति	Steel Distribution Policy	81
5237	अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा गैर-सरकारी मैडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त किया जाना	Derecognition of Private Medical Colleges by the All India Medical Council .	82
5238	सूडान के राष्ट्रपति द्वारा भारत का दौरा	Visit to India by President of Sudan .	82
5239.	अज्ञात निक्षेपों के लिए बिहार का सर्वेक्षण	Survey of Bihar for untraced deposits .	83
5240.	विलिंगडन अस्पताल में अप्रयुक्त पड़ा मोबाइल डेंटल वैन	Mobile Dental Van lying idle at by Willingdon Hospital . . .	83
5241.	बिहार में सेना का प्रयोग	Use of Army in Bihar .	84
5242.	लघु उद्योगों को दुर्लभ धातुओं की सप्लाई	Supply of Scarce metals to small scale industries	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5243.	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ के अंतर्गत मंजूर की गई सड़कों को पूरा करना	Completion of roads sanctioned in the National Highways in Maharashtra .	85
5244.	किसानों को उचित दर पर लोहे की सप्लाई	Supply of Iron to farmers at fair rates	85
5245.	अहमदाबाद तथा गुजरात के अस्पतालों में आयातित औषधियों/इंजेक्शनों की कमी	Shortage of imported drugs/injections in the Hospitals in Ahmedabad and Gujarat	86
5246.	विभिन्न देशों के राज्य अथवा शासन अध्यक्षों द्वारा भारत यात्रा	Visits by Heads of Foreign States or Government	87
5247.	कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को एन०सी०सी० प्रशिक्षण	NCC training to students of colleges and Universities	87
5248.	अहमदाबाद के श्रम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा मामलों का निपटान	Appointment of judges in Labour Courts in Ahmedabad and disposal of cases by them	88
5249.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संबंध में भारत श्रीलंका वार्ता	Indo Sri Lanka Talks on Cultural Exchange	88
5250.	उन्नत किस्म के नेट लड़ाकू विमान का परीक्षण	Testing of advanced version of Gnat fighter	88
5251.	समुद्रतल का सीमांकन	Delineation of seabed border .	89
5252.	कोयले एवं खाद्य की ढुलाई के लिए विभिन्न बंदरगाहों को जहाजों का नियतन	Allotment of ships to different ports for handling coal and food . . .	89
5253.	भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा शत्रु के राडार को निष्क्रिय बनाने वाले उपकरण का विकास	Developing of an equipment by Indian Scientists to jam enemy's Radar .	90
5254.	औद्योगिक श्रमिकों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव	Effect and influence of multinational corporation on industrial labour . .	90
5255.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात	Export of steel by SAIL .	90
5256.	कलकत्ता में सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए धनराशि का नियतन	Allocation for Repair and Maintenance of Roads in Calcutta	91
5257	नटीय निक्षेपों के विकास के लिए सोवियत संघ द्वारा सहायता	USSR help to develop Coastal Reserves .	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5258.	पश्चिम एशिया में परमाणु अस्त्रमुक्त क्षेत्र के बारे में संकल्प	Resolution Regarding Nuclear Weapon Free Zone in West Asia . . .	91
5259.	लघु उद्योगों को कच्चे लोहे और कोक की सप्लाई	Supply of pig iron and coke to small scale industries	92
5260.	हिन्द महासागर में सैन्टो के नौसैनिक अभ्यासों के बारे में संयुक्त राष्ट्र में विरोध	Protest in U.N. over CENTO Naval Exercises in Indian Ocean . . .	92
5261.	लूप तथा अन्य गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग के उपरांत औरतों में कैंसर संबंधी अनुसंधान	Research on Cancer among Women after using loop and other Contraceptive Devices	93
5262	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का असंतोषजनक कार्यकरण	Unsatisfactory Performance of Indian Council of Medical Research . .	93
5263.	आल इंडिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के फैडरेशन से ज्ञापन	Memorandum from All Federation of All India Hindustan Construction Workers' Unions	94
5264.	दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against DTC Drivers and Conductors	94
5265.	अल्यूमीनियम और तांबें की मांग तथा सप्लाई	Demand and Supply of Aluminium and Copper	94
5266.	गत तीन वर्षों में सेवा निवृत्त हुए सैनिक और अफसर	Soldiers and officers Retired from Service during last three years . . .	96
5267.	भिलाई और रूरकेला, दुर्गापुर और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के ठेकेदार	Contractors in Bhilai, Rourkela, Durgapur and IISCO	96
5268.	वर्ष 1974 में निम्नस्तर की औषधियों के निर्माण के लिए औषध एककों के लाइसेंसों का रद्द किया जाना	Cancellation of licences of Drug Units for Manufacture of Substandard Medicines in 1974	96
5269.	पश्चिम बंगाल की कुछ फार्मास्यूटिकल फर्मों के लाइसेंस रद्द किये जाना	Cancellation of licences of some Pharmaceutical Firms of West Bengal .	98
5270.	कासरगोड तथा कान्हनगोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का पुन: रेखांकन करना	Realignement of National Highway between Kasargod and Kanhangad . .	99
5271.	तटवर्ती इस्पात संयंत्र	Coastal Steel Plants	99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5272.	भारतीय नौसेना पनडुब्बी वागीर को चालू करना	Commissioning of Indian Navy Submarine Vagir	99
5273.	राज्यों में आय के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में समान नीति	Uniform policy for free medical facilities in States on income basis	100
5274.	सेना कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति	Recruitment policy for Army Personnel	100
5275.	दिएगो गार्शिया के अमरीकी सैनिक अड्डे के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता	Agreement with U.K. for US Military base on Diego Garcia	101
5276.	एशियाई सामूहिक सुरक्षा पद्धति	Asian Collective Security System	101
5277.	लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposit	102
5278.	खेती श्रमिकों के कार्मिक संघ	Trade Unions of Farm Labourers	102
5279.	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों में औषधियों की कमी	Shortage of medicines in Employees State Insurance Scheme, Hospitals in Kerala	102
5280.	विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा	Foreign Minister's visit to USA	103
5281.	स्मिथ स्टानी स्ट्रीट एंड कंपनी, कलकत्ता का विस्तार	Expansion of Smith Stain Street and Co., Calcutta	103
5282.	स्वेज़ नहर के बंद होने के कारण हुई हानि	Loss incurred due to closure of Suez Canal	103
5283.	हिन्द महासागर पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on Indian Ocean	104
5284.	कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बिहार में पटसन की गांठ बनाने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल करना	Coverage of Jute Bailing Establishments in Bihar under E.P.F. and F.P.F. Act, 1952	104
5285.	सब-डिवीजनल आफिसर, सुपाल के न्यायालय में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दायर किये गये आपराधिक मामले	Criminal Cases filed under E.P.F. Act, 1952 in the Court of S.D.O., Supal	105
5286.	बिहार में चीनी कारखानों में अस्थायी और रोजन्दारी मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिया जाना	Payment of Minimum Wages to Temporary and Daily Rated Workers in Sugar Factories in Bihar	105
5287.	भाड़ा दरों पर अधिक करेंसी अधिभार	Higher Currency Surcharges on Freight Rates	106
5288.	खेतड़ी में तांबा गलाने के लिए संयंत्र	Copper Melting Plant in Khetri	107

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5289.	दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of DTC Employees	107
5290.	दिल्ली परिवहन निगम के प्रशिक्षित कंडक्टर	Trained conductors of DTC .	107
5291.	शाहजहांपुर स्थित आयुध कारखाने में कार्यरत यूनियनें	Unions functioning in Shahjahanpur Ordnance Factory	108
5292.	दंडकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी नोटिस	Termination Notices to Work charged Staff of Dandakaranya Project .	108
5293.	दिल्ली छावनी में भूतपूर्व सैनिकों के वाहनों के आवंटन के मामले में कथित कदाचार	Alleged malpractices in Allotment of Vehicles to Ex-servicemen at Delhi Cantonment	109
5294.	सैन्ट्रल व्हीकल डिपो के कर्मचारियों का निलंबन और स्थानान्तरण	Suspension and Transfer of Workers of Central Vehicle Depot . . .	109
5295.	अम्बाला छावनी के असैनिक क्षेत्र में नगरपालिका का गठन	Formation of Municipal Committee in Civil Area of Ambala Cantonment .	110
5296.	सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये गए आर्थिक समझौतों को क्रियान्विति	Implementation of Economic Agreements with Soviet Union and East European Countries	110
5297.	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसके प्रबंधकों तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in Courts against Managers and other officers of Coal Mines Prior to Nationalisation	111
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		Re. Adjournment Motions	111
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		Re. Question of Privilege	114
गोआ में जलदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में		Re. water Pollution Problems in Goa .	115
आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न		Question of Privilege against All India Radio	115
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	119
राज्य सभा से प्राप्त संदेश		Message from Rajya Sabha . . .	122
सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति		Leave of Absence from the sitting of the House	122
प्राक्कलन समिति		Estimates Committee . .	122
68वां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ		Sixty-eighth Report—presented	122
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		Committee on Government Assurances	122
10वां प्रतिवेदन		Tenth Report—presented	122

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
याचिका समिति	Committee on Petitions . .	123
कार्यवाही सारांश सभापटल पर रखा गया	Minutes Laid	123
अभ्रक और चपड़े के बारे में वक्तव्य प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Statement Re. Mica and Shellac Prof. D. P. Chattopadhyaya . .	123
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य की नियुक्ति	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—Appointment of Member to Joint Committee	126
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक–	Taxation Laws (Amendment) Bill .	126
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Select Committee . .	126
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1974-75—विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1974-75—Statement presented	127
संसत्सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1974—पुरःस्थापित नियम 377 के अधीन मामला	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill—Introduced . . . . . Matter under Rule 377	127
आसाम में बोदो आदिम जाति के लोगों द्वारा कथित आन्दोलन	Reported Agitation by Bodo Tribe people in Assam	127
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के बारे में	Re. Durgapur Steel Plant Workers .	128
दिल्ली नाटक प्रदर्शन विधेयक बारे में	Re. Delhi Dramatic Performances Bill	129
चीनी उद्योग जांच आयोग प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Sugar Industry Enquiry Commission Report . . .	130
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	130
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh	134
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda .	135
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	137
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	138
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	139
श्री प्रसन्ना भाई मेहता	Shri P. M. Mehta	140
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . . .	140
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya	141
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	142
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	142
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	143
श्री नूरुल हुडा	Shri Noorul Huda . .	145
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	146
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saxena . .	148
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha .	148
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	150

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1974/28 अग्रहायण, 1896 (शक)

Thursday, December 19, 1974/Agrahayana 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय

*535. **श्री शंकरराव सावन्त† :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में महाराष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रीय राजपथों पर कितना व्यय किया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारी एवं लम्बे समय तक चलने वाली वर्षा से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 की बहुत अधिक क्षति हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस टूटी सड़क की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाग (क) : 1971-72, 1972-73 और 1973-74 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल कार्यों पर किया गया व्यय	राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर किया गया व्यय	कुल
	(रुपए लाखों में)		
1971-72	231.39	131.21	362.60
1972-73	1443.07	122.43	1565.50
1973-74	1135.15	102.39	1237.54

भाग (ख) और (ग) : इस वर्ष की बरसात से भूमि स्खलन के रूप में कुछ छोटी मोटी क्षतियों, पुलों के चिनाई कोनों और बांधों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में कुछ हिस्सों में पटरी को कुछ नुकसान पहुंचा है। हाल ही में राज्य सरकार से इन क्षतियों की मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है। धन की उपलब्धता के अनुसार इन कार्यों के अनुमानों की तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के शीघ्र बाद मरम्मत कार्य किये जायेंगे।

श्री शंकर राव सावन्त : यह कहना गलत है कि राष्ट्रीय राजपथों को हुई क्षति मामूली है। मैं इसका रात और दिन उपयोग करता रहा हूं तथा अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि अनेक स्थानों पर यह राजपथ उपयोग के योग्य नहीं रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : गत मानसून के दौरान इस राजपथ के कुछ टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गये थे तथा इसके लिये 9.67 लाख रुपये के अनुमान प्राप्त हुए हैं जिन पर स्वीकृति देने के उद्देश्य से विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य को शायद पगडंडियों के क्षतिग्रस्त होने का ध्यान है। राज्य सरकार ने एक प्राक्कलन भेजा है और इस पर विचार भी किया जा रहा है।

श्री शंकर राव सावन्त : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : गत मानसून के दौरान हुई क्षति को ठीक करने में तो अधिक समय नहीं लगेगा परन्तु पटरियों की मरम्मत के लिये प्राक्कलन की राशि बड़ी है और इसमें कुछ समय लग सकता है।

श्री शंकर राव सावन्त : क्या सरकार इस वर्ष राजपथों के रख-रखाव संबंधी अनुदानों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : वर्ष 1974-75 के लिये राष्ट्रीय राजपथों के रख-रखाव संबंधी अनुदान अन्तिम रूप से तैयार हो चुके हैं और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उनमें वृद्धि करना संभव नहीं हो सकेगा ।

श्री वन्सत साठे : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ के कुछ भाग अभी भी अपूर्ण हैं और उसके 20 से 25 किलोमीटर तक के टुकड़े देश की सामान्य सड़कों से भी बुरे हैं और वे भारी बाधायें उत्पन्न कर रहे हैं ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एच०एम० त्रिवेदी : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 राष्ट्रीय राजपथ घोषित होने से पहले एक इकहरी सड़क के रूप में था। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 इकहरी सड़क के रूप में है, परन्तु राज्य सरकार ने इसमें कुछ टुकड़े जोड़ दिये थे और माननीय सदस्य के मस्तिस्क में उसी का चित्र है।

श्री वन्सत साठे : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राज्य की सड़कें राष्ट्रीय राजपथों से अधिक चौड़ी हैं ? क्योंकि जबकि राष्ट्रीय राजपथ तो इकहरी सड़कों के रूप में है राज्यों के राजपथों पर दोहरी सड़कें बनी हुई हैं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 को और सुधारने के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने इसे बढ़ा दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों जैसे कोन्कण, विदर्भ तथा मराठवाड़ा के विकास के लिये, यह आवश्यक है कि सड़कों का निर्माण विकास के लिये तैयार किये गये इन्फ्रा-स्ट्रकचर के अन्तर्गत ही किया जाये ? क्या यह सच नहीं है कि विकास के लिये इन्फ्रा-स्ट्रकचर के रूप में राजपथों संबंधी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि राजपथों को जोड़ने वाली अनेक सड़के भली प्रकार से निर्मित नहीं की गई हैं ? इसलिये, क्या राज्यों तथा केन्द्र के बीच यथोचित समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा ताकि राजपथों की स्थापना हो सके जिनको छोटी-छोटी सड़कों से जोड़ा जाये ताकि पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रा-स्ट्रकचर उपलब्ध कराया जा सके ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 का संबंध है, मेरे विचार से इसे एक महत्वपूर्ण राजपथ माना जाता है और यह एक इन्फ्रा-स्ट्रकचर के रूप में है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच समन्वय के सुझाव पर हम विचार करेंगे।

श्री धामनकर : संगमेश्वर तथा रत्नगिरि के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 नदी के साथ-साथ चलता है और प्रतिवर्ष बाढ़ आने पर यह बह जाता है। इसके तल को ऊंचा उठाने के लिये मिट्टी डालने का कार्य गत तीन वर्षों से चल रहा है और हर वर्ष यह मिट्टी बह जाती है। क्या सरकार इसके तल को आगामी मानसून के आने से पहले ही पूरा करने का निर्णय करेगी ?

श्री एच०एम० त्रिवेदी : कोलाबा जिले में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 का एक भाग निश्चय ही अच्छी दशा में नहीं है। संगमेश्वर तथा रत्नगिरि के बीच के भाग के लिये राज्य सरकार ने एक प्राक्कलन तयार किया है तथा उस पर वर्ष 1974-75 के दौरान कार्य के लिये उस प्राक्कलन को केन्द्र सरकार पास भेजा है।

श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपाण्डे : महाराष्ट्र में इस राजपथ पर कितने पुल अधूरे है ? दूसरे बम्बई को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले पुलों का निर्माण पूरा कर दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 पर गोआ, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में एक-एक बड़ा पुल निर्माणाधीन है तथा गोआ में जो पुल है उसके संबंध में जांच चल रही है।

श्री पी० आर० शिनॉय : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 सीधा नहीं है तथा कई स्थानों पर चक्करदार है और हम सड़क को विशेष कर केरल राज्य में कान्हासाड-केसरगोड के बीच सीधा करने के लिये लोगों की ओर से अभ्यावेदन दिये जा रहे हैं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : केरल राज्य में इस सड़क का पुन: रेखांकन करने का प्रस्ताव है परन्तु उक्त प्रस्ताव को अभी अनुमोदन तथा स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है।

भारत में इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने में जापान की रुचि

*536. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दौरे पर आये जापानी प्रतिनिधि मंडल ने भारत में इस्पात परियोजनाओं की स्थापना में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी तथा उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी एवं उन पर क्या लागत आयेगी;

(ग) उक्त परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद इस्पात की देशीय एवं निर्यात सम्बन्धी आवश्यकतायें कहां तक पूरी हो सकेंगी; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की अनुमानत: कितनी आय होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Shri Nawal Kishore Sharma: The hon. Minister has replied in negative. We are exporting iron ore to Japan and despite the fact that there has been an expansion in the field of steel, we are still importing it. I would like to know the particular reason for not discussing with the visiting Japanese delegation the questions regarding setting up of certain steel plants here for production of steel? Was there any special reason therefor?

Mr Speaker: The question was something else. But you have now gone into a discussion.

Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav): In view of our steel requirements till the end of the Fifth Plan. We have an expansion scheme in Bhilai in respect of our existing plants; a new plant is in the making in Bokaro and this work is going on. Secondly there is a proposal to set up three plants in South India. .....

Mr. Speaker: Have you discussed anything with the delegation and kindly tell us whether new plants are to be set up.

Shri Chandrajit Yadav: In view of the requirements we do not feel the need of new plants. Therefore neither the Japanese delegation has said anything about it nor we have any proposal therefor.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह सच है कि जापानी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इस वर्ष जयपुर का दौरा किया था। यह एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल था। उसने जयपुर में हुए सम्मेलन में भाग लिया था। परन्तु उन्होंने छोटे इस्पात मिलों की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया। जैसाकि मैंने पहले कहा जापान सरकार की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। कभी कभी जापान के व्यापार गृहों ने, कुछ सलाहकारों ने इसमें रूचि दिखाई है। परन्तु विशिष्ट रूप से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह ऐसे गुटिका-मिलों (पैलेटाईजेंशन प्लांट) की स्थापना के लिये जापान से बातचीत करने का विचार कर रहे हैं जैसा कि गोआ में श्री चोगले ने स्थापित किया है ताकि हम लौह अयस्क की बजाये लोहे की गुटिकाओं का निर्यात कर सकें और इस प्रकार न केवल माल किराया बल्कि विदेशी मुद्रा भी बचा सकें ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सच है कि लौह अयस्क अथवा छीलन की बजाये यदि हम गुटिकाओं का निर्यात कर सकें तो हमें अधिक लाभ होगा। यह एक नई प्रक्रिया है। अब देश में एक या दो गुटिका-संयंत्र हैं। हम बातचीत कर रहे हैं और हम देश में और अधिक गुटिका-संयंत्रों की स्थापना का विचार रखते हैं। इस संबंध में किसी देश से सहयोग करने की जरुरत नहीं है। हमारे पास इसके लिये तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। प्रश्न तो केवल वित्त का है और ज्यों ही वह मिल जायेगा हम और अधिक गुटिका-संयंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

Sardar Swaran Singh Sokhi: The hon. Minister has replied to in negative. May I know whether the Japanese delegation has said anything about the expansion of Tata Iron and Steel Company, and whether any point was raised in connection with the talks held with Nippon Steel Corporation of Japan?

Shri Chandrajit Yadav: My reply in negative is based on the reality. As regards TISCO they had submitted a proposal for their expansion and they have prepared a feasibility report with the help of Japan's Nippon Steel Corporations Consultants to increase the production by 2 million ton ingots. Now that matter is in between TISCO and that Corporation, and the Government have nothing to do with it.

Shri Hukam Chand Kachwai: After having talks with the Japanese delegation and the businessman the former Minister had declared that they were going to set up 1000 mini steel plants in the country. Is it true? If not, on what basis had he made this declaration and where would these plants be located ? May I also know whether the point concerning the sale of huge stocks of steel, which have accumulated by now, has been discussed?

Shri Chandrajit Yadav: I have already stated that there has been no question of negotiating with Japan on the issue of setting up mini steel plants. As regards the declaration of setting up 1000 mini steel plants, that was the personal view of the hon. Minister and we were of the opinion that it is possible. We too are examining that and would consider all possibilities.

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि दक्षिण भारत में कुछ इस्पात मिल स्थापित हो रहे हैं। विशेषकर सलेम इस्पात मिल में कोई काम नहीं हो रहा है या तो इसकी गति धीमी कर दी गई है या फिर काम को रोक ही दिया गया है। मैं सलेम इस्पात मिल की वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं बार-बार स्पष्ट कर चुका हूं कि यह कहना गलत है कि सलेम में काम रोक दिया गया है। कुछ काम हाथ में लिया जा चुका है और उसे पूरा किया जा चुका है। इस वित्त वर्ष में हम अपेक्षित धन की व्यवस्था करने के सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि काम की गति बनी रहे और वह रुके नहीं।

Shri Sarjoo Pandey: Particularly in Eastern U.P. a number of people have submitted applications for permission to set up mini steel plants. I want to know the number of such applications as also the action being taken thereon.

Shri Chandrajit Yadav: We have never come in the way as regards to setting up of mini steel plants. A reply has been given in this House to the effect that licences were given for setting up 118 mini steel plants. We had not put any ban at one stage. We had done away with the provision of taking licence also. But the position is that 17 plants in U.P. are closed for want of power and six licences have returned their licences. Further consideration in this regard depends upon the availability of power and continues supply thereof. They cannot work without power.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The hon. Member has stated that a number of plants are closed in U.P. for want of power and also that people are returning the licences. A plant in Jhansi want to generate its own power but the Government refused permission therefor although they had allotted the licence for the steel plant. I want to know whether the Government are considering to give permission to generate power or the Government itself generate it?

Shri Chandrajit Yadav: If the hon. Member gives me full details about the factory in Jhansi, I would look into that I think there should be no ban in this respect provided no import is involved. Let him send me the details and I would look into that.

श्री बी० बी० नायक : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार के वित्त मंत्री ने यह कहा है कि कर्नाटक सरकार प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयंत्र के कार्य को आरम्भ करने तथा उसे एक वर्ष में पूरा करने के लिये एक जापानी फ़र्म अथवा कई फ़र्मों से सहयोग करना चाहेगी, और क्या मंत्री महोदय को इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य सूचना दिये बिना ही विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी है तो वह दे सकते हैं। अन्यथा वह उसके लिये बाध्य नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा ! —उपस्थित नहीं हैं। श्री राम सहाय पाण्डे !

मजूरी कानून के कार्यकरण में दोष

*538. **श्री रामसहाय पाण्डे :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में मजूरी कानून के कार्यकरण में पाए गए दोष के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार ने इस विषय पर एक समाचार देखा है जो 20 नवम्बर, 1974 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपा था।

(ख) इस समाचार में मुख्यत: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई मजदूरी दरों के पुनरीक्षणों में हुए विलम्बों और उनके प्रवर्तन में हुई त्रुटियों का जिक्र किया गया है। समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखें।

Shri R. S. Pandey: May I know whether the National Wage Commission made any recommendation about the minimum national wage and if so, what is that?

Shri Balgovind Verma: The Commission looked into the question of national minimum wage and also considered the views of the people in this regard. In view of the fact that the country is vast and there are regional imbalances as regards development, the Commission, therefore, opined that the national minimum wage is not possible, the Commission said that, national minimum wage in the sense of uniform minimum monetary rate of remuneration for the country as a whole is neither feasible nor possible. It may be possible however that in the different homogenous regions in each state a regional minimum wage could be notified. An effort should be made to fix such regional minimum.

Shri R. S. Pandey: I agree with the hon. Minister the economic position differs from region to region and from State to State. But the Government have constituted a Central organisation and the function or the responsibility of the organisation is to evolve region-wise or Statewise procedure of national minimum wage keeping in view of all the prevalent conditions there. Can there be no solution to it so long as regional imbalances continue and if no, why ?

Shri Balgovind Verma : To decide national minimum wage is not the policy of the Central Government. This is mostly the responsibiility of State Governments because the subject of employment comes under the jurisdicition of the State Government. Our concern is nominal.

Shri R. S. Pandey : The centre can issue guidelines.

Shri Balgovind Verma : We do that, take, for instance, bidi industry. We called the Labour Minister of the State Government and certain other concerned people to discuss the matter together and decide a regional minimum wage regarding bidi industry. We are making other such efforts also.

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: मंत्री महोदय ने बताया है कि वेतन राज्य सरकारों का दायित्व है। पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय का यह विचार है कि वे इस बात को देखें कि एकमत बने ताकि सर्वमान्य समझौते से क्षेत्रीय असंतुलन दूर हों तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है। यह मेरा पहला प्रश्न है। मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि आई० एल० ओ० सम्मेलन की सिफारिश अर्थात् समान कार्य के लिये समान वेतन विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सके। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार के स्वीकार कर लेने पर भी इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है, राज्य फार्मों तथा खेतिहर मजदूरों के बीच भी इसे कार्यरूप नहीं दिया गया है। वर्तमान स्थिति यह है। केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि देशपर्यन्त कम-से-कम न्यूनतम वेतन सभी को प्राप्त हो सके।

श्री बालगोविन्द वर्मा : राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के बारे में क्षेत्रीय भिन्नता सम्बन्धी विषय से केन्द्र बहुत चिन्तित है और हम इसे राज्य मंत्रियों के ध्यान में लाने तथा इस मामले पर बातचीत करने के लिये मंत्रियों को एक साथ बिठाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि न्यूनतम वेतन सम्बन्धी असमानताएं क्रमशः समाप्त हो जाएं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में, आई० एल० ओ० ने महिलाओं और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन की सिफारिश की है और हमनें इसे तीन महीने में लागू कर देने का निर्णय किया है।

Shri Damodar Pandey : I would like to know that when Labour Bureau prepares all India consumer price index of working class and average may be taken from that to calculate the wages in the country as a whole, why, then the Government is unable to fix the wages of the working class. The hon. Minister has said that deciding the wages is not the responsibility of the Centre only but states are also responsible for it may I know whether in case of centrally administered territories the Central Government will try to remove the wage disparities ? There are big disparities in the wages of mines workers. Manganese mines workers are getting Rs. 100 or 130 whereas other mines workers are getting Rs. 400.

Shri Balgovind Verma : Consumer price index is not uniform for the country as a whole . It differs from place to place . For example, Delhi is costlier than other places. Therefore, it is not feasible to fix a uniform wage pattern in the entire country. The hon. member has objected to the disparities in wage from one industry to another. I agree to it. There are higher rates wages in iron ore mines as compared to Manganese ore mines. I have visited these places and tried to ascertain the reasons of these disparities. The position is this Internal consumption of manganese ore is low and there is a competition in foreign countries in this field and therefore, there is no scope for export. If the employers of manganese ore are forced to pay wages equal to the iron ore mines then either they will stop working or suffer loss. Therefore. we are not forcing them to do so. But we have tried to see that the difference amongst the wages in iron ore and manganese ore mine workers is reduced.

Place for Hindi in United Nations

*539. **Shri R.V. Bade:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) when India made her first attempt to secure a place for Hindi in the United Nations;

(b) the efforts made subsequently and the results achieved and the future plan in this behalf; and

(c) the countries in favour of giving Hindi a place in the United Nations

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) अभी तक भारत द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किये गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आधिकारिक और काम-काज की भाषाओं की सूची में किसी और भाषा को जोड़ने के लिये क्रियाविधि के नियमों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और वह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिये। इस प्रकार का प्रयत्न तो तभी किया जा सकता है जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को सफलता मिलने की आशा हो।

(ग) इसका विशेष रूप से पता नहीं लगाया गया है।

Shri R.V. Bade: Each country has made attempts to secure a place to her national language in the United Nations. May I know as to why India has not made any attempt so far?

श्री बिपिनपाल दास : मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस समय हमारे अनुमान के अनुसार ऐसा प्रयास सफल नहीं होगा। अतः हम उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri R.V. Bade: The hon. Minister has said that they are not likely to succeed in such a move. May I know as to when they made such an attempt? How does he say that they are not likely to succeed?

श्री बिपिनपाल दास : मैंने प्रक्रिया नियम बता दिये हैं और नियमों के अनुसार संशोधन को सदस्य संख्या के बहुमत् का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। विषय के पक्ष में प्रचार करके अनुमान लगाया जाता है। ऐसे अनुमान से पता चलता है कि यह प्रयास करने का उचित अवसर नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: When was the assessment made; is there any record of that?

श्री बिपिनपाल दास : मैं बता चुका हूं कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यह निरन्तर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। उचित समय पर ही हम ऐसा प्रयास करेंगे। यह उचित अवसर नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it not a fact that the strength of Hindi speaking people in the world is more to those of speaking English and French? Hindi is not only spoken in India but there are the people in our neighbouring countries and in African countries who speak Hindi. Is it a fact that the Government of India have not made such a move so far as they are suffering from inferiority complex which is proving an obstruction in such attempt?

श्री बिपिनपाल दास : मुझे खेद है कि हम श्री वाजपेयी जी की बात से सहमत नहीं है। इसमें कोई हीन भावना नहीं है। परन्तु प्रश्न है : एक राज्य, एकमत। प्रत्येक सदस्य का एक मत है। यह इस बात पर निर्भर नहीं कि किसी देश के सभी लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि कितने सदस्य देश उस भाषा को बोलते हैं। हमारा अनुमान यह है कि यह उचित अवसर नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब किन-किन देशों का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में जाना गया। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? उनकी बात काल्पनिक है। अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

श्री बिपिनपाल दास : मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। श्री वाजपेयी को पता चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र में इस तरह की चीजें किस प्रकार होती हैं। यह विषय के पक्ष में प्रचार करके किया जाता है और मैंने यही कहा है।

Shri Nawal Kishore Sinha: Is it time that we are weak in our efforts to secure a place for Hindi in the United Nations because of the fact that when we Hindi speaking people happen to go abroad then, what to talk of foreigners, we ourselves, use English in place of Hindi in our Conversations.

श्री बिपिनपाल दास : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति का यह आधार नहीं है।

Shri K.C. Pandey: Sir, this is not so simple a question. This is a serious matter of national importance. The hon. Minister should reply to it from international point of view. When India made an attempt to secure a place for Hindi in the United Nations? They did not make any attempt and the hon. Minister is saying that the time is not opportune. I would like to know when India made an attempt to secure a place for Hindi in the United Nations and if no whether attempt has been made whether they propose to make such a move?

श्री बिपिनपाल दास : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रखने से पहले हमें यह देखना होता है कि कितने देश हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हमारा अनुमान यह है कि यदि हम ऐसा प्रस्ताव लाते हैं, तो इस समय इसमें सफलता मिलने की आशा नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, he is not giving us a correct picture. He is misleading the House. When was this decision taken in Foreign Ministry that they will make an assessment by lobbying to secure a place for Hindi in United Nations. They have not taken any decision, how can they make any assessment by lobbying?

Shri Samar Guha: I am really surprised at his reply. We will get the support or not, this is a seperate question. If the Government think that the resolution is justified, it should be put time and again irrespective of the fact that we get support or not. Secondly, India stands second in the world as regards the strength of the population. How it can be taken for granted that Hindi cannot secure a place in United Nations? If the resolution is brought time and again then I am sure the world will agree to our justified claim. I would like to know as to when the Government propose to bring this before the U.N.?

श्री बिपिनपाल दास : प्रो० गुह बड़े विद्वान् व्यक्ति हैं और मुझे विश्वास है कि वह भाषाओं के बारे में जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दें तो ये स्थान दिला देंगे।

श्री विपिनपाल दास : अब तक, संयुक्त राष्ट्र संघ में छः भाषाओं को आधिकारिक तथा कामकाज की भाषा होने की मान्यता प्राप्त है। पांच भाषा आरम्भ से ही चली आ रही हैं। इसके ऐतिहासिक कारण हैं। उन लोगों और शक्तियों की भाषाओं को जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सहायता कि, तुरन्त मान्यता दे दी गई। आरम्भ से ही रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रैंच तथा स्पेनी भाषाओं को मान्यता दे दी गई। इस बार पिछले वर्ष ही केवल एक ही भाषा अरबी को और एक स्थान प्राप्त हुआ जो 19 राज्यों में बोली जाती है। अतः जैसे कि मैंने कहा.....

Shri Samar Guha: It does not depend on 19 states but on the strength of the population.

श्री बिपिनपाल दास : अरबी को भी कई वर्षों में सफलता प्राप्त हुई है। गत वर्ष ही उन्हें सफलता मिली है। यदि हमें किसी समय सफलता मिलती नजर आएगी, तब हम निश्चित ही प्रस्ताव करेंगे। जद कोई उचित अवसर तो नहीं दीखता तब प्रस्ताव लाने में कोई औचित्य नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृप्या शान्ति रखिये। कृप्या बैठ जाइये।

Shri Samar Guha: When it is justified, then why don't they try?

Shri D.N. Tiwary: The hon. Minister has just now said that Arabic is spoken in 19 states and therefore, they have succeeded only last year. But Chinese is spoken only in one country but it has been recognised since beginning. It has been given recognition because of the population. Population of India is slightly less to China. May I know whether the Government have made any attempt, any lobbying, any consultation to secure a place for Hindi in the United Nations?

श्री बिपिनपाल दास : चीन का प्रश्न अलग है। चीन संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। अतः आरम्भ से ही चीनी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त रही। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। हमारा अनुमान यह है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी।

Shrimati Savitri Shyam: Is it a fact that any attempt to secure a place for Hindi in the United Nations has not been made because it did not get any publicity in world newspapers?

Mr Speaker: What does it mean?

Shri Nurul Huda: Is it a fact that our ambassadors and politicians in foreign countries speak English and other foreign Languages and they do not speak in Hindi? The Government should try to see that our ambassadors and politicians, who visit United Nations and the capitals of other foreign countries, speak in Hindi also along with other languages. May I know the steps taken by the Government in this regard?

श्री बिपिनपाल दास : यह सच नहीं है कि विदेशों में हमारे मिशन हिन्दी के प्रचार के लिये प्रयास नहीं कर रहे हैं अथवा वे अपनी बातचीत हिन्दी में नहीं करते हैं। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, 39 देशों ने हिन्दी सीखने तथा हिन्दी की शिक्षा देने के प्रबन्ध किये हैं और 93 विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था है।

Shri R.P. Yadav: The hon. Minister has stated that the countries did lobbying for the recognised languages of the U.N.O. I want that Hindi should also be one of the recognised languages of the U.N.O. whether any lobbying has been done in this regard up to date, if so what have been the results? It has been repeatedly said that an assessment is being made and they would start lobbying on the basis of assessment. I want to know whether it has been started or not. Nepal, Mauritius, Fizi and many other countries will also cooperate in this regard.

श्री बिपिनपाल दास : हमने माननीय सदस्य की बातों को नोट कर लिया है और निश्चय ही हम उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। किन्तु उनकी जानकारी हेतु मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी अन्य भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता नहीं दी गई है। केवल एक भाषा को पिछले वर्ष उसके शतत प्रयासों के बाद मान्यता दी गई। हमारे आकलन के अनुसार, जो कि विभिन्न तरीकों से किया जाता है, यदि अब हम इसके लिये प्रयास करेंगे, तो हम सफल नहीं होंगे।

Shri R. P. Yadav: Mr. speaker, sir, answer to my question has not been given. The hon. Minister is again and again emphasizing on assessment. I want to know the basis of assessment?

Shri Piloo Modi: Mr. speaker, sir, I would like to know from the hon. Minister whether he will make a request for Hindi, Kannada, Tamil, Bengla, and Gujarati to be accepted as languages of the U.N.O. as we have been hearing these languages in our own Parliament.

बिपिनपाल दास : मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

दूसरे देश पर से उड़ानों के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत

*542. **श्री पी० गंगादेव† :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि दूसरे देश पर से उड़ानों के बारे में दिल्ली में बातचीत की जा सकती है;

(ख) क्या इस बीच बातचीत के लिये पाकिस्तान को प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिये कोई निमंत्रण दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत के निमंत्रण का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) से (ग) सिविल विमानन से संबन्धित मामलों पर 22 नवम्बर, 1974 को रावलपिंडी में सम्पन्न वार्ता की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें यह उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों की सुविधानुसार किसी तिथि को यह वार्ता दिल्ली में फिर जारी की जाएगी। इसके बाद हमने पाकिस्तान को यह अनौपचारिक सुझाव दिया है कि यदि पाकिस्तान के विदेश सचिव को सुविधाजनक हो तो इस विषय पर वार्ता के दूसरे दौर के लिये उनके दिल्ली आने का हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल के दिल्ली आने की सम्भावित तारीख की पुष्टि हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पी० गंगादेव: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान भारत के साथ विमान सम्पर्क बनाने और ऊपरी उड़ानों को कायम करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के प्रस्ताव पर रुचि नहीं दिखा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मामले को आगे बढ़ाने की इच्छुक है, यदि हां, तो सरकार किन शर्तों पर बातचीत करने के लिये तैयार है ? साथ ही क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में विचाराधीन पड़े अपने मुकद्दमे को वापिस लेने के लिये कहा जाएगा।

श्री बिपिनपाल दास: पिछली बार जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, पाकिस्तान दिल्ली में वार्ता जारी रखने के लिये वचनबद्ध है। प्रश्न केवल तिथि नियत करने का है और कोई शर्त नहीं है।

श्री पी० गंगादेव: चूंकि हमारे पड़ौसी देश बंगला देश की इसमें बहुत रुचि है, मैं यह जानना चाहता हूं कि विमान सेवाओं की ऊपरी उड़ानों को चालू करने के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसकी अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

श्री बिपिनपाल दास: इस मामले का बंगला देश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: इस बातचीत की प्रगति के अवरुद्ध होने के क्या कारण हैं। क्या विलम्ब का कारण वार्ता स्थल अथवा तिथि इत्यादि के नियत न हो पाने से संबन्धित है अथवा कोई और मुख्य बात है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लेकर यह बताने की कृपा करेंगे कि विवाद के मुख्य मामले क्या हैं विशेषकर अब जबकि पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है और जिस समस्या का सामना पहले पाकिस्तान के दोनों भागों को, जबकि नागरिक और सैनिक विमान वहां से होकर गुजरते थे, करना पड़ता था अब वह समस्या भी नहीं रही है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस गतिरोध को समाप्त करने तथा शीघ्र निपटारे हेतु क्या उपाय कर रही है।

श्री बिपिनपाल दास: माननीय सदस्य जानते हैं कि कब से ऊपरी उड़ानें रोक दी गईं और कब से विमान सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। केवल पिछले नवम्बर में ही हमने पहली बार इस विषय पर चर्चा की थी और प्रथम बैठक में अंतिम निर्णय पर पहुंचने की आशा कोई नहीं कर सकता।

हमने वह बैठक स्थगित कर दी और पुनः बैठक बुलाने का निर्णय किया । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पहली बैठक असफल हो गई और दूसरी बैठक बुलाने की जरूरत पड़ रही है । बैठकों का सिलसिला जारी है और अगली बैठक दिल्ली में होगी । मैं आशा करता हूं कि हम कुछ समझौता करने में समर्थ होंगे । चूंकि अभी वार्ता पूरी नहीं हुई अतः मैं वार्ता का ब्यौरा बताना उचित नहीं समझता।

श्री एस० ए० शमीम : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि ऊपरी उड़ानों को कल से समाप्त कर दिया गया । मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय को यह बात भी याद होगी कि यह सिलसिला तभी समाप्त हुआ जबकि एक 'फॉकर फ्रैंडशिप' विमान का अपहरण दो अपहरणकर्ताओं अशरफ और हाशिम कुरेशी द्वारा किया गया । क्या इस चर्चा के दौरान इन दोनों अपहरणकर्ताओं को देश में वापिस बुलाने तथा उन पर मुकद्दमा चलाने के प्रश्न को भी लिया गया था ।

श्री बिपिनपाल दास : यह प्रश्न चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया ।

श्री एस० ए० शमीम : इसे तो पहला प्रश्न होना चाहिए था ।

श्री बिपिनपाल दास : हम केवल ऊपरी उड़ानों और विमान सम्पर्कों को पुनः चालू करने पर विचार कर रहे थे । इन छोटे मामलों पर चर्चा नहीं की गई ।

नकली औषधियों के उत्पादन/वितरण/बिक्री के लिए उत्तरदायी विदेशी फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाना

*544. **श्री शशि भूषण :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकली औषधियों के उत्पादन, वितरण अथवा बिक्री के संबंध में अब तक कितने विदेशी व्यक्तियों/फर्मों पर मुकदमे चलाये गये हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मुकदमे राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और विदेशी फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है । प्रत्येक मामले में कानून और न्यायालयों के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

Shri Sashi Bhushan: Mr Speaker, sir, it is reported in the newspapers that adulteration of drugs is taking place on a large scale in the country. I just want to know what directives have the Central Government issued in this regard to the states so that we could meet this challenge on national basis that adulterated drugs manufactured in one state could not be sold in other states? Has any plan been formulated in this regard?

Dr. Karan Singh: Mr. Speaker, sir, in this connection we have advised all the State Governments to strengthen their Enforcement Directorate on drugs. There are not competent and qualified drug controllers in many states. Therefore, they cannot keep proper vigilance. Secondly, we are bringing forth some amendments in our present Drugs and Cosmetics Act. I hope these amendments will be brought forward in the next Session. Just as comprehensive amendments have been brought in regard to the food adulteration in the similar manner we intend to bring amendments in this Act to plug the loopholes of the Act.

Thirdly, laboratories are very essential for testing drugs, we have earmarked some amount for this purpose in the Fifth Five Year Plan period.

Shri Shashi Bhushan: I want to know the number of those foreign and Indian firms that have been black listed for manufacturing spurious drugs and how many companies have been penalised for it?

Dr. Karan Singh: At the moment the list is not available with me. As far as I know, the matter of spurious drugs is not as significant with foreign firms as the matter of prices etc. are. The manufacture of spurious drugs is mainly in small scale Industries. As present I have got figures up to 1973 only. So far we have not received figures from the states but prosecutions have been made. I am not at all satisfied. We have to act seriously in this matter. I fully agree with the hon. member and we are working in this direction.

श्री के० एस० चावड़ा: हाथी समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाईयों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है · · · (**व्यवधान**) मैं जानता हूं क्योंकि मैं उस समिति का सदस्य हूं। उस रिपोर्ट में नकली दवाईयों के उत्पादन को कैसे बन्द किया जा सकता है इस पर विचार किया गया है। सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है।

डा० कर्ण सिंह: जयसुख लाल हाथी समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है उसकी बैठक अभी भी हो रही है तथा उन्होंने कुछ और समय मांगा है। मैं कल श्री हाथी से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि यद्यपि उन्हें जनवरी तक प्रतिवेदन दे देना चाहिए था शायद उन्हें मार्च के दूसरे सप्ताह तक इसके लिए समय लग जाएगा। जैसे ही हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वास्तव में हमारा मंत्रालय और पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय इस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी: श्री के० एस० चावड़ा उस समिति के सदस्य हैं और वह यह भी नहीं जानते कि प्रतिवेदन पेश किया गया है अथवा नहीं।

श्री के० एस० चावड़ा: समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है। अन्तिम प्रतिवेदन जिसमें नकली दवाईयों के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है, अभी पेश करना बाकी है।

श्री पीलू मोदी: या तो मंत्री महोदय नहीं जानते या माननीय सदस्य नहीं जानते कि रिपोर्ट पेश की गई है अथवा नहीं।

डा० कर्ण सिंह: मुझे अभी कल ही समिति के सभापति मिले थे।

श्री पीलू मोदी: श्री चावड़ा भी समिति के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री चावड़ा, चूंकि आप उस समिति के सदस्य हैं। आप को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन: देश में नकली दवाइयों ने जो स्थिति उत्पन्न कर दी है वह निश्चय ही अत्यन्त गंभीर है। इसकी वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या कारण है कि सरकार उन नकली दवाइयों के निर्माताओं के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही नहीं कर रही है। इन लोगों को गिरफ्तार न करने और दण्ड न देने के क्या कारण हैं और उनके लॉइसेंसों को रद्द क्यों नहीं किया जाता।

डा० कर्ण सिंह : कुछ मौकों पर हमने गिरफ्तारियां भी की हैं और लाइसेंसों को भी रद्द किया है । उदाहरण के लिए कानपुर की ग्लुकोस वाली दुःखद घटना के सन्दर्भ में हमने जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया तथा उनके लाइसेंस भी रद्द किए । मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकारें अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं । हमने उन्हें बार-बार इस बात के लिए जोर दिया है और बताया है कि इन मामलों में सख्ती से और बहुत तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है ।

जहां तक श्री चावड़ा का प्रश्न है, मैं एक सुधार करना चाहता हूं । अभी मुझे बताया गया है कि समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया है । अब उनके अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

Closure of industries and workers unemployed as a result thereof

*537. **Shri M.C. Daga:** Will the **Minister of Labour** be pleased to state:

(a) whether several industrialists in the country close down the industries on the pretext of power shortage, and recession, as a result of which labour is thrown out of their jobs; and

(b) the steps taken by Government to ensure that the labour is not deprived of their jobs?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): (a) There have been representations to the Ministry of Labour that some industrialists have resorted to curtailment of production by closing third shift. This has led to workers being laid off. A number of workers have been laid off due to power shortage also. The Government does not subscribe to the view that there is recession.

(b) The Government is actively seized of the matter.

मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई में सुधार

*540. **श्री एस०एन० मिश्र**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन-किन अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) उपक्रम की खामियों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने मजागांव डाक लिमिटेड बम्बई के कार्यकरण की कोई जांच नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उगांडा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का गुजरात में पुनर्वास

*541. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा से स्वदेश लौटे तथा गुजरात में पुनर्वासित किये गये भारत-मूलक लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 30-9-1974 तक युगाण्डा से 10,028 प्रत्यावासी भारत आए। अनुमान है कि इनमें से 5,000 व्यक्ति (भारतीय पार-पत्र वाले लगभग 4,000 व्यक्तियों को मिलाकर) पुनर्वास के लिए गुजरात चले गए हैं। गुजरात में उनके पुनर्वास के बारे में गुजरात सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है । जैसे ही यह प्राप्त हो जाएगी सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है ।

विवरण

युगाण्डा से आने वाले प्रत्यावासियों को, जो भारतीय नागरिक हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, दी जाने वाली पुनर्वास सहायता का विवरण

भारत सरकार ने युगाण्डा से आने वाले प्रत्यावासियों के लिए, जो भारत-मूलक हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, एक पुनर्वास योजना स्वीकृत की है जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी । योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों पर लागू होने वाली शर्तों पर, व्यापार या व्यवसाय में पुनर्वास के लिए 5,000 रुपये तक व्यवसाय ऋण।

(ii) आवास सुविधाएं—शहरी क्षेत्रों में प्लाट खरीदने तथा उस पर मकान बनाने के लिए प्रति परिवार 4,100 रुपए के ऋण की सहायता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाट और मकान के लिए 2,050 रुपए की सहायता (जिसमें भूमि के विकास के लिए 600 रुपए का अनुदान शामिल है)। इसके अतिरिक्त, जहां स्वीकार्य हो, व्यवसाय-स्थान बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में 500 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपए का ऋण दिया जाता है।

(iii) 30 रु० प्रति सदस्य प्रति माह की दर से तीन महीने के लिए एकमुश्त पुनर्वास सहायता परन्तु इसकी कुल राशि 450 रु० प्रति परिवार से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

उक्त (i) और (ii) में वर्णित रियायतें केवल उन्हीं प्रत्यावासियों को देने का प्रस्ताव है जो अपने साथ 10,000 रु० की कीमत से अधिक की परिसम्पत्तियां न लाए हों जबकि उक्त (iii) में वर्णित रियायत उन प्रत्यावासियों तक ही सीमित रहेगी जो अपने साथ 2,000 रु० से अधिक की परिसम्पत्तियां न लाए हों ।

शैक्षिक सुविधाएं:

(क) दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 5 रु० से लेकर 100 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान ।

(ख) अंकों सम्बन्धी कुछ शर्तों पर हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 40 रु० से 60 रु० तक प्रति माह वजीफा यदि वे अपने परिवार से दूर होस्टल में रहते हों।

उपर्युक्त रियायतें तभी दी जाती हैं यदि मां-बाप की आय 250 रु० से अधिक न हो ।

रोजगार सुविधाएं :

सरकार ने, पूर्वी अफ्रीकी देशों से, जिसमें युगाण्डा शामिल है, आने वाले नागरिकों के लिए भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई आयु-सीमा की छूट आगे भी एक वर्ष के लिए अर्थात्, 31-12-1974 तक बढ़ा दी गई है । ऐसे पदों/सेवाओं पर भर्ती के लिए, जो संघ लोक सेवा आयोग के जरिए नहीं भरे जाते, ऐसे प्रत्यावासियों को, जो सरकारी सेवा में थे, रोजगार कार्यालयों के जरिए प्राथमिकता III दी जाती है ।

युगाण्डा से आने वाले प्रत्यावासियों को गुजरात सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता तथा सुविधाएं

(क) गुजरात सरकार द्वारा यह बताया गया है कि राज्य के अधीन बीस प्रतिशत रिक्तियां युगाण्डा से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित की गई है बशर्ते ये पद गुजरात लोक सेवा आयोग के अधिकार-क्षेत्र में न आते हों । योग्यताओं में उच्चित रूप से छूट दे दी गई है और आयु सीमा 45 वर्ष तक बढ़ा दी गई है । जिस तारीख से ये सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा में आते हैं उस तारीख से उनकी पेंशन, भविष्य निधि, छुट्टी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने स्वीकार कर ली है।

(ख) युगाण्डा से आने वाले प्रत्यावासियों को सरकारी सेवा और पंचायतों के अधीन सेवाओं में यथोचित अग्रता दी जाती है बशर्ते वे संबंधित भर्ती नियमों में दी गई योग्यताएं रखते हों । ऐसी ही तरजीह गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दी जा रही है ।

(ग) रोजगार कार्यालयों से युगाण्डा प्रत्यावासियों को उचित रिक्त स्थानों में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) गुजरात सरकार ने युगाण्डा प्रत्यावासियों को बाजार मूल्य पर, जो ब्याज रहित आसान पर वसूली किया जाएगा, आवास-स्थल देने का निर्णय लिया है ।

(ङ) नगर निगम और नगर पालिकाओं को भी उन्हें आवास-स्थल देने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं।

(च) सरकार ऐसे प्रत्यावासियों को भूमि का आवन्टन करेगी जो कृषि या नमक-बनाने के कार्यों में रुचि रखते हों।

(छ) युगाण्डा प्रत्यावासियों को फसल की जमानत पर फसल की ऋणों में प्राथमिकता दी जाती है।

(ज) गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने पूर्वी अफ्रीकी से आए प्रत्यावासियों को रियायती दरों पर औद्योगिक दुकानें और प्लाट आवंटित करने का निर्णय लिया है ।

(झ) गुजरात राज्य वित्त निगम ने इन प्रत्यावासियों को वे सभी रियायतें देने का निर्णय किया है जो रियायतें पंच महल, बड़ौच और सुरेन्द्र नगर जैसे पिछड़े क्षेत्रों को उपलब्ध हैं ।

(ञ) रुचि रखने वाले प्रत्यावासियों को उचित दर की दुकानें, आटो-रिक्शा और पावर लम आवंटित किए जा रहे हैं ।

(ट) गुजरात सरकार ने स्कूलों में दाखिले और चंगी एवं पत्तन प्रभारों से संबन्धित रियायतें भी घोषित की हैं ।

भारत की अफ्रीकी देशों को सहायता

*543. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों ने अपने विकास में सहायता देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इन देशों ने किस प्रकार की सहायता मांगी है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) अल्जीरिया, मिस्र, इथोपिया, घना, गिनी-बिसाऊ, गबोन, कीनया, लिबिया, मलावी, मारिशस, मोजंबीक, नाइजेरिया, सोमालिया, सुडान सेनेगल, तन्जानिया, जांबिया, जाईर आदि जैसे अनेक अफ्रीकी देशों ने अपने आर्थिक विकास में हमसे सहयोग मांगा है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है ।

(ग) तकनीकी सहायता, औद्योगिक, सहयोग तथा ऋण संबंधी सुबिधाओं के क्षेत्रों में हमसे सहयोग का अनुरोध किया गया है । अपने संसाधनों की सीमा में रहते हुए हम इन अनुरोधों का अनुकूल उत्तर देते हैं ।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

*545. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अब तक, प्रति मास, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार) 1960-100) क्या हैं और उनका 12-महीनों का मासिक औसत, महीनावार, क्या रहा है ; और

(ख) क्या आंकड़े संकलित करने में बहुत अधिक विलम्ब होता है, यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया है।

(ख) इस प्रकार के आंकड़ों के संकलन में कोई परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है।

विवरण

1960 = 100 आधार पर, औद्योगिक श्रमिकों सम्बन्धी अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मास/वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक				निम्न वर्षों को समाप्त होने वाली अवधि के लिये 12 मास का औसत			
	1971	1972	1973	1974	1971	1972	1973	1974
जनवरी		194	210	264		190.42	203.17	240.50
फरवरी		193	213	267		191.17	204.83	245.00
मार्च		194	216	275		192.00	206.67	249.90
अप्रैल		195	221	283		192.92	208.83	255.08
मई		196	228	294		193.92	211.50	260.58
जून		201	233	301		195.08	214.17	266.25
जुलाई		205	243	311		196.33	217.33	271.92
अगस्त		207	247	321		197.42	220.67	278.08
सितम्बर		208	248	334		198.42	224.00	285.25
अक्टूबर		209	254	335		199.50	227.75	292.00
नवम्बर	197	210	259		188.83	200.58	231.83	
दिसम्बर	195	210	260		189.58	201.83	236.00	

तस्करों की नौकाओं को पकड़ने के लिए पनडुब्बियों का प्रयोग

*546. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी तट और डुबाई तथा फ़ारस की खाड़ी के अन्य पत्तनों के बीच चलन वाली तस्करों की एक नौका को पकड़ने के लिये एक पनडुब्बी का प्रयोग किया गया था ;

(ख) तस्करों की पकड़ी गई नौका और उसमें से बरामद वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाया जा सका है कि उस नौका के मालिक और यात्री कौन-कौन हैं,

(घ) क्या तस्करों की इस नौका का प्रयोग कुछ भारतीयों की आस्तियों को बरास्ता फ़ारस की खाड़ी, स्विस बैंक में स्थानान्तरित करने के लिये किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) आई एन पनडुब्बी बागीर, बम्बई से दूर समुद्र में जब अभ्यास कर रही थी तो 19-11-74 को उसने दुबाई में रजिस्टर्ड एम एफ बी निगाहकरम नामक तस्करों की एक नौका को पकड़ा। वह जहाज लगभग 14 लाख रुपये मूल्य का कपड़ा और इलैक्ट्रानिक केलकुलेटिंग मशीन ले जा रहा था। जहाज को सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। कर्मीदल और जहाज को पकड़ लिया गया है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस मामले में आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

मध्य प्रदेश में फास्फेट निक्षेपों का निकाला जाना

*547. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अभी हाल में फास्फेट और अन्य खनिजों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इन खनिजों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इनमें से कुछ खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके राज्य में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) खनिजों का उपयोग करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) हाल ही के वर्षों में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राक फास्फेट तथा बालाघाट जिले में मालजखंड में तांबा अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का पता चला है।

(ख) मालंजखंड में समन्वेषी भूछिद्रण पूरा किया जा चुका है तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने एक रूसी एजेंसी के साथ मालंजखंड में एक खनन और सांद्रण कम्पलैक्स स्थापित करने के संबंध में व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक समझौता किया है। खनन के लिये व्यापक परियोजना रिपोर्ट वर्ष के अन्त तक तथा सान्द्रण और सहायक सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट सितम्बर, 1975 तक प्राप्त होने की आशा है।

झबुआ जिले में राक फास्फेट के लिये तीव्रता के साथ खोज कार्य किया जा रहा है ताकि भंडारों की मात्रा और ग्रेड के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके।

(ग) राज्य में एक उर्वरक कारखाना लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, जिस में कच्चे माल के रूप में झबुआ के राक फास्फेट का उपयोग किया जा सके।

(घ) राक फास्फेट की आवश्यक परिष्करण के बाद, बाजार में तत्काल मांग होगी किन्तु इन भंडारों को खुदाई की योजना भंडारों की पुष्टि हेतु किये जा रहे वर्तमान अन्वेषणों के पूरा हो जाने तथा परिष्करण विशेषताओं का पता लगाने हेतु आवश्यक परीक्षणों के बाद ही बनाई जा सकती है।

सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सैनिकों के लिये सुविधायें

*548. **श्री धनशाह प्रधान**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय हिन्दी दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय सैनिक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सैनिक उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठायें ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् । एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें मुजफ्फरनगर में भूतपूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में सैन्ट्रल कमांड के जी० ओ० सी०-इन० सी० ने कहा बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक, सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं शायद क्योंकि इन योजनाओं के बारे में उन्हें पूरी सूचना नहीं मिलती ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिय कि भूतपूर्व सैनिक सरकारी योजनाओं के अधीन उपलब्ध सुबिधाओं का लाभ उठायें निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :-

(1) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्अनुकूलन के लिये प्रशिक्षण योजनायें चलाई जा रहीं हैं ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन रोजगार के योग्य हों।

(2) अब से पहले और अधिक भूतपूर्व सैनिकों को सरकार की बिभिन्न रोजगार योजनाओं के लाभ अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिये सभी राज्यों में सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्डों को सशक्त बनाने के लिये प्रयत्न किय जा रहे हैं।

(3) सैनिकों को सेवा युक्त होने से पूर्व, सरकार की इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक सलाह दी जाती है।

श्रमिक ब्यूरो में क्षेत्रीय कर्मचारियों में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व

*549. **श्री धामनकर**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक ब्यूरो के इकोनामिक इन्वेस्टीगेटर ग्रेड I तथा ग्रेड II के क्षेत्रीय कर्मचारियों को आंकड़/एकत्र करदु/जांच पड़ताल करने के लिये देश के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत और लम्ब अवधि तक दौरा करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान क्षेत्रीय कर्मचारियों में कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, असम तथा जम्मू एवं काश्मीर का प्रतिनिधित्व या तो शून्य है अथवा तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है ; और

(ग) कार्यचालन दक्षता के हित में असन्तुलन हटाने के लिये क्या उपाय किये गय हैं अथवा किये जाने हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) आंकड़ों के एकत्रीकरण/छानबीन के लिये, अन्वेषकों को अधिकांशत: औद्योगिक क्षेत्रों का और कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है। आमतौर पर दौरे अल्प अवधि के लिये होते हैं, परन्तु यदि आवश्यक हो तो कभी-कभी ये दौरे लम्बी अवधि के लिए भी होते हैं।

(ख) भर्ती, अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, और किसी भी राज्य के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है।

(ग) ग्रेड-1 अन्वेषकों के दो तिहाई पद अखिल भारतीय आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के जरिये भरे जाते हैं। शेष एक तिहाई पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। नियमों के अनुसार ग्रेड-2 अन्वेषकों के संबंध में, रिक्त स्थान केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किये जाते हैं। जिन से विशेष रूप से यह अनुरोध पहले ही कर लिया जाता है कि जिन राज्यों को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, वे उन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम भेजें।

अमरीकी खान व्यापार मिशन का भारत का दौरा

*550. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अमरीका का एक बिशेष खान व्यापार मिशन दिसम्बर में भारत का दौरा करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोजन और उद्देश्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस दौरे का उद्देश्य भारतीय बाजार में अमेरिकी खनन, निर्माण तथा मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की बिक्री की संभावनाओं का पता लगाना था।

Special Grants to Bihar for Medicines

*551. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether medicines are not available in district headquarter and divisional/block headquarter level hospitals in Bihar State; and

(b) if so, whether Government propose to give any special grant to Bihar for medicines?

The Minister of Health & Family Planning (Dr. Karan Singh): (a) No such report has been received by the Central Government.

(b) The grant will follow the general pattern laid down for other states.

लद्दाख की ग्रामीण जनता के लिये स्वास्थ्य सेवा

*552. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की ग्रामीण जनता को इस समय पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या लद्दाख में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा-सुविधाओं को सुनिश्चिय करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जम्मू और काश्मीर सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार लद्दाख के ग्रामीण लोगों के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं :—

(1) अस्पताल 3

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3

(3) उप केन्द्र 2

(4) प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्र 2

(5) परिवार नियोजन केन्द्र 2

(6) एलोपैथिक औषधालय 16

(7) चल चिकित्सा एकक 2

(8) अमची केन्द्र (स्वदेशी पद्धति) 30

(9) चिकित्सा सहायता केन्द्र 40

(10) रतिरोग केन्द्र 1

(11) मोबाइल वैक्सीनेशन स्कवाड 1

(12) जन स्वास्थ्य सफाई दल 2

2. लद्दाख में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय बरतने का विचार है :—

(क) 7 अमची केन्द्रों को खोलना ।

(ख) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार करना ।

(ग) क्षय रोगियों के इलाज के लिए एक्सरे उपकरणों की खरीद करना

(घ) दो एलोपैथिक औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पूर्ण विकसित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना ।

(ङ) एक सहायक मैडिकल प्रशिक्षण स्कूल खोलना ।

(च) लेह और कार्गिल स्थित अस्पतालों में पच्चीस पच्चीस पलंगों वाले शिशु चिकित्सा वार्डों का खोलना ।

(छ) लेह और कार्गिल में अस्पताल के भवनों का निर्माण करना ।

(ज) पणिकर में स्टाफ क्वार्टरों के साथ-साथ औषधालय के भवन का निर्माण करना ।

(झ) लेह और कार्गिल स्थित अस्पतालों में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करना ।

Coverage of workers under E.S.I.S. in Gujarat

*553. **Shri P.G. Mavalankar:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of workers covered by the E.S.I. Scheme in Gujarat;

(b) whether complaints have been received from theworkers about the non-availability of medicines, drugs and injections resulting into no benefit from the said scheme; and

(c) if so, the steps Government are taking to remedy the situation?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:—

(a) 3,96,300.

(b) A complaint was received from Textile Labour Association, Bhadra in August 1974 regarding non-availability of some drugs in ESI dispensaries.

(c) The provision of medical care under the Employees' State Insurance Act, 1948 being the responsibility of State Governments, the complaint was referred to the State Government of Gujarat for remedial measures. The State Government have intimated that all efforts are made tos tock common medicines and where a particular drug is not available, the beneficiary is allowed to purchase it locally and the cost is re-imbursed to him.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

*554. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान दिल्ली में अनेक सड़क दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये दुर्घटनायें किस प्रकार की थीं ;

(ग) जन-धन को कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) दिल्ली में 1-6-74 से 30-11-74 तक 1863 सड़क दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) (क) में दिखाई गई दुर्घटनाओं में से 326 बिना चोट के, 1310 चोट वाली तथा 227 ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिनमें मृत्यु हुई ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 244 व्यक्ति मरे। सड़क दुर्घटनाओं के कारण संपत्ति की होने वाली क्षति के बारे में दिल्ली पुलिस कोई लेखा जोखा नहीं रखती ।

(घ) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(I) यातायात के अधिक सुप्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये सड़कों और सड़क चौराहों पर धीरे धीरे सुधार किये जा रहे हैं । 31-12-73 तक दिल्ली में 104 चौराहों की व्यवस्था की गई है और 147 स्थानों पर जलती बुझती बतियां लगा दी गई हैं। सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए और ऐसी बतियों की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(II) विशेष तौर पर जिन सड़कों पर अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, वहां यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से अधिक गति की जांच की जाती है और निर्धारित सीमाओं से अधिक गति से गाड़ी चलाने वालों चालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है । सिग्नलों का उल्लंघन, गलत तरफ से आगे निकलने, उचित सिग्नल दिये बिना मुड़ने आदि जैसे गलत चालन के अन्य मामलों की भी खोज की जाती है और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है ।

(III) सड़क प्रयोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की सड़क सुरक्षा हिदायतें देने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसे दृष्टि में रखते हुए सड़क सुरक्षा हिदायतें, भाषणों और प्रदर्शनों द्वारा स्कूली बच्चों को दी जाती है । बहुत से स्कूलों में सड़क सुरक्षा कोर संगठित की गई है, जहां कैडिटों को प्रारंभिक यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है । सड़क सुरक्षा चेतना उत्पन्न करने के लिए, यातायात अधिकारी विद्यार्थियों, अध्यापकों, व्यापारी गाड़ियों के चालकों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को भाषण देते हैं । सड़क सुरक्षा हिदायतें देने के लिए सामूहिक माध्यमों का भी विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है ।

पोर्ट ब्लेअर में चिकित्सा सुविधाएं

5131. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेअर में डाक्टरों की आपातकालीन स्थिति वाले सभी रोगियों को केवल अस्पताल में लाये जाने पर देखने के स्थान पर वहां नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के निवास में स्थान पर जा कर आपातकालीन मामलों में रोगियों को देखने की अनुमति देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : आपाती मामलों में जहां रोगियों को उनके घरों पर ही तत्काल इलाज की जरूरत रहती हो वहां ऐसी स्थिति में डाक्टरों से अनुरोध किया जाता है कि वे रोगी को उसके घर पर ही देख लें । जिन गम्भीर रोगियों के बारे में सूचना मिल जाती है उन्हें अस्पताल की गाड़ी से अस्पताल लाया जाता है । यहां पर इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद रहती हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को विशेष प्रोत्साहन/सहायता

5132. **श्री भारत सिंह चौहान**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन डाक्टरों को कुछ विशेष प्रोत्साहन/सहायता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिन्हें उनका अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक): (क) से (ग) गांवों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को आकर्षित करने के हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) गांवों और शहरों में काम करने वाले डाक्टरों का एक ही काडर बनाना ।

(2) देहात भत्ता, परिवहन सुविधाएं, निःशुल्क सजे सजाये क्वार्टर, साफ पानी, बिजली आदि जैसी सुविधाओं की एक मुश्त व्यवस्था ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भौतिक सुविधाओं में सुधार खासकर भवनों और रिहायशी मकानों के बारे में ।

(4) अग्रिम वेतन वृद्धि देना (गुजरात राज्य में)

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करना ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में कथित चोरी की घटनाएं

5133. **श्री शिव नाथ सिंह**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना के केन्द्रीय भंडार से चोरी के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली और उनकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या अब तक स्टोर के सामान की जांच पड़ताल किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की गई है और यदि हां, तो सामान की कमी के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सामान में काफी घोटाला है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों ने इसको छिपाने के लिए इसकी रिपोर्ट चोरी का मामला बना कर की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अभी तक केन्द्रीय भंडारों में चोरी के 5 मामलों की रिपोर्ट पुलिस को मिली है । ये मामले तांबे तथा पीतल की फिटिंगों आटोमोबाइल पुर्जों तथा बिजली के फुटकर सामान की चोरी से संबंधित हैं । इन चोरियों से संबंधित वस्तुओं का मूल्य लगभग 66,000 रुपए है । इन वस्तुओं का बीमा था तथा कम्पनी द्वारा बीमा के दावे किए जा चुके हैं ।

(ख) खेतड़ी तांबा परियोजना के भंडारों के स्टाक की जांच नियमित आधार पर की जाती है । इन भंडारों का लेखा परीक्षण कम्पनी के लेखा परीक्षकों तथा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा भी किया जाता है । ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताई गई हानि का पता स्वयं स्टोर के कर्मचारियों द्वारा लगाया गया था ।

(ग) ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है कि स्टोर में किसी प्रकार का गोलमाल है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लोक सम्पर्क विभाग में उड़िया अधिकारी

5134. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के लोक सम्पर्क के लोक विभाग में कोई उड़िया अधिकारी या उड़िया भाषा जानने वाले अधिकारी हैं,

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या प्रेस तथा जनता से बेहतर सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से लोक सम्पर्क विभाग में वरिष्ट पद पर उड़िया अधिकारियों की नियुक्ति करने का कोई विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

क्विलोन जिले में 'टिटेनियम पिगमेंट' परियोजना

5135. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में क्विलोन जिले में 'टिटेनियम पिगमेंट' परियोजना स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) प्रति वर्ष 48,000 टन टिटेनियम डाइआक्साइड पिगमेंट का निर्माण करने के लिए मैसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लिमिटेड क्विलोन जो राज्य सरकार का प्रतिष्ठान है, को एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

टिटेनियम डाइआक्साइड का निर्माण क्लोराइड प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा । परियोजना का प्रस्तावित निवेश 3250 लाख रुपये का है । इससे लगभग 1746 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । पश्चिमी जर्मनी, इंगलैण्ड आदि से विदेशी सहयोग तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल

5136. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): हिमाचल प्रदेश सरकार सैनिक स्कूल की स्थापना के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है । ऐसा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार भूमि का चयन करने तथा अन्य ब्यौरों पर विचार करने में व्यस्त है । राज्य सरकार का सम्यक प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी एसोसियेशन को सुविधाएं

5137. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यताप्राप्त एसोसियेशनों को अन्यत्र जो सुविधायें दी जाती हैं, वे सुविधायें अराजपत्रित कर्मचारी एसोसियेशन राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर को उपलब्ध नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी नहीं, ऐसी सभी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में श्रमिक संकट के कारण कारखानों को बन्द करना

5138. **श्री डी० पी० जदेजा**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में श्रमिक संकट के कारण वर्ष 1973-74 में कितने कारखाने बन्द हो गये;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मामले न्यायाधिकरण को सौंपे गये थे ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ङ) न्यायाधिकरण के पास अभी कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, 2 कारखानों, अर्थात् पटसन बर्नर इण्डस्ट्रीज, बुण्डलावो और अर्पन एगरो इण्डस्ट्रीज, गुण्डलावो, जिला वुल्मार 1973-74 के दौरान श्रमिक संकट के कारण बन्द हुए बताये गये हैं । राज्य सरकार द्वारा कोई मामला न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Indian Families Proceeded Abroad during 1971-72 and 1972-73

5139. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian families which proceeded abroad during 1971-72 and 1972-73, year-wise; and

(b) the period generally allowed by Government to Indians for stay abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) International passports are issued to individuals and not to families. No record of issue of passports on the basis of families is thus maintained;

(b) The passports are issued for an initial period of 5 years and can be renewed for another 5 years. The period of stay of the passport holders in foreign countries depends upon visas granted by foreign Governments and the Government of India have no say in the matter.

भारतीय चिकित्सक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाना

5140. **श्री भोला मांझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा प्रणालियां देश में तथा विदेशों में लोकप्रिय हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इनका और विकास करने तथा इनको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) देश में आजादी के बाद स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के विकास में काफी तेजी आई है । भारत सरकार ने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस बात का फैसला करें कि देश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ऐसी तैयार की जाएं जिसमें आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) और आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी सभी का योगदान हो । भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा कार्य करने तथा उनकी पढ़ाई के एक समान स्तर बनाये रखने के लिए भारतीय चिकित्सा

को केन्द्रीय परिषद् तथा आयुर्वेद, सिद्धु यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों तथा योग के मौलिक एवं व्यावहारिक विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारम्भ करने, इस कार्य में मार्ग दर्शन देने, उसका विकास करने तथा इन सब कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान को केन्द्रीय परिषद् का गठन किया है । आयुर्वेद के दो पूर्ण विकसित स्नातकोत्तर संस्थानों के अतिरिक्त, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान को सुविधाएं देने के लिए जिन 17 विभागों का दर्जा बढ़ाया गया है ऐसे विभागों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे स्नातक पूर्व कालेजों को शिक्षा के स्तर में सुधार करने, भवन निर्माण वनौषधि उद्यान और उपकरणों आदि को खरीद के लिए भी भारत सरकार सहायता दे रही है ।

Reactivation of old Copper Mines of Jhalawar (Rajasthan)

5141. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Jhalawar (Rajasthan) is known for its copper mines from the ancient times:

(b) whether pits and other signs showing mining of copper in the olden times are still present there; and

(c) the efforts being made to reactivate these copper mines so that this economically and industrially backward district of Rajasthan, which was known for many minerals in the olden times, may develop?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Ancient copper mines have not been reported from Jhalawar. Pits, trenches and shallow shafts, which are present in the area are perhaps the result of prospecting carried out by some private company during 1930, as reported by local people.

(b) From surface examination, it appears that pits and trenches have been put down in the area in olden times for prospecting for copper, but no evidences of ancient mining are found.

(c) The area was investigated by Geological Survey of India in 1953 and it was concluded that the occurrence was not economically important. In recent years (1971-72) the area was again examined by the Geological Survey of India. Geophysicac investigation has been recommended in the area and is proposed to be carried out before any drilling can be taken.

विलिंग्डन अस्पताल में अंतरंग रोगियों के लिए शैय्याएं

5142. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंग्डन अस्पताल, दिल्ली में 30 नवम्बर, 1974 को अंतरंग रोगियों के लिए कुल कितनी शेय्याएं थीं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान शय्याओं की संख्या में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) 730 ।

(ख) जी नहीं ।

गुजरात की कपड़ा मिलों में तीसरी पारी की समाप्ति

5143. **श्री सरजू पांडे**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में कपड़ा मिलों में तीसरी पारी की समाप्ति और उत्पादन में कटौती के कारण 25,000 मिल कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय को कुछ समय पहले टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें आरोप लगाया गया था कि अहमदाबाद में कई कपड़ा मिलों ने आंशिक रूप से अपनी तीसरी पारी बन्द कर दी और उत्पादन घटा दिया, जिस से कई कपड़ा मिल मजदूर बेरोजगार हो गए। उपलब्ध सूचनानुसार, कपड़े की उच्च कीमतों के होने के कारण खरीददारों के प्रतिरोध का कुछ प्रमाण है जिसके फलस्वरूप चल रही घरेलू मांग में कमी हो गई है। बताया गया है कि कुछ कपड़ा मिलों ने इस स्थिति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपनी तीसरी पारियां बन्द कर दी हैं जिससे श्रमिकों को कठिनाई हुई है। यह पता चला हैं कि कई कई मिलों ने अपनी मिल-बाह्य कीमतें पहले ही कम कर दी है।

सरकार उत्पादन और कीमतों को स्थिरता प्रदान करने और रोजगार को बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करेगी।

फेरो-मेंगनीज का उत्पादन

5144. **श्री पी० वेंकटासुब्बया**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेरो-मेंगनीज का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनका, कम्पनीवार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) फेरो-मेंगनीज का निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनका वार्षिक निर्यात कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार फेरो-मेंगनीज की निर्यात संबंधी नीति में कुछ परिवर्तन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(घ) क्या फेरो-मेंगनीज का निर्यात करने वाली कम्पनियों ने फेरो-मेंगनीज के निर्यात में कुछ अनियमितायें की हैं यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) फेरो-मेंगनीज का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम तथा उनका वर्ष 1973-74 और 1974-75 (सितम्बर, 1974/अक्तूबर, 1974 तक) का उत्पादन निम्नलिखित है :—

इकाई का नाम	1973-74 (टन)	1974-75 (टन)
1. फेरो अलायज़ कारपोरेशन लि०, गरीविडि, आंध्र प्रदेश	34,315	16,561 (अप्रैल-अक्तूबर, 1974)
2. मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती (स्थान-भद्रावती, कर्नाटक)	2,139	1,420 (अप्रैल-अक्तूबर, 1974)
3. दि दंदेली फेरो अलायज़ (प्रा०) लि०, दंदेली स्थान दंदेली, कर्नाटक।	8,947	3,312 (अप्रैल-सितम्बर, 1974)
4. यूनिवर्सल फेरो एण्ड अलायड लि०, बम्बई, स्थान कन्हन स्थान तमसर, (महाराष्ट्र)	36,981	18,062 (अप्रैल-सितम्बर, 1974)
5. खंडेलवाल फेरो अलायज़ लि०, बम्बई, स्थान कन्हन (महाराष्ट्र)	34,753	20,222 (अप्रैल-अक्तूबर, 1974)
6. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, बम्बई, स्थान जोडा (उड़ीसा)	17,573	18,730 (अप्रैल-सितम्बर, 1974)
7. जयपुर शुगर कं० लि०, मद्रास, स्थान-रायगाडा, (उड़ीसा)	1,081	5,319 (अप्रैल-अक्तूबर, 1974)
योग	135,789	83,626

(ख) फेरो मेंगनीज का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है।

(ग) फेरो मेंगनीज की निर्यात नीति में इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(घ) स्थिति के बारे में पता लगाया जा रहा है और अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल द्वारा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध

5145. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में हाल की बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार से तुरन्त ही वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) छटे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सड़कों को बाढ़ो द्वारा हुई क्षति की मरम्मत के लिये राज्यों को गैर योजना केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने हेतु कोई गुंजाइश नहीं है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का प्रश्न है, राज्य सरकार ने राज्य में हाल ही की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुए दो राष्ट्रीय राजमार्गों, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 17 की मरम्मत के लिये 19.57 लाख रुपये का अनुमान भेजा है। इस अनुमान की जांच के आधार पर इस रकम की स्वीकार्यता के अनुसार और समस्त देश के लिये ऐसे कार्यों के लिये उपलब्ध धन को दृष्टि में रखते हुए केरल में इस प्रयोजन के लिये आवश्यक धन के शीघ्र ही दिये जाने की संभावना है।

आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड

5146. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 29 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3966 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस में बिलम्ब के क्या कारण हैं तथा आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड, कछार, आसाम को दिये गये इस्पात का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त हो गई है और इस बारे में विचार किया जा रहा है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में अस्पताल पौली क्लीनिक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालयों की स्थापना

5147. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में जहां पर एक लाख से भी अधिक लोग रहते हैं; कोई अस्सपताल/चिकित्सालय या क्लिनिक नहीं है;

(ख) क्या इस नगरी में रहने वाले सैकड़ों सरकारी कर्मचारी इस समूचे क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये काफी जोर डालते रहे हैं तथा उक्त सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार वहां एक अस्पताल अथवा पोली-क्लिनिक या चेन/केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय स्थापित करने का है ताकि वहां के निवासियों की जरुरी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय 1-12-70 से नंगल राय में चल रहा है। जनकपुरी के सी० 3,

सी० 5 ए, सी०5 वी, सी० 6 बी और डी ब्लाकों को इस औषधालय से संबंध कर दिया गया है और वे वहां की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। जनकपुरी के ए तथा बी ब्लाकों और सी ब्लाक के कुछ सब-ब्लाकों को धन क अभाव के कारण अभी तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

(ख) से (घ) : जिन ब्लाकों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है वहां का कल्याण संघ उन क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने के लिये जोर डाल रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में जो ब्यौरा मांगा गया है वह अभी तक उस संघ ने नहीं भेजा है। दिल्ली/नई दिल्ली के बहुत से अन्य क्षेत्रों की तरह जहां पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं जनकपुरी के ब्लाकों को भी धन उपलब्ध होने पर इस योजना के अन्तर्गत ला दिया जायेगा।

दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्ति

5148. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और वर्ष 1974 के आरम्भ में दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में कितने विकलांग व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति स्नातक तथा कितने स्नातकोत्तर हैं ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों को सरकारी तथा अन्य रोजगार दिये गए हैं तथा उपरोक्त अवधि के दौरान उनमें कितने व्यक्तियों को अब तक उपयुक्त रोजगार मिले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष के आरम्भ में चालू रजिस्ट्रर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या:—

	1973	1974
1. योग : .	1085	1347
2. स्नातक (योग में सम्मिलित) . . .	159	236
3. स्नातकोत्तर (योग में सम्मिलित)	30	64

(ग) रोजगार कार्यालयों द्वारा 1972 के दौरान 4261 उम्मीदवारों और 1973 के दौरान 3835 उम्मीदवारों का सम्प्रेषण किया गया। रोज़गार में लगवाए गये उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है :—

कैलेंडर वर्ष	सरकारी	अन्य	योग
1972 .	163	2	165
1973 .	172	3	175
1974 (जून तक)	27	1	28

खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के क्षेत्राधिकार से फल उत्पाद आदेशों को छूट देना

5149. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के क्षेत्राधिकार से फल उत्पाद आदेश लाइसेंस धारियों को छूट देने के प्रश्न पर मंत्रालय विचार कर रहा है ;

(ख) क्या फल उत्पाद आदेश लाइसेंसधारियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के बारे में फल उत्पाद आदेश अधिकारियों के साथ कोई अन्तर मंत्रालयी सहमति हुई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : इस विषय पर खाद्य मानक को केन्द्रीय समिति ने जिसमें खाद्य विभाग भी शामिल है, विचार किया था । इस समिति ने सुझाव दिया है कि फलोत्पाद आदेश के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से संबंधित अधिकारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

पेन्नार नदी पर सड़क पुल

5150. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राज पथ संख्या 7 पर अनन्तपुर जिले के पामिड के निकट पेन्नार नदी पर सड़क पुल कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7 पर अनन्तपुर के निकट उप-मार्ग का कार्य आरम्भ हो गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) : धन की उपलब्धता पर काम की जून 1976 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

(ख) उप-मार्ग पर कार्य शुरू हो गया है ।

बड़े नगरों में केमिस्ट को दुकानों का 24 घंटे खुला रखना

5151 **श्री पीलू मोदी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने सुनिश्चित किया है कि महानगरों तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों की प्रमुख बस्तियों में केमिस्ट की कुछ दुकानें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानों के खुलने तथा बन्द होने के सामान्य घंटों के अलावा 24 घंटे तथा इतवार को भी खुली रहें; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस के लिए राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्दिष्ठ दुकानें सार्वजनिक हित के लिए सभी औषधियों का पर्याप्त स्टाक रखें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के 1970 में लागू हो जाने के फलस्वरूप अधिकांश निर्माताओं ने केमिस्टों और ड्रगिस्टों को पहले मिलने वाली व्यापार कमीशन में कमी कर दी थी जिसके फलस्वरूप रात के समय काम करने वाले केमिस्टों और ड्रगिस्टों ने रात्री सेवाएं बन्द करने का निश्चय कर दिया बतलाया जाता है । ऐसी रिपोर्टों के फलस्वरूप भारत के औषध नियंत्रक ने सभी राज्यों के औषध नियंत्रण आधिकारियों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन सभी केमिस्टों का सहयोग लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया था जिनकी काफी बिक्री हो और जिनके पास ऐसी सेवाएं बनाए रखने के लिए दवाइयां देने की काफी सुविधाएं हों । यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य के प्रमुख शहरों में कुछ खास-खास केमिस्टों से आग्रह किया जाय कि वे रात के समय दवा आदि देने की सुविधा जारी रखें । यदि सम्भव हो तो यह रात्री सेवा विभिन्न फर्मों अलग-अलग दिन पर बारी-बारी से चलाएं । उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि इन केमिस्टों के पास आपात काल में आम तौर पर जरूरत पड़ने वाली जीवन रक्षक औषधियों का काफी स्टाक रहे।

इस विषय पर 24 और 25 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुई और राज्य औषध नियंत्रकों की पिछली बठक में विचार-विमर्श किया गया था । विचार विमर्श के दौरान यह मालूम हुआ कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य कुछ हद तक इन सेवाओं को सफलतापूर्वक चला पाए हैं किन्तु अन्य राज्यों में कैमिस्ट और ड्रगिस्ट रात्री सेवाएं चलाने के लिए तैयार नहीं हुए । उन व्यापारियों को जो कठिनाइयां हो रही थी उन पर इस सम्मेलन में विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि रात्री सेवा चलाने के लिए केवल ऐसे ही कैमिस्टों को नियुक्त किया जाए जिनकी नेक-नियती राज्य औषध नियंत्रण आधिकारियों को सुविदित हो । अनिवार्य सेवाएं चलाने के लिए भी कुछ प्रोत्साहन इस सम्मेलन में सुझाए गये ।

पुनर्वास विभाग के गंगानगर एकक में पुनर्वास अधिकारी के पद के लिए क्षेत्राधिकार

5152. **श्री पन्नालाल बारुपाल**: क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० पी० (सी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अधीन केवल 6 मामले, जिन में पुनर्वास अधिकारी के रैंक का अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, अक्तूबर, 1974 के अन्त तक प्रबन्ध अधिकारी, गंगानगर के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) क्या ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए पुनर्वास अधिकारी के अधिकार प्रबन्ध अधिकारी, गंगानगर को प्रत्यायोजित किये गये थे;

(ग) क्या डी० पी० (सी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अधीन मामलों को छोड़कर गंगानगर एकक का समग्र कार्य प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है; और

(घ) वर्तमान मितव्ययता अभियान को ध्यान में रखते हुए उस एकक के लिए पुनर्वास अधिकारी रैन्क के उच्चतर पद का सर्जन करने की क्या आवश्यकता और औचित्य है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 31-10-1974 को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन 9 मामले तथा गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी अन्य 24 मामले प्रबन्ध अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में अनिर्णित पड़े थे ।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हाल ही में प्रबन्ध अधिकारी के पद के स्थान पर श्रीगंगानगर में बन्दोबस्त अधिकारी के पद का फिर से सृजन कर दिया गया था । यह विचार कर के कि यह उप-कार्यालय बहुत से बकायों की वसूली तथा राजस्थान सरकार से भूमि रिकार्ड के मेल-मिलाप जैसे अन्य आवश्यक कार्य करता है, इसमें बन्दोबस्त अधिकारी के पद के एक अधिकारी का होना आवश्यक है ।

चूंकि बन्दोबस्त अधिकारी का पद प्रबन्ध अधिकारी के स्थान पर मंजूर किया गया है इसलिए वित्तीय भार (2,000 रुपये प्रतिवर्ष) नगण्य है ।

युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन

5153. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मंत्री युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पम्पों के आवंटन के बारे में 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीलर के स्वामित्वधीन तथा डीलर द्वारा संचालित पेट्रोल-पम्पों के डीलरों का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण है;

(ख) पंजाब के गुरदास पुर जिले में पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए जिन पार्टियों के साथ साक्षात्कार किया गया उन के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुरदासपुर जिले में नौशेरा मज्जा सिंह के स्थान पर वर्ष, 1965 के भारत पाक युद्ध में मारे गए एक सैनिक अधिकारी के आश्रितों को जो कि साक्षात्कार के लिये आई पार्टियों में से एक थे, को पेट्रोल पम्प आवंटित करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है और वह एकत्र की जा रही है ।

जहाजों की वाणिज्यिक टन भार क्षमता

5154. **डा० के० एल० राव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जहाजों की वर्तमान वाणिज्यिक टन भार क्षमता क्या है और 6 वर्ष पूर्व क्या थी,

(ख) भूतपूर्व जयन्ती शिपिंग कम्पनी के जहाजों की 6 वर्ष पूर्व टन भार क्षमता कितनी थी और इसके शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में विलय के बाद कितनी है, और

(ग) एक वर्ष के दौरान भारतीय वस्तुओं को ले जाने के लिए कितनी टन भार क्षमता की आवश्यकता है और हम भारत में विदेशी नौवहन कम्पनियों को परिवहन के लिए कितनी धनराशि दे रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1-3-1968 को 19.07 जी आर टी 1-12-1974 को 35.69 लाख जी आर टी

(ख) 1968 में भूतपूर्व जयन्ती शिपिंग कम्पनी के जहाजों का टनभार 3.07 लाख जी० आर० टी० था । इस का 1-1-1973 को शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के साथ विलय हुआ और उस तारीख को जयन्ती शिपिंग कम्पनी के जहाजों का टन भार 2.95 लाख जी० आर० टी० था । 1-12-1974 को शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के जहाजों का टनभार 17.05 लाख जी० आर० टी० है ।

(ग) यह आशा की जाती है कि यदि 86 लाख जी० आर० टी० का पाचवीं योजना का परिचालनात्मक टनभार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो आशा की जाती है कि भारतीय नौवहन 100 प्रतिशत कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम का आयात तथा पश्चिम को अयस्क का निर्यात, जापान को अयस्क का 50 प्रतिशत निर्यात तथा देश के लाईनर व्यापार का उचित भाग उठा सकेगा । अभी हाल, एक वर्ष में विदेशों को भाड़े के रूप में दिये जाने वाली धन राशि सम्बन्धी सूचना एकत्रित करके यथा समय उसकी जानकारी दी जायेगी ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के जी० डी० ओ० डाक्टरों का वेतनमान निर्धारित करना

5155. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के जी० डी० ओ० डाक्टरों के वेतनमान निर्धारित करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन के ग्रेडों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को देय "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता" निर्धारित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसको कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न ग्रेडों के, जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के जी० डी० ओ०-I और जी० डी० ओ०-II की मौजूद श्रेणियां भी आ जाती है, संशोधित वेतन-मान वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 की अधिसूचना संख्या जी० एस आर० 413 (ई०) में पहले ही अधिसूचित और भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए जा चुके हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी नहीं । तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की संशोधित दरों के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना मेडिकल अफसर एसोसिएशन का अभ्यावेदन सरकार को मिल चुका है। इसके बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय लिए जाने की आशा है ।

जमाखोरी से निर्यात का डांवाडोल होना

5156. **श्री माधुर्य्य हालदार :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 8 अक्तूबर, 1974 को एक समाचार पत्र में 'कार्नरिंग लीड्स टू एक्स-पोर्ट फिएस्को' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टील एक्सपोर्टस् ऐसोसिएशन द्वारा की गई घोषणा के उत्तर में छड़ तथा गोल छड़ के निर्यात के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे । निर्धारित प्रणाली के अनुसार स्टील एक्सपोर्टस् एसोसिएशन ने उन सभी मामलों में जिनमें मूल्य संतोषजनक थे आशय पत्र जारी किए थे । पच्चीस मामलों में 20,629 टन मात्रा के लिए निर्यात लाइसेंसों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे । शेष आवेदन कर्ता विदेशी खरीददारों द्वारा साख पत्र नहीं खुलवा सके । उन में से कुछ ने बताया है कि दूसरे देशों की अत्यधिक होड के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य गिर गये हैं ।

Royalty on Laterite in M.P.

5157. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether a proposal to impose a royalty on laterite in Madhya Pradesh is under consideration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : No such proposal has been received from the Government of Madhya Pradesh or is otherwise under the consideration of the Central Government.

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

5158. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन के लिए सेवा नियम बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (घ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, संस्थान चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम सरकार द्वारा बकायदा अनुमोदित हैं । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप इस नियमावली में संशोधन करने तथा इसमें कुछ नये पदों को सम्मिलित करने के प्रश्न पर यह संस्थान विचार कर रहा है ।

दिल्ली में कस्टोडियन द्वारा मकानों तथा प्लाटों की नीलामी

5159. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और अक्तूबर, 1974 तक अलग-अलग दिल्ली में कस्टोडियन ने कितने मकानों तथा प्लाटों की नीलामी की है ;

(ख) क्या कई व्यक्तियों को दिल्ली के कस्टोडियन के पास राशि जमा करा देने पर भी मकानों अथवा प्लाटों को उन के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने राशि जमा करा दी है परन्तु जिन के नाम में अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) मकान और प्लाट मुआवज़ा पूल का भाग हैं और इनका निपटान कस्टोडियन द्वारा नहीं किया जाता बल्कि उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन शक्तियां सौंपी गई हों । एक विवरण, जिसमें 1972, 1973 तथा अक्तूबर, 1974 तक दिल्ली में नीलाम किए गए मकानों और प्लाटों की संख्या दी गई है, संलग्न है ।

(ख) और (ग) ऐसे 12 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्षेत्रीय बंदोवस्त आयुक्त के पास राशि जमा करा दी है लेकिन उन्हें अभी तक हस्तांतरण दस्तावेज़ जारी नहीं किए गए हैं ।

विवरण

	1972		1973		1974		योग	
	मकान	प्लाट	मकान	प्लाट	मकान	प्लाट	मकान	प्लाट
(i) सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियां.	—	43	2	121	—	17	2	181
(ii) निष्क्रान्त संपत्तियां	10	—	12	—	—	—	22	—

भारत को उर्वरकों की सप्लाई करने के लिये जापान को संयुक्त राष्ट्र मिशन का भेजा जाना

5160. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जैसे विकासशील देशों को, जो उर्वरकों की जरूरत महसूस कर रहे हैं ; अपने उर्वरकों की कुछ मात्रा की सप्लाई करने का अनुरोध करने के लिये राष्ट्र संघ ने एक अतिपाती मिशन जापान भेजा था ;

(ख) क्या उर्वरकों की सप्लाई करने के लिये भारत ने खाद्य तथा कृषि संगठन से भी कोई अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान जापान और अन्य देशों से भारत ने पृथक-पृथक कुल कितना उर्वरक प्राप्त किया ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) हमें ऐसे किसी मिशन की जानकारी नहीं है जो राष्ट्र संघ द्वारा जापान को भेजा गया हो । तथापि उर्वरकों की खरीद के लिये राष्ट्र संघ महासचिव-विशेष निधि से 70 लाख डालर प्रदान किये गय और उक्त राशि खाद्य तथा कृषि संगठन की विशेष सहायता योजना के अधीन भारत को उर्वरक की सप्लाई की व्यवस्था के लिये उन्हें सुपुर्द कर दी गई । यह ज्ञात हुआ है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने 1,01,060 जापानी येन (लगभग 341.42 डालर) प्रति मी० टन की दर से 20,500 मी० टन यूरिया के क्रयादेश दिये हैं ।

(ग) 1974 के दौरान जापान तथा अन्य देशों से इस प्रकार का कोई उर्वरक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस का आयात और उसे लौह अयस्क का निर्यात

5161. **श्री गजाधर माझी :**

श्री एन०ई० होरो :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस का आयात करने और उस देश को लौह अयस्क का निर्यात करने के बारे में भारत और पाकिस्तान की व्यापार वार्ता में कोई चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) नवम्बर, 1974 में दिल्ली में हुई भारत-पाक व्यापार वार्ता में पाकिस्तान से भारत द्वारा प्राकृतिक गैस के आयात के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई । पाकिस्तान ने भविष्य में भारत से लौह अयस्क आयात करने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की जोकि 30 नवम्बर, 1974 को हस्ताक्षरित प्रौतोकोल में उल्लिखित वस्तुओं में से एक है ।

जापान से उर्वरकों की सप्लाई

5162. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयक्त राष्ट्र ने भारत को उर्वरकों की सप्लाई करने के लिये जापान से अनुरोध किया था ;

(ख) क्या जापान राष्ट्र संघ की इस मांग से सहमत हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो अगस्त, 1974 के बाद से अब तक जापान ने भारत को कितना उर्वरक सप्लाई किया ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) पूर्ति विभाग द्वारा जापानी पूर्तिकर्त्ताओं को दिये गये ठेकों के अधीन जापान से माल की सप्लाई की जा रही है ।

गुजरात में भारत-ईरानी अल्यूमिना परियोजना

5163. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 90 करोड़ रुपये लागत से स्थापित होने वाली भारत-ईरान को संयुक्त अल्यूमिना परियोजना में शामिल होने के लिये गुजरात सरकार ने अपनी इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छुक नही है, बल्कि इसकी स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) ईरान को एल्यूमिना की पूर्ति करने के लिये गुजरात में एक एल्यूमिना संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । सम्पूर्ण परियोजना की वित्त व्यवस्था हेतु ईरान से भारत सरकार को ऋण मिलने की आशा है । ईरान से बातचीत करने के बाद विस्तृत शर्तों को अभी तय किया जाना है ।

(ख) जी नहीं । इस परियोजना के कार्य में भाग लेने वाली एजेन्सियों के बारे में तय करने की स्थिति अभी नहीं आयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक सेना को सशक्त बनाना

5164. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रादेशिक सेना को सशक्त बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अगले तीन वर्षों में प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों की कार्यकरण की स्थिति में कोई सुधार हुआ है, और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रादेशिक सेना पर कितना खर्चा हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) यद्यपि प्रादेशिक सेना की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है, तथापि नियमित प्रशिक्षण के द्वारा उसमें गुणात्मक सुधार लाए गए हैं ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप सैनिक कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार हुआ है । इसका लाभ प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को भी मिलेगा, जो सैनिक या सिविल वेतनमान में से जो भी अधिक हो, उसे लेने के हकदार हैं ।

(ग) 11,33,14,925.00 रुपए ।

व्यापार और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी संयुक्त समिति के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए भारत और चेकोस्लोवाकिया के दलों के बीच बैठक

5165. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिकी और विज्ञान सहित व्यापार और तकनीकी सहयोग संबंधी संयुक्त समिति के विभिन्न ग्रुपों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए अभी हाल में नई दिल्ली में भारत और चेकोस्लोवाकिया के सरकारी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की पांचवी बैठक के दौरान नई दिल्ली में 20 से 28 नवम्बर, 1974 तक भारत-चेकोस्लोवाकिया विशेषज्ञ प्रतिनिधि मण्डलों की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने व्यापार विनिमय एवं आर्थिक सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अद्योग, और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यकारी दल नियुक्त किये थे।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने विचार-विनिमय के बाद परस्पर लाभदायक व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के एक द्वि-वार्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर, इलेक्ट्रानिक्स और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में उत्पादन सहयोग और व्यापार विनिमय पर, भारत में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से चलाये जाने वाली परियोजनाओं के पूर्णतर उपयोग पर बल देते हुए, सहमति हुई।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० में प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करना

5166. **श्री समर मखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० कानपुर में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों को सरकार ने रोजगार उपलब्ध कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड अप्रेन्टिसों को अप्रेन्टिस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रशिक्षण देता है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अप्रेन्टिसों के साथ किए गये ठेके की शर्तों के अनुसार नौकरी के मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से बन्धन नहीं है। तथापि रिक्त स्थानों के उपलब्धता और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में प्रशिक्षण कुछ अप्रेन्टिसों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग में समाप्त कर लिया गया है।

सैन्य उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिभरता प्राप्त करना

5167. **श्री मधु लिमये**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हम विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं;

(ख) क्या कुछ उपकरण अब भी सोवियत संघ से आयात किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त आयात कब तक जारी रहेगा; और

(घ) क्या सोवियत संघ से बैरलों तथा अन्य कल-पुर्जों की सप्लाई में कोई कठिनाई अनुभव हुई है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) आर्टीलरी के क्षेत्र में रक्षा उत्पादन आत्म-निर्भरता की ओर लगातार प्रगति कर रहा है । हल्की आर्टीलरी में नामतः माउंटेन गन, एण्टी एयर क्राफ्ट गन तथा एण्टी गन बैंक में पहले से ही आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है। मझोली आर्टीलरी के क्षेत्र में इण्डियन फील्ड गन का निर्माण स्थापित किया जा चुका है।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) यह कह सकना सम्भव नहीं है कि किस अवधि तक आयात कार्य चालू रहेगा।

(घ) जी नहीं श्रीमन्।

इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा औषध नीति के परिवर्तन के बारे में दिया गया सुझाव

5168. **श्री एम० कल्यानसुंदरम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वर्तमान औषध नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ तो उस परिवर्तन का क्या स्वरूप है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी में जीव-विज्ञान का अन्वेषण

5169. श्री एन०ई० होरो :

श्री जी०वाई० कृष्णन् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी तथा पुनर्जनन जीव विज्ञान अन्वेषण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) भारत सरकार गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी तथा जनन-जीव विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, तीनों संस्थानों के तत्वावधान में हो रहे अनुसंधान कार्य के लिए नियमित रूप से धन और प्रोत्साहन देती आ रही है।

देश में जनन-जीव विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित उल्लेखनीय अनुसन्धान किये गये हैं। किन्तु वे अभी परीक्षणात्मक चरण में ही हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अपनाये जाने के लिए तैयार नहीं हो पाये हैं।

(क) केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ में "सेंटक्रोमेन" नामक एक खाया जाने वाला गर्भनिरोधक तैयार किया गया है। अब व्यक्तियों पर इसकी सुरक्षा, स्वीकार्यता और प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में "सेंटस्क्वेयर" नामक एक अन्य तरीका निकाला है जिसका प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जा सकता है। मार्गदर्शी आधार पर इसका अभी परीक्षण किया जाना है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणि-विज्ञान विभाग में पुरुषों के लिए "साइप्रोटेरोन एसेटेट" नामक एक गर्भनिरोधक तैयार किया है। इसे खाने से पुरुषों में अस्थायी रूप से बन्ध्यता उत्पन्न हो सकती है। जानवरों पर इस का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान में विश्व स्वास्थ्य संघ की सहायता से इस पर आगे परीक्षण किए जा रहे हैं।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में किए गये परीक्षणों से पता चला है कि उन्होंने एक किस्म के चूहों के अपर (प्लेसेंटा) से एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है जिसे जब उसी

जाति के अन्य चूहों को दिया गया तो उनके अनवर्ती गर्भाधान में अपरा का निर्माण नहीं हुआ। इस निष्कर्ष के आधार पर मानवीय अपरा से एक वैक्सीन इस आशा से तैयार की गई है कि मनुष्यों पर इस वैक्सीन का वैसा ही प्रभाव होगा। मनुष्यों पर अभी तक इस वैक्सीन का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। तथापि, यह कार्य अभी चल रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में मनुष्यों पर इसके परीक्षण शुरू किए जायेंगे।

(ङ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में जननक्षमता नियंत्रण के लिए एक इम्यूनालोजी पद्धति को ढूंढ निकालने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसका प्रयोग या तो गर्भ समाप्त करने या डिम्बक्षरण के पश्चात् गर्भ रोकने, दोनों तरीकों से किया जा सकता है; बन्दरों पर इसके परीक्षण किये जा रहे हैं।

(च) नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों की शुक्र नलिका को पुनः जोड़ने की एक नई विधि तैयार की गई है।

(छ) इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इन रिप्रोडक्शन, बम्बई में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए एक प्रेगनेन्सी किट तैयार की है जिससे गर्भाधान की अवस्था शुरू होने का पता लगाने में सहायता मिलती है।

(ज) आयुर्वेदिक और होम्योपैथी औषधियों पर अनुसंधान कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इस संबंध में अनुसंधान करने के लिए परिवार नियोजन विभाग द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् को वित्तीय सहायता दी गई है। इस परिषद् ने "विडंग" और "जपकुसुम" नामक दो औषधियों के गुणों की जांच की है। इन दोनों औषधियों में जननक्षमता-रोधी तत्वों का पता चला है और इन पर व्यापक अध्ययन किए जा रहे हैं। कतिपय जननक्षमता-रोधी होम्योपैथिक औषधियों पर भी बनारस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए जा रहे हैं।

बीड़ी और सिगार अधिनियम, 1966 का संशोधन

5170. श्री एम० एस० पुरती :

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1966 के बीड़ी और सिगार अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधान प्रस्तुत करने का है ताकि बीड़ी उद्योग में ठेका प्रणाली तथा शिशु श्रम को समाप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कब और

(ग) क्या बीड़ी श्रमिकों के लिए एक कल्याण निधि बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं। बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) अधिनियम, 1966 पहले ही ठेका प्रणाली को विनियमित करता है तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

बंगलौर में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

5171. श्री के० मालन्ना :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों के लिये कितने व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र दिये हैं;

(ख) क्या सरकार का बंगलौर में एक क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक से पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है :—

1971	4,466
1972	4,753
1973	6,198
कुल .	15,417

(ख) और (ग) बंगलौर में पासपोर्ट जारी करने का कार्यालय खोलने के लिए मैसूर चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री का प्रस्ताव कर्नाटक सरकार ने सिफारिश के साथ भेजा था। इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया जिसमें एक कार्यालय को रखने पर आने वाले खर्चे और काम की मात्रा पर ध्यान दिया गया और यह पाया गया कि बंगलोर में फिलहाल अलग से एक कार्यालय खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में काम नहीं है। जब कभी काम की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि कार्यालय का औचित्य सिद्ध हो सकेगा इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उसकी समीक्षा निरंतर की जाती रहेगी।

बिजली के संकट तथा अन्य कारणों से श्रमिकों की जबरी छुट्टी

5172. श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में बिजली की कमी तालाबन्दी, कच्चे माल के अभाव तथा अन्य कारणों से प्रत्येक राज्य में कितने श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई तथा कितने श्रमिकों को छंटनी की गई है; और

(ख) ऐसे श्रमिकों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद वह सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

सरकारी स्टोरों द्वारा औषधियों पर खर्च की गई धनराशि

5173. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी, हैदराबाद और करनाल स्थित पांच सरकारी स्टोरों द्वारा प्रति वर्ष औषधियों पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं और इस से लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश विदेशी कम्पनियों को दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों से खरीदी गई अधिकांश औषधियों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी इस्पात कारखानों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जाना

5174. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल० द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है जिसमें 10–20 प्रतिशत राख होती है;

(ख) क्या इस प्रकार के घटिया किस्म के कोयले के निरन्तर प्रयोग का इस्पात कारखानों की धमन भट्टियों और कोक भट्टियों पर अवश्य बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस्पात कारखानों द्वारा घटिया किस्म का कोयला स्वीकार किये जाने के कारण जानने का प्रयास किया है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि उसकी किस्म में सुधार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान में मिराज किस्म के बमवर्षक विमानों का निर्माण

5175 **श्री० बी आर० शुक्ल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि चीन सरकार पाकिस्तान में मिराज किस्म के बमवर्षक विमानों का निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने जा रही है;

(ख) क्या पाकिस्तान फ्रांस और साऊदी अरब से विभिन्न प्रकार के बमवर्षक विमानों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

(ख) पाकिस्तान मिराज प्रकार के वायुयान फ्रांस से प्राप्त करता रहा है। सरकार को, पाकिस्तान के द्वारा साऊदी अरब से वायुयान प्राप्त करने के संबंध में, कोई सूचना नहीं है।

(ग) रक्षा संबंधी उपायों की योजना तैयार करते समय, हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर में नियुक्तियां

5176. **श्री इंद्रजीत गुप्त**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के चेयरमैन, एक्जीक्युटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वर्क्स मैनेजर आदि के पदों पर कोई नई नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम और अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) क्या उनमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सरकार द्वारा इस कम्प नी को अपने नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व इसके कार्यकारी पदों पर नियुक्त थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम 1972 के उपबन्धों में हाल में किए गये आशोधन के अनुसार इस कम्पनी के लिए एक प्रबन्ध मंडल का गठन किया गया है। संशोधित अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध मंडल का अध्यक्ष तथा कम्पनी में एक प्रशासक की नियुक्ति करने की व्यवस्था है। 5 अगस्त 1974 से हिन्दुस्तान स्टील लि० के अध्यक्ष श्री एच० भाया को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा कम्पनी के प्रबन्ध मंडल का अध्यक्ष तथा प्रशासक भी नियुक्त किया गया है।

कम्पनी में एग्जीक्युटिव डायरेक्टर का कोई पद नहीं है।

श्री सोरिन चटर्जी को हाल में कम्पनी के बर्नपुर इस्पात कारखाने का महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है। बर्नपुर कारखाने के भूतपूर्व सहायक महाप्रबन्धक श्री पी० आर० महं को वर्क्स मैनेजर नियुक्त किया गया है। श्री पी० पुजारी को कम्पनी के कुल्टी कारखाने का वर्क्स मैनेजर नियुक्त किया गया है। सर्वश्री सोरिन चटर्जी तथा महं 20 वर्ष से अधिक समय से कम्पनी की नौकरी में हैं। श्री पुजारी का भी इस्पात उद्योग का काफी लम्बा अनुभव है।

मुगल लाइन्स द्वारा बम्बई-कोंकन-गोआ मार्ग के किराये में वृद्धि

5177. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकन परिषद् ने इस वर्ष में मुगल लाइन्स द्वारा बम्बई-कोंकन-गोआ मार्ग पर यात्री किरायों में भारी वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली अन्य तटवर्ती सेवाओं के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो मुगल लाइन्स द्वारा इतनी अधिक वृद्धि किये जाने का क्या औचित्य है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कोंकन परिषद् ने एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया गया है कि कोंकन तटीय सेवा के यात्रा किराये में वृद्धि समुदाय के अधिक निर्धन वर्ग के लिए असह्य होगी जोकि मुख्य रूप से इस सेवा का उपयोग करता है और यह भी कि यदि मुगल लाइन लिमिटेड को हानि हो रही है तो सरकार को इसे वित्तीय सहायता देनी चाहिए। परिषद् ने यह भी बताया है कि अधिक तेज और नये जहाज लगाये जायें और उपयुक्त पत्तन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाये।

(ग) हाल ही में किरायों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) सरकार ने यात्री सेवा का नवम्बर, 1973 में मैसर्स चौगुले स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड से अपने अधिकार में लिया और उसे "न लाभ न हानि" आधार पर चलाने के लिए मुगल लाइन लिमिटेड को सौंप दिया। 1974-75 के दौरान मुगल लाइन लिमिटेड को इस सेवा के कारण काफी निवल हानि हुई और जिसके आगे भी होने की सम्भावना थी। चूंकि सेवा को "न लाभ न हानि" आधार पर चलाया जाना है और कम्पनी की अन्य मुख्य सेवाओं अर्थात् हज यात्री यातायात और तटीय व्यापार परिचालन लाभप्रद नहीं है। अतः सेवा को व्यवहार्य बनाने के लिए किराये को बढ़ाना पड़ा।

पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर हुई मुठभेड़ों में मारे गए सैनिक कर्मचारी

5178. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान-भारत सीमा पर मुठभेड़ या आक्रमण के कारण कोई जवान या रक्षा कर्मचारी मारा गया या घायल हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या जनवरी, 1973 के बाद भारत-चीन सीमा पर कोई रक्षा कर्मचारी मारा गया था घायल हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) और (ख) 2 जुलाई, 1972 जबकि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 12 दिसम्बर, 1974 के बीच पाकिस्तान द्वारा सीमा उल्लंघनों के परिणाम-स्वरूप 9 सेना कार्मिक मारे गए और 33 सेना कार्मिक घायल हुए।

(ग) जी नहीं श्रीमन्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग भवन से कृष्ण नगर, दिल्ली को आने-जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रद्द किया जाना

5179. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग भवन से कृष्ण नगर, दिल्ली-51 और कृष्ण नगर, दिल्ली–51 से उद्योग भवन जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की कुछ स्पैशल बसों को रद्द कर दिया गया है और शेष को रद्द करने का विचार है;

(ख) क्या ये बसें कभी भी समय पर नहीं चलाई जाती; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं मार्ग संख्या 20 पर कृष्ण नगर से उद्योग भवन को तीन विशेष फेरे लगाये जाते हैं और ये प्रातः 8.40, 9.20 तथा 9.40 पर चलती हैं। दो फेरे विपरीत दिशा में उद्योग भवन से कृष्ण नगर को सायं 5.30 तथा 6.10 बजे पर लगाये जाते हैं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इन विशेष फेरों को चलाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है परन्तु शेड से विलम्ब से निकलने के कारण कभी कभी ये विशेष फेरे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं लग पाते। कृष्ण नगर निवासी 12 और मांगों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें मार्ग संख्या 320 की सुगम सेवा शामिल है इसमें से कुछ सेवाएं केन्द्रीय सचिवालय/ उद्योग भवन तक चलती हैं और कृष्ण नगर के निवासी 20 नम्बर की बसें न आने पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

बागान श्रमिकों के लिए मकान बनाना

5180. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को बागान श्रमिकों के लिए मकान बनाने चाहिये और यदि बागान मालिक अपने सांविधिक उत्तरदायित्व को पूरा न करें तो उनकी कीमत बागान मालिकों से वसूल की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी नहीं । तथापि ऐसे एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"स्पायरली-वैल्डिड पाइप प्लांट"

5181. **श्री डी० बी० चन्दगौडा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल, गैस और पानी के परिवहन के लिये प्रयोग किये जाने वाले इस्पात पाइप बनाने हेतु एक 'स्पायरली वेल्डिड पाइप प्लांट', लगाने का है,

(ख) यदि हां, तो प्लांट की अनुमानित लागत और क्षमता क्या होगी, और

(ग) उपकरणों का आयात किस देश से किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेवप्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोजन पर 15.3 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है प्रस्तावित कारखाने की स्पायरली वैल्डिड पाइप तैयार करने की वार्षिक क्षमता 55,000 टन होगी। इस कारखाने में 14" से 60" व्यास के पाइप तैयार किये जायेंगे। पाइप की चद्दर की मोटाई 10 मि०मी० तक होगी।

(ग) आयात किये जाने वाले संयंत्र और उपस्करों की सप्लाई के लिए पश्चिम जर्मनी की एक फर्म को आर्डर दिया गया है।

मजदूरों और कार्मिक संघ नेताओं की पूर्ण सुरक्षा

5182. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अक्तूबर, 1974 को पश्चिम बंगाल राज्य श्रमिक सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिए गए इस निर्णय की सरकार को जानकारी है कि मजदूरों और कार्मिक संघ नेताओं पर किए जाने वाले हमलों को तुरन्त रोका जाये और किसी भी कर्मचारी को अपने कार्य स्थल पर जाने से जबरदस्ती न रोका जाये और कार्मिक संघ नेताओं और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला राज्य परिक्षेत्र में आता है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट नीचे उद्धृत की गई है :—

"19 अक्तूबर, 1974 को श्रम मंत्री की ट्रेड यूनियन नेताओं जिन्हें राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त था, के साथ हुई बैठक का मतैक्य नीचे उद्धृत किया गया है :—

1. यह बैठक सर्वसम्मति से श्रमिकों और ट्रेड यूनियन नेताओं पर हुए हमलों और बल प्रयोग द्वारा ट्रेड यूनियनों पर किये गए कब्जे की निन्दा करती है।

2. जिन श्रमिकों को, उनके नियंत्रण से परे कारणों की वजह से जबरी अनुपस्थिति के लिए उन के नियोजकों द्वारा बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति के नोटिस दिए गए हैं उनका अपनी सेवाओं में अपना लियन बना रहना और उन्हें अपने अपने पदों पर बहाल किया जाना चाहिए और सेवा समाप्ति या बरखास्तगी के आदेश, यदि कोई हों तो रद्द किए जाने चाहिएं।

3. यूनियनों के उन कार्यालयों को, जिन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, तत्काल खाली कर दिया जाना चाहिए और पहले की यूनियनों के प्रतिनिधियों को उन यूनियन कार्यालयों में काम करने देना चाहिए।

4. श्रमिकों और ट्रेड यूनियन नेताओं पर शारीरिक आक्रमण तत्काल बंद किया जाना चाहिए और किसी भी श्रमिक को अपने-अपने काम के स्थान पर कार्य के लिए उपस्थित होने से शारीरिक रूप से रोका नहीं जाना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों को ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

ऊपर मद संख्या 4 पर उद्धृत किए गए मतैक्य की कार्यान्विति मुख्यत: ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की स्वयं अपनी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के विधि और व्यवस्था संबंधी प्राधिकारी, ट्रेड यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए हमेशा उसी प्रकार उचित कदम उठाते हैं जैसे कि वे राज्य के अन्य सभी निवासियों के संबंध में उठाते हैं।

पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा फफूंद की विषाक्तता के बारे में अनुसंधान

5183. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली एस्पर्जिलस फलेब्स नाम से पुकारे जाने वाली फफूंद की विषाक्ता और जीव विज्ञान और कीटाणु युद्ध में इसकी क्षमता के बारे में अनुसंधान कर रहा है;

(ख) क्या इंस्टीट्यूट को उस प्रयोजन के लिये अमरीकी कृषि विभाग से अनुदान प्राप्त हो रहा है; और

(ग) क्या अनुसंधान प्रतिवेदन नियमित रूप से अमरीका भेजे जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : एस्पर-गिलस-फ्लैक्स नामक फफूंद की विषाक्तता के बारे में जैसे बाजरा और रागी आदि जैसे अनाज खराब हो जाते हैं, वल्लभभाई पटेल वक्षरोग संस्थान, दिल्ली अनुसंधान कर रहा है। जैविक और रोगाणुओं संबंधी संघर्ष में इसकी कोई प्रत्यक्ष क्षमता नहीं है।

(ख) और (ग) इस परियोजना के लिए यह संस्थान अनुदान कृषि मंत्रालय के जरिये प्राप्त करता है और इसके बारे में जो रिपोर्ट होती हैं वे उस मंत्रालय के साथ-साथ अमरीका के कृषि विभाग को भी भेजी जाती हैं।

ईरान तथा अन्य देशों को लोह अयस्क निर्यात करने के लिए नया मंगलौर पत्तन

5184. **श्री पी० आर० शिनाय**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख से ईरान तथा अन्य देशों को "फैलेट फीड" के रूप में लौह-अयस्क का निर्यात करने के उद्देश्य से नये मंगलौर पत्तन को गहरा करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) नये मंगलोर पतन को और गहरा करना कुद्रेमुख अयस्क के काम में लाने के निर्णय पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हज यात्रियों के लिये चिकित्सा सुविधायें

5185. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सऊदी अरब में हज करने की अवधि के समय हज की यात्रा के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गयी चिकित्सा सुविधायें संतोषप्रद नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो हज की यात्रा के दौरान मक्का, मदीना तथा मिन्हा जाने वाले भारतीय हज यात्रियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि हमारे हज यात्रियों को चिकित्सा सुविधायें बराबर मिला करें।

डियागो गरशिया द्वीप में अमरीकी सैनिक अड्डा बनाये जाने का हाउस कमेटी द्वारा समर्थन

5186. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाउस कमेटी ने अमरीकी प्रशासन के हिन्द महासागर के डियागो गर्शिया द्वीप में सैनिक अड्डा बनाने के प्रस्ताव को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया है कि भारत का परमाणु परीक्षण एक गंभीर घटना है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अमरीकी प्रशासन को भारत की प्रतिक्रिया बताने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सरकार ने सदन की विनियोग समिति की रिपोर्ट देखी है जिसमें दूसरी बातों के अलावा भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण पर आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है। यह रिपोर्ट समिति के विचारों को प्रतिबिंबित करती है और यह नहीं समझना चाहिए कि यह रिपोर्ट अमरीकी प्रशासन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राजदूतावास द्वारा बराबर इस बात की कोशिश की जाती है कि अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों और प्रशासन के सामने सही स्थिति प्रस्तुत की जाए।

Opening of Homoeopathic Ayurvadic and Unani Medicine Centres

5187. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether the All India Institute for Research in Ayurvedic, Homoeopathic and Unani medicines under his Ministry have taken a decsion to open some centres ;

(b) if so, whether any decision has been taken in regard to places where these centres will be opened : and

(c) the basis on which the decision has been taken by the Centre ?

The deputy Minister in the Ministry of Health and Famiiy Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) There is no such institute as "All India Institute for Research in Ayurvedic, Homoeopathic and Unani medicines" under the Ministry of Health and Family Planning.

(b) **and** (c) : Questions do not arise.

Expenditure on Bangladesh Refugees

5188. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Bangladesh refugees who have settled in India ; and

(b) the expenditure incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) After the liberation of Bangladesh, the repatriation of the refugees who had come to India from that country after 25th March, 1971, was completed in March 1972. This includes practically all the non-camp refugees also.

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड का कारखाना स्थापित करना

5189. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड का एक कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का केवल दो संयंत्र लगाने का विचार है :—

(i) निकोटिनामाइड संयंत्र जिसकी वार्षिक क्षमता 300 टन होगी और जिस पर अनुमानत: 838 लाख रुपये का खर्च आयेगा तथा (ii) फार्मूलेशन यूनिट जिसकी अनुमानित लागत 550 लाख रुपये होगी। निकोटिनामाइड संयंत्र बिहार राज्य में लगाने का जहां फैसला हो चुका है, वहां अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि फार्मूलेशन यूनिट कहां खोला जाए। पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने पैट्रोल और रसायन मंत्रालय से इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नए यूनिटों में से एक यूनिट उनके राज्य में खोलने का अनुरोध किया है।

Publication of White Paper on Mini steel Plants

5190. **Shri Ishwar Chaudhry** :

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to an article published in the Press on the 7th September, 1974 that a white paper be published about mini steel plants; and

(b) if so, the reaction of Government to various points raised in the article in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel andMines (Sh ri Sukhdev (Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The installed capacity in the electric furnace industry for steelmaking is not being fully utilized owing to power shortages in a number of States. Further,Substantial capacity which has been licensed is yet to be commissioned. The objective is, therefore, to oonsolidate the capacity already authorised and to regulate the further growth of the electric furnance industry for steel making in keeping with the availability of essential inputs *viz.* electric power and ferrous scrap. In view of this, it is not proposed to bring out a White Paper on this subject at this stage.

देश में औषधियों में मिलावट रोकने के लिये प्रयोगशालाएं

5191. **श्री अजीत कुमार राहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में औषधियों में मिलावट को रोकने के लिये कुल प्रयोगशालाएं कितनी हैं;

(ख) उन प्रयोगशालाओं में कितने व्यक्ति काम करते हैं;

(ग) क्या सरकार और प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार का राज्यों को खाद्य पदार्थों और दवाइयों की जांच करने के लिए नई प्रयोगशालाएं खोलने और मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता देने का विचार है। इस उद्देश्य के लिए योजना में 4.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

दिल्ली में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाना

5192. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवार नियोजन कार्यक्रम लोकप्रिय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाओं पर दिल्ली में कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) क्या सरकार अन्य राज्य सरकारों को परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये दिल्ली के तरीके अपनाने को कहेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली जैसे महानगर में जहां मध्यम और उच्च मध्यम श्रेणियों के नियत आय वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, साक्षरता भी अपेक्षाकृत अधिक है, विभिन्न प्रकार के मनोविनोद केन्द्र खुले हुए

हैं, सेवायें भी अपेक्षाकृत सरलता से सुलभ हैं, कुछ ऐसे आर्थिक और सामाजिक कारण हैं जिनके रहते परिवार नियोजन को अधिकाधिक अपनाने में सहायता मिलती है।

(ग) दिल्ली में चौथी पंच वर्षीय योजनावधि (1969-70 से 1973-74) में परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाओं पर कुल 163.57 लाख रुपये खर्च हुए।

(घ) प्रत्येक राज्य में परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं और स्थानीय वातावरण के अनुकूल ही प्रेरणात्मक नीति बनाई जाती है।

एम० बी० बी० एस० तथा इन्टर्नशिप पूरी करने के पश्चात सरकारी सेवा करने के लिए बांड भरना

5193. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०बी०बी०एम० के छात्रों को एक बांड भरना पड़ता है कि वे एम०बी०बी०एस० तथा इन्टर्नशिप पूरी करने के पश्चात् दो वर्ष सरकार की सेवा में रहेंगे;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कितने छात्रों ने एम० बी०बी०एस० तथा इन्टर्नशिप पूरी की और उनमें से कितने को उक्त करार (बांड) की शर्तों के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की गई है और एम०बी०बी०एस० पास करने के बाद इन्टर्नशिप पूरी करने तथा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बीच समय-अन्तराल के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अहमदाबाद के सरकारी होस्टल में बहुत से अनुसूचित जाति के डाक्टरों, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, को आवास प्रदान नहीं किया गया है यद्यपि होस्टल में रिक्त आवास उपलब्ध हैं; और

(घ) अनुसूचित जाति के नय नियुक्त हुये डाक्टरों को यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : **(क)** : मेडिकल कालेज में प्रवेश के समय सभी छात्रों से देहात में कम से कम दो वर्ष तक काम करने के लिए एक बांड भराने का भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अप्रैल, 1972 में एक सुझाव दिया था। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में से कुछ ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

जहां तक भारत सरकार को आरक्षित सीटों पर प्रवेश का संबंध है, इस बारे में नामांकन पत्र में एक शर्त यह रखी गई है कि यदि सरकार उनसे कहे तो ऐसे सभी उम्मीदवारों की एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम पूरा कर लेने पर सरकार, केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन काम करना होगा।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथा समय रख दी जायेगी।

संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा किया जाना

5194. **श्री टुना उराव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के मालिकों ने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि सरकार के पास जमा कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन चाय-बागानों के दोषी मालिकों से कर्मचारी भविष्य निधि की राशि वसूल करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सुपुर्द है, जो इसका प्रशासन भी करता है। यह बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियां सरकार के पास नहीं बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा की जाती हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि प्रश्न में मांगी गई अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

उत्तरी लखीमपुर-कमलाबाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग

5195. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार तथा वहां के लोगों ने खबोली तथा सुबनसीरी नदियों पर दो स्थायी पुलों सहित उत्तर लखीमपुर-कमलाबाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के लिए असम सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में उत्तर लखीमपुर से कमलाबाड़ी तक की सड़क शामिल है। इस सड़क को सुबनसारी और खबाली नदी काटती है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़क को शामिल करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। अतएव असम सहित किसी विशेष राज्य में किसी सड़क या सड़कों के बारे में स्थिति को इस समय बताना संभव नहीं है, जिसे चालू योजना अवधि के दौरान एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लिया जायगा।

मंजूरियों की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने पर भूतपूर्व सैनिकों को वाहनों का आवंटन

5196. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व सैनिकों को मंजूरी की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने पर वाहन दिए गए थे और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पहले छांटे गए घटिया वाहनों को रद्द करके अच्छे मरकरी वाहन आवंटित किए गए थे: और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) किसी भूतपूर्व सैनिक को मंजूरी की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने पर वाहन आवंटित नहीं किया गया है। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक फालतू रक्षा स्टाक से आवंटित किए गए वाहन को निमुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट समयावधि के

अन्दर नहीं लेता है तो वह समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है। जब इस प्रकार से समयावधि बढ़ा दी जाती है तो वह पहले चयन किए गए वाहन के बदले में उसी प्रकार के वाहन का चयन कर सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में यातायात प्रणाली में परिवर्तन

5197. **श्रीमती प्रेमलाबाई दाजी साहेब चव्हाण : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यातायात प्रणाली में निकट भविष्य में सड़क पर बांये हाथ की बजाय दायें हाथ की ओर चलने के बारे में परिवर्तन करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो संभाव्यता तथा इस पर होने वाले व्यय का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारत बहुत कम ऐसे देशों में से एक है जहां सड़क पर बायीं ओर चलने की प्रणाली है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

इस्पात संयंत्रों को स्वायत्तता देने के संबध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की नीति

5198. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों को स्वायत्तता देने की अपनी नीति में संशोधन कर दिया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्य कार्यालय, इस तथ्य के बावजूद भी कि उसके सारे कार्य स्टील अथारिटी आफ इण्डिया ने ले लिये हैं, कार्य करता रहेगा; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्य कार्यालय समाप्त करके कितनी बचत की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० की स्थापना के सन्दर्भ में हिन्दुस्तान स्टील लि० के पुनर्गठन का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है।

देश से "रेबीज" रोग का उन्मूलन

5199. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तीन महीनों के भीतर देश के 'रेबीज' रोग से उन्मूलन संबंधी स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने यह कहा था कि यदि उनके पास सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें खत्म करने तथा जितने पालतू कुत्ते हैं उन्हें रजिस्टर करने और अनिवार्यत: रोग रक्षित करने का अधिकार प्राप्त हो तो अलर्क रोग (रेबीज) को देश से खत्म किया जा सकता है। राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त ढंग से कार्यवाही करें।

वर्ष 1973 और 1974 के दौरान इस्पात उत्पादन की प्राप्ति

5200. **डा० के० एल० राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रति वर्ष अर्थात् 1973 और 1974 में इस्पात उत्पादन की वास्तविक प्राप्ति क्या है;

(ख) अगले दस वर्षों के लिये इस्पात की अनुमानित मांग क्या है;

(ग) आयातित इस्पात की प्रति टन और देश में ही निर्मित्त इस्पात की लागत क्या है; और

(घ) इस्पात की आवश्यकता और उपलब्ध मात्रा में जो अन्तर है वह कैसे दूर किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1973 के कलैण्डर वर्ष में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (भिलाई, दुर्गापुर राउरकेला, टिस्को और इस्को में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 45.52 लाख टन और जनवरी—नवम्बर 1974 की अवधि में 42.60 लाख टन हुआ।

(ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (अर्थात् वर्ष 1978-79) में तैयार साधारण इस्पात की मांग 105.91 लाख टन और छठी योजना के अंतिम वर्ष (अर्थात् वर्ष 1983-84) में 171.85 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) आयात किए जाने वाले इस्पात की देश में पहुंचने पर औसत लागत लगभग 5,000 रु० प्रतिटन बैठती है। घरेलू इस्पात का औसत विक्रेय मूल्य लगभग 1800 रुपये प्रति टन है।

(घ) मांग और उपलब्धि के अन्तर को वर्तमान कारखानों का विस्तार करके तथा नए कारखानों की स्थापना करके और विद्युत भाप भट्टियों के उत्पादन द्वारा पूरा करने का विचार है। पांचवीं योजना के मसौदे में योजना के अन्त तक साधारण इस्पात के बारे में लगभग आत्म निर्भर होने की परिकल्पना की गई है। हो सकता है कि कुछ श्रेणियों का उत्पादन मांग से अधिक हो जाए जिसे निर्यात करना पड़ेगा और कुछ अन्य श्रेणियों का उत्पादन मांग से कम रहे जिसे आयात द्वारा पूरा करना होगा।

फास्फेट उर्वरकों के मूल्य

5201. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री रामसहाय पांडे :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फास्फेट उर्वरक के मूल्य को कम करने के लिये अमरीका से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से सरकारी स्तर पर उर्वरकों का कोई क्रय अथवा विक्रय नहीं किया जाता। संयुक्त राज्य अमरीका में पूर्तिकर्त्ताओं से व्यापारिक स्तर पर उर्वरकों की खरीद की जाती है। यह खरीद माल की उपलब्धि, वर्तमान मूल्यों और सुपुर्दगी की अवधि के आधार पर समुचित सम्भाव्य मूल्यों पर निविदा अथवा बातचीत के माध्यम से होती है।

भारतीय औषधि नियंत्रण अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ (इंडियन मैडीकल एसोसियेशन, द्वारा अभ्यावेदन

5202. **श्री समर गूहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने भारतीय औषधि नियंत्रण अधिनियम तथा निगम के उपबंधों में भी परिवर्तन करने के लिए कई अभ्यावेदन दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उन में दिये गये सुझावों सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या औषधि नियंत्रण उपायों संबंधी अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा औषधि लाइसेंस जारी किये जाने तथा सब डिवीजनल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने संबंधी वर्तमान प्रणाली अत्यधिक अपर्याप्त पाई गयी है;

(घ) क्या रजिस्टर्ड डाक्टरों के नुस्खे की आवश्यकता वाली दवाई की दुकानों द्वारा 'मेमो' जारी करके बिक्री की जाने वाली अनुसूची ई० एच० तथा एल० की दवाइयों की बिक्री संबंधी उपबन्धों का अक्सर उल्लंघन किया जाता है;

(ङ) क्या इन त्रुटियों के कारण मैनड्राक्स तथा हिप्टोजिन जैसी औषधियों का युवकों द्वारा वांछनीय प्रयोजनों के लिये अक्सर उपयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या सरकार आवश्यक उपबन्धों तथा भारतीय औषधि नियंत्रण अधिनियम संबंधी आवश्यक नियमों के पुनरीक्षण के बारे में कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का

परिवर्तन करने के लिये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा है। तथापि, उन्होंने कुछ संकल्प पारित किए हैं जिनमें उन्होंने औषधि और फार्मास्यूटिकल्स संबंधी टास्क फोर्स (योजना आयोग) की रिपोर्ट पर अपने विचार दिये हैं और उन्होंने औषधि तथा फार्मास्यूटिकल्स उद्योग संबंधी समिति (पेट्रोल और रसायन मंत्रालय) द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर देते हुए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

1. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अधीन पंजीकृत अर्हता-प्राप्त चिकित्सकों के नुस्खों पर दवाईयां दी जानी चाहिये और छोटे-मोटे चिकित्सकों के नुस्खों पर विक्रेताओं द्वारा दवाई दिए जाने की प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

2. दवाइयों के उत्पादन पर कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिये और नकली तथा मिलावटी दवाइयों को बेचने वालों के विरुद्ध शीघ्र मुकदमे चलाए जाने चाहिये।

3. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबन्धों को इस प्रकार से संशोधित कर लिया जाए ताकि दवाइयों को बेचने के प्रस्ताव पर विचार करते समय दवाई की विषाक्तता के साथ-साथ उसकी प्रभावकारिता को देखा जाए।

4. जब नई दवाइयों के बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो इंस्टालेशन संबंधी कार्य उचित अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिये और अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस का नवीकरण किया जाना चाहिये।

(ग) जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दवाइयों के लाइसेंस देने की जो प्रणाली है वह काफी संतोषजनक नहीं है। महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां बिक्री लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा जारी किये जा रहे हैं और निरीक्षण कार्य औषधि निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है, बिक्री स्तर पर इन अधिनियमों और नियमों को लागू करने का काम काफी अच्छा चल रहा है।

(घ) पंजीकृत चिकित्सकों के नुस्खे पर बेची जाने वाली अनुसूची एच० और एल० में सम्मिलित औषधियों की बिक्री से संबंधित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबन्धों का समग्र रूप से पालन किया जाता है; वैसे, रसायनज्ञों द्वारा इन उपबन्धों का पालन न किये जाने की बात निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई है।

(ङ) कुछ राज्यों में पंजीकृत चिकित्सकों का नुस्खा लिये बिना मैनड्राक्स तथा हिप्टोजिन जैसी दवाइयों की बिक्री के मामले ध्यान में आये हैं।

(च) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के वर्तमान उपबन्धों के अधीन अनुसूची एच० और एल० में सम्मिलित दवाइयां जिनमें बार्बिचुरेट्स, नार्कोटिक्स, एन्डिलाइजर (प्रशान्तक) पोरेक्ट हार्मोंस आदि दवाइयां भी आ जाती हैं; पंजीकृत चिकित्सकों के नुस्खे पर फुटकर बेची जा सकती हैं। जो रसायनज्ञ इन नस्खे वाली दवाइयों को बेचता है उसे ऐसी प्रत्येक दवाई की बिक्री का पूरा विवरण एक रजिस्टर में रखना होता है और औषधि निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करना होता है। छात्रों द्वारा साइकोट्रापिक दवाइयों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में मिली रिपोर्टों के फलस्वरूप

इन दवाइयों की बिक्री पर और अधिक कारगर नियंत्रण रखने के प्रयोजन के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबन्धों को कठोर बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया। केन्द्रीय और राज्यों के औषधि नियंत्रकों की एक समिति ने इस मसले पर गहराई से विचार किया है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उसने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में मुख्य फेर-बदल करने के लिए सुझाव दिये हैं। इस समिति ने जो सुझाव दिये है उन पर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड 27 दिसम्बर 1974 को होने वाली अपनी बैठक में विचार किया जायेगा।

लोगों को सस्ती कीमत पर औषधियां उपलब्ध करने संबंधी प्रस्ताव

5203. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कुछ परियोजनायें प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर औषधियां उपलब्ध की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधियों और घरों में अधिकांश प्रयुक्त होने वाली दवाइयों को सस्ती कीमत पर बड़े पैमाने पर तैयार करने की एक योजना पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय विचार कर रहा है। इस योजना के अनुसार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई लगभग 100 अनिवार्य औषधियों की एक सूची पर उन्हें बनाने और देहात में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसियों अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के जरिये लोगों को दिए जाने की दृष्टि से विचार किया जाएगा।

पांचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों की जो व्यवस्था है उसे बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर 12000 रुपये और उप-केन्द्रों के स्तर पर 2000 रुपये कर दिया गया है।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिन कच्ची (बल्क) औषधियों की जरूरत पड़ेगी वे पर्याप्त मात्रा में तैयार होती रहें यह सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और रसायन मंत्रालय भी कुछ उपाय कर रहा है।

कुद्रेमुख से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात

5204. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख से ईरान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए भारत और ईरान के बीच बात-चीत हुई है;

(ख) क्या बातचीत के परिणामस्वरूप कोई करार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अभी बातचीत चल रही है, और अंतिम रूप से कोई समझौता अभी नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और बंगलादेश के बीच शत्रु सम्पत्ति सम्बन्धी मामलों को तय करना

5205. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच शत्रु सम्पत्ति संबंधी मामला मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले को आपसी सौहार्द की भावना से निपटाने के विचार से इसे बंगलादेश सरकार के साथ कब उठाया जायेगा;

(घ) क्या यह मामला किसी भी भारत-बंगलादेश बार्ता में उठाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बंगलादेश की सरकार इस समय पुनर्निर्माण की समस्याओं में व्यस्त है । सम्पत्ति के प्रश्न को किसी अधिक उपयुक्त समय पर उठाया जा सकता है ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-रूस आयोग की दूसरी बैठक

5206. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस आयोग की दूसरी बैठक में "कोर सेक्टर आफ दी फिफथ प्लान" को बचाने का कोई निर्णय किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उसमें और क्या निर्णय लिए गए थे ?

विदेश मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) (क) और (ख) : मास्को में 17 से 19 सितम्बर, 1974 तक आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-सोवियत आयोग की दूसरी बैठक में दोनों पक्षों के बीच इस्पात उत्पादन, भारी मशीन निर्माण, विद्युत और विद्युत उपस्कर, तेल उद्योग, कोयला एवं अयस्क खनन, उत्पादन सहयोग, व्यापार आदान-प्रदान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग देने पर बातचीत हुई । चूंकि यह आयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों के सभी पक्षों की समीक्षा करता है इसलिए पांचवीं योजना में कोर सेक्टर

की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही विशेष रूप से बातचीत नहीं की गई थी । लेकिन बातचीत के दौरान इन आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया था ।

Workers deprived of Benefits in Birla Cotton and Spinning Mills. Delhi

5207. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) Whether it has been a common tendency in the Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi not to mark the presence of the workers, coming to their work regularly in the attendance and salary registers and thus deprive them of several benefits ; and

(b) the steps being taken to inquire into it and to check this practice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) : Neither the Unions nor individual workers of Birla Cotton and Spinning Mills have at any time complained about not marking the presence of workers regularly in the attendance and salary registers. The Factory Inspectors who have visited the mills from time to time have also not come across any such cases.

खेतड़ी तांबा परियोजना के शेल्टर प्लांट को खपत हेतु कन्सेन्ट्रेट

5208. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना के शेल्टर प्लान्ट के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में कन्सेन्ट्रेट की आवश्यकता है और इतनी मात्रा में केन्सेन्ट्रेट का उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में तांबा अयस्क की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) खेतड़ तांबा परियोजना में खानों के अन्दर प्रतिदिन औसत कितने तांबा अयस्क का उत्पादन होता है और क्या यह संयंत्र खपत सम्बन्धी निश्चित लक्ष्य के अनुकुल है; और

(ग) एल० एच० डी० लोको, लोडर, ड्रिफ्टर और जैक हैमर्स आदि मुख्य मुख्य मशीनें कितनी खरीदी गई और उन में से कितनी मशीनों का खेतड़ी तांबा परियोजना में उपयोग किया जा रहा है और उनमें से कितनी खराब पड़ी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी का प्रदावक संयंत्र हाल ही में चालू हुआ है । संयंत्र के लिए अपेक्षित तांबा सान्द्रों की न्यूनतम मात्रा बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि संयंत्र का काम अभी जमा नहीं है ।

(ख) खेतड़ी तांबा परियोजना से प्रतिदिन 2000 टन तांबा अयस्क का औसत उत्पादन होता है। यह उत्पादन 1974-75 के लिए निर्धारित 600,000 टन लक्ष्य के अनुरूप है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है ।

विवरण

मशीन का नाम	स्थापना के बाद खरीद (संख्या)	खानों में लगाए गए (संख्या)	टूटे/मरम्मत के अन्तर्गत (संख्या)	उपयोग के बाद अलग किए गए (संख्या)	अन्य परियोजनाओं को अन्तरित/ स्टोर में पड़े (संख्या)
1	2	3	4	5	6
1. लोड हाल डम्प मशीन	12	9	3	—	—
2. लोको	24	17	2	—	5
3. लोडर्स . .	46	33	4	2	8
3. ड्रिफ्टर्स	82	21	23**	21*	17
5. जैक हैमर्स .	303	87	28	188	—

* जैक हैमर्स तथा ड्रिफ्टर्स जल्दी घिसने वाली चट्टान खुदाई की मशीनें हैं जो औसतन 2—3 साल काम में लाई जा सकती हैं जिसके बाद मरम्मत करना लाभप्रद नहीं है ।

**आयातित अतिरिक्त कलपुर्जों की सप्लाई की प्रतीक्षा है ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में केन्सेन्ट्रेट का उत्पादन

5109. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना में अब तक कितनी मात्रा में केन्सेन्ट्रेट का उत्पादन किया गया है और परियोजना के भण्डार में तांबा अयस्क की कितनी मात्रा का स्टाक किया गया है;

(ख) क्या केन्सेन्ट्रेट का स्टाक समाप्त होने के बाद परियोजना के सेल्टर प्लान्ट में खानों द्वारा आवश्यक मात्रा में तांबा अयस्क का उत्पादन न करने के कारण उत्पादन को क्षति पहुंचेगी; और

(ग) यदि हां, तो खानों में उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री खुखदेव प्रसाद): (क) खेतड़ी तांबा परियोजना में नवम्बर, 1974 तक 48101 टन तांबा सांद्रकों का उत्पादन किया गया था । उक्त परियोजना के भंडार में रखी हुई तांबे की मात्रा लगभग 3,86,000 टन है ।

(ख) खेतड़ी तथा कोलिहान खानें 1977 में ही अधिकतम उत्पादन स्तर तक पहुंच पाएंगी । तब तक प्रदावक क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु सांद्रों की उपलब्धि में कुछ कमी हो जाएगी ।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने तकनीकी समस्याओं को हल करने तथा खनन उत्पादन में वृद्धि हेतु अपनी सहायता के लिए एक ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खनन परामर्शी फर्म को नियुक्त किया है ।

सांद्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिन्दुस्तान कापर लिमिटेडन राजस्थान में दरीबा तांबा परियोजना का विकास किया है । खेतड़ी तांबा परियोजना के समीप चांदबारी तांबा खान का भी विकास किया जा रहा है । मध्य प्रदेश में मालजंखंड तांबा परियोजना के विकास हेतु भी कदम उठाए जा रहे हैं । प्रदावक के लिए सांद्रों की पूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा तांबा सन्द्रों के आयात का भी प्रस्ताव है ।

मार्ग में खाद्यान्नों की क्षति

5210. **श्री बसन्त साठे :**

श्री धामनकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 नवम्बर, 1974 को "मार्ग में 10 प्रतिशत खाद्यान्नों की क्षति" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त किये गये विभिन्न विभागों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) औसतन लगभग 1,50,000 टन खाद्य पदार्थों की निकासी बम्बई पत्तन में प्रतिमास की जा रही है । भारतीय खाद्य निगम से ज्ञात हुआ है कि गोदियों में थोक में भेजे गए खाद्य पदार्थों में होने वाली हानि केवल 1/2 प्रतिशत है जिन्हें बाद में बोरों में डाला जाता है और मोटर गाड़ियों में भेजा जाता है ।

उक्त समाचार में जिन दूसरी बातों की चर्चा की गई है, उनकी स्थिति निम्न प्रकार से है:—

(1) यह आरोप निराधार है कि गोदियों में प्रवेश के लिए जहाज के डुबाव को कम करने के लिए, जहाज खाद्य पदार्थों की निकासी सागर में करते हैं ।

(2) इस आरोप में कोई सचाई नहीं है कि सैकड़ों खाद्य पदार्थ के बोरे जहाजों से बजरों में उतारे जाते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ थोक रूप में लाया जाता है और माल उतारने वाले उपकरण से निकाला जाता है । बोरों में बन्द करने का काम कभी भी जहाज पर नहीं किया जाता ।

(3) यह सच नहीं है कि पुलिस, पत्तन और सीमा शुल्क कार्मिकों जैसी निवारक एजेंसियां, बन्दरगाह क्षेत्रों में रात की शिफ्ट पर लगभग अनुपस्थित रहते हैं । गोदियों में चौबीस घंटे आदमी मौजूद रहते हैं और तीसरी शिफ्ट में भी बम्बई पत्तन न्यास, सीमा शुल्क और पुलिस द्वारों पर ध्यानपूर्वक निगरानी करती है । भारतीय खाद्य निगम भी स्वयं निगरानी का प्रबन्ध करता है ।

(4) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, इस वक्तव्य में कोई सचाई नहीं है कि उनके परिवहन परिचालकों को प्रत्येक रात्रि, गोदियों से निगम गोदामों तक खाद्य पदार्थों के परिवहन के समय यातायात पुलिस को घूस देनी पड़ती है ।

Opening of Hospitals in M.P., U.P., Gujarat and Delhi by Centre

5211. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of hospitals opened by Central Government in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi during last three years ;

(b) whether Government proposed to implement a special scheme in backward and undeveloped areas in order to develop them from health point of view within a specified period ; and

(c) if so, the outlines of the Scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) Establishment of hospitals in the various States is the responsibility of respective State Government and the Central Government do not come into the picture.

(b) and (c) The Primary Health Centres established by the State Governments render health care and family planning services to the people. In more than 70% of the Tribal Development Blocks primary health centres have been established.

टिस्को के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र

5212. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टिस्को' ने एक रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था,

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है,

(ग) यदि हां, तो क्या कम्पनी उपकरण के कुछ पुर्जे आयात करेंगी, और

(घ) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) 'टिस्को' ने एक नए रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया था । फिर भी, उन्होंने कारखाने की बिजली पैदा करने की अन्तर्धारित क्षमता में 40 मेगावाट की और वृद्धि करने के लिए सरकार की स्वीकृति मांगी थी । इस वृद्धि को एक बिजली घर में लगभग 135 टन प्रति घंटे की क्षमता के एक हाई प्रेशर बायलर तथा दूसरे बिजली घर में लगभग 20 मेगावाट क्षमता के एक टर्बो-जेनेरेटर की स्थापना के द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव था । सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निश्चित समयावधि में देशीय उपस्कर उपलब्ध नहीं हो सकेगा, 'टिस्को' को बायलर का आयात करने की अनुमति भी दे दी गई है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं

5213. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र में कित नी दुर्घटनायें हुई, दुर्घटनाओं के क्या कारण थे और क्या कोई जांच की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है और क्या रख रखाव में सुधार लाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Import of Ferrous Minerals

5214. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of ferrous minerals India imports from abroad and in what quantity; and

(b) the facts of the measures taken to achieve self-suficiency in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तांबा तथा पीतल का मूल्य नियंत्रण

5215. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार तांबा तथा पीतल के मूल्य पर नियंत्रण करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Cultural Relations with China

5216, **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the efforts to resume cultural relaticns with Chira ;

(b) whether Government propose to take some more concrete steps in this regard ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Despite Government of India's often declared desire to normalise our relations, not merely

cultural, there has been no corresponding indication from the People's Republic of China. However, in 1971, India had sent a Table Tennis Team to China to participate in the Afro-Asian Table Tennis Friendship Invitational Tournament A team from the People's Republic of China will be participating in the forthcoming World Table Tennis Championship being held in Calcutta in February 1975.

(b) and (c) In views of the Government of India's well known position in this respect, the question of further steps in this direction remains under constant consideration and further moves will be initiated as and when considered appropriate.

लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या

5217. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या में कमी करके मितव्ययता लाने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) हाई कमीशन के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या 393 है ।

विवरण

लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या में कमी करके मितव्ययता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :--

(i) 1-1-1975 तक स्थानीय संवर्गों को समाप्त करना और पुनर्गठन द्वारा एवं भारत अस्थानी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर शीघ्रातिशीघ्र कुल संख्या में कमी करना ।

(ii) कार्य करने और अमला रखने के तरीकों का वैज्ञानिक पुनर्गठन करना जिसमें कार्यकुशलता और मितव्ययता पर जोर दिया गया ।

(iii) भारत के हाई कमीशन के सभी खंडों को इंडिया हाउस में लाना जिससे कि भवनों के किराये एवं आम सुविधाओं के खर्च में मितव्ययता की जा सके ।

दिल्ली में नर्सों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ।

5218. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्सों के लिए दिल्ली में कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं और इस समय प्रत्येक केन्द्र में कितनी सीटें हैं ; और

(ख) देश में प्रशिक्षित नर्सों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या दिल्ली में अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ; और यदि हां, तो निकट भविष्य में कितने केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) बारह प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र वर्ष में कितनों को प्रशिक्षण के लिए दाखिला देता है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वार्षिक प्रवेश क्षमता
1. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली	84
2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, नई दिल्ली . .	60
3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	30
4. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	20
5. होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली	30
6. कस्तूरबा अस्पताल, नई दिल्ली	25
7. सेंट स्टीफन अस्पताल, तीस हजारी, दिल्ली	20
8. बी० एल० कपूर मेमोरियल अस्पताल, नई दिल्ली	15
9. हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली	15
10. तीर्थ राम अस्पताल, दिल्ली	12
11. सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली . . .	12
12. राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली . . .	25

(ख) जी नहीं ।

दिल्ली के औद्योगिक एककों में बिजली की कटौती के कारण कर्मचारियों की जबरी छुट्टी

5219. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के औद्योगिक एककों में बिजली की कटौती के कारण कुल कितने कर्मचारियों की जबरी छुट्टी की गयी ; और

(ख) किन-किन औद्योगिक एककों के कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क) और (ख)** दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, निम्न लिखित प्रतिष्ठानों में 347 श्रमिकों को बिजली की कटौती/बिजली उपलब्ध न होने/बिजली में कमी करने के कारण विभिन्न तारीखों को एक एक दिन की जबरी छुट्टी दी गई थी ;

मैसर्स डी० सी० एम० सिल्क मिल्स, नई दिल्ली, मैसर्स इन्टरनेशनल (त्रावनकोर) प्राइवेट लि०, दिल्ली और मैसर्स हिन्दुस्तान पाईप कारपोरेशन, नई दिल्ली ।

केरल में बौक्साइट निक्षेपों का उपयोग

5220. **श्री वायलर रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के जिला कन्नानोर में पाये गये बौक्साइट के निक्षेपों की किस्म तथा मात्रा संबंधी जांच पड़ताल पूरी कर ली गयी है ;

(ख) क्या इन निक्षेपों का उपयोग करते हुए सरकार का विचार उस क्षेत्र में एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूविज्ञान सवक्षण संस्था ने केरल के कन्नानोर जिले के कूम्बला, नीलेश्वर तथा काननगाड़ क्षेत्रों में बाक्साइट भंडारों के प्रारंभिक निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया है। संस्था द्वारा कन्नानोर जिले के पाटयानूर तथा तालीपारम्बा क्षेत्रों में भी बाक्साइट के लिए खोज की गई थी तथा परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस समय उक्त क्षेत्र में इन भंडारों पर आधारित एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किए जा रहे खोज कार्यों के पूरा होने पर ही भंडारों की सही जानकारी प्राप्त होगी और तब ही उनकी खुदाई के बारे में उनकी परिष्करण विशेषताओं, आर्थिक उपादेयता, आधारभूत बातें और मांग की स्थिति आदि पर सावधानीपूर्वक विचार करके ही कोई विचार बनाया जा सकता है।

पंचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सड़कों का निर्माण

5221. **श्री वयालर रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में सड़कों के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है ; और

(ख) शुरू किये जाने वाले कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं और उस राज्य में इस अवधि के दौरान निर्मित की जाने वाली नई सड़कों के नाम क्या हैं तथा सड़कों के विकास हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) संवैधानिक तौर पर भारत सरकार मुख्यत: उन सड़कों के विकास के लिये उत्तरदायी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कों के लिये संबंधित राज्य सरकारें मुख्यत: उत्तरदायी हैं। जहां तक राज्य सड़कों का संबंध है, पांचवीं योजना प्रारूप के अन्तर्गत प्रस्तावित नियतनों के अनुसार केरल में पांचवीं योजना अवधि में सड़क विकास के लिये 23 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध किये जाने की संभावना है। इसमें से 1974-75 की परिव्यय राशि 2 करोड़ रुपये है। इन नियतनों के लिये राज्य सरकार को विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना है। जहां तक

राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, 1974-75 में सम्पूर्ण देश के लिये केवल 45.50 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने के लिये उपलब्ध है। इसमें से केरल सरकार के लिये 2.35 करोड़ रुपये का नियतन है जो मुख्यत: राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू कार्यों के लिये है। केरल में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 784 कि० मी० है। इसके अतिरिक्त, पहले से ही स्वीकृत अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायतित राज्य सड़कों के लिये 1974-75 में राज्य सरकार को ऋण के रूप में 10 लाख रुपये उपलब्ध हैं।

सैनिक स्कूलों के कार्यकरण संबंधी समिति

5222. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री सैनिक स्कूलों के कार्यकरण संबंधी समिति की सिफारिशों के बारे में 21 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक स्कूलों के कार्यकरण का पुनर्वालोकन करने वाली समिति कब नियुक्त की गयी थी ;

(ख) इस समिति के मदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन को पेश करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 12 जुलाई, 1973।

(ख) और (ग) सैनिक स्कूल योजना का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये 12 जुलाई, 1973 को इस मंत्रालय ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति का मूल गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष

डा० डी० एम० सेन, भूतपूर्व शिक्षा सचिव, पश्चिम बंगाल तथा भूतपूर्व उप कुलपति, वर्दवान विश्वविद्यालय, पी-515 राजा बसंत राय रोड, कलकत्ता-29

सदस्य

1. श्री एम बी चिट्टी बाबू, निदेशक स्कूल (अब कालेज) शिक्षा, तमिलनाडु सरकार, मद्रास।
2. श्री एन पी दुबे, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. श्री एल दयाल, संयुक्त सचिव (जी), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. श्री ए एन जोशी, अपर वित्तीय सलाहकार (जे) वित्त (रक्षा) मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री एम एम एम चारी (अब उपायुक्त) संयुक्त-शिक्षा सलाहकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. डिप्टी एडजूटेंट जनरल, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
7. एयर कमोडोर के डी सिंह, शिक्षा निदेशक, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

9. श्री ओ राम चन्द्र राव, उप सचिव, तमिल नाडू सरकार ,शिक्षा विभाग, मद्रास ।

9. श्री डी के गुहार, शिक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।

10. शिक्षा आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

सम्बन्धित सदस्य

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि (उस समय संबंधित किया जायेगा जब समिति सैनिक स्कूल, लखनऊ के संबंध में विचार कर रही हो) नागालैंड सरकार का प्रतिनिधि (उस समय संबंधित किया जायेगा जब समिति पूर्व अंचल के सैनिक स्कूल के बारे में विचार कर रही है)

सचिव

उप सचिव भारत सरकार एवं अवैतनिक सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी ।

17 अगस्त, 1973 को आयोजित सैनिक स्कूलों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक में दो सदस्यों श्री पी० कृष्णामूर्ति, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय तथा मेजर जनरल बी० एम० भटाचार्य को सहयोजित किया गया। अक्तूबर, 1973 में तमिलनाडू सरकार ने सूचित किया कि उप सचिव श्री ओ० रामचन्द्र राव, जिला कलक्टर के रूप में स्थानान्तरित हो गये हैं और राज्य सरकार श्री राव के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि श्री चित्ती बाबू, स्कूल (अब महाविद्यालय) शिक्षा निदेशक, पहले ही इस समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ।

समिति को अपने, विचारों पर निर्णय लेने से पूर्व अधिकांश सैनिक स्कूलों का दौरा करना पड़ा । समिति के कार्य में बिभिन्न कारणों से कुछ बिलम्ब हो गया जैसे यात्रा-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अधिकांश स्कूलों की असुविधाजनक स्थिति, स्कूलों में मध्यवर्त्ती छुठ्ठियों और विभिन्न राज्य सरकारों के सदस्यों को एकत्र करने में कठिनाई । तथापि, समिति अब अपने कार्य के अंतिम चरण में हैं और इसकी रिपोर्ट कुछ ही महीनों में प्राप्त हो जाने की आशा है ।

एयर चीफ मार्शल द्वारा इंडियन एयर फोर्स के बारे में दिया गया व्यक्तव्य

5223. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना की पत्रिका " वायुयान" से एक भेंट के दौरान एयर चीफ मार्शल, ओ० पी० मेहरा ने कहा है कि अपने पुराने जहाज के बेड़े के बिमानों का प्रयोग धीरे-धीरे बंद किये जाने के कारण भारतीय वायुसेना एक कठिन स्थिति में है तथा विदेशी मुद्रा के प्रतिबंध के कारण वायुसेना दूर तक मार करने वाले वायुयानों का क्रय करने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) वायु सेनाध्यक्ष, द्वारा दी गई भेंट वार्ता में भारतीय वायु सेना के कार्य और उसे सुसज्जित करने से संबंधित विभिन्न पहलू सम्मिलित थे । भेंट के दौरान चीफ ने पुराने पड़ गये विमान को निकाल देने और दूर तक मार करने वाले विमान को भी लाने की आवश्यकता का जिकर किया था ।

जैसा समय-समय पर बताया गया है, भारतीय वायु सेना के पुरानी किस्म के विमान को निकालने और अधिक आधुनिक विमान लाकर उसका आधुनिकीकरण करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह देखने के लिये कि हमारे देश की सुरक्षा को किसी सम्भावित खतरे का सामना करने के लिये हमारी रक्षा तत्परता पर्याप्त है सरकार सभी सम्भव कदम उठाती रही है और उठा रही है।

गंगानगर के पुनर्वास विभाग यूनिट सैटलमेंट अधिकारी के पद को समाप्त करने का प्रस्ताव

5224. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग के गंगा नगर यूनिट को 1962 से निरन्तर एक ही प्रबन्धक अधिकारी संभाल रहा था;

(ख) क्या बाकी बचा पूरा किया जाने वाला काम मात्रा तथा किस्म की दृष्टि से 1962 के काम का मुश्किल से दसवां हिस्सा है;

(ग) क्या एक सैटलमेंट अधिकारी को, जिसे सैटलमेंट कमीश्नर की शक्तियां प्राप्त थी, न्यायिक कार्य के निपटान हेतु 1971–72 की थोड़ी सी अवधि के लिए गंगानगर में विशेषरूप से नियुक्त किया गया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार अब स्थिति को पुनः बदलने का है और पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का है क्योंकि सुचारूरूप से तथा दक्षतापूर्वक कार्य कर रही थी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां, जून, 1971 से अगस्त, 1972 तक की अवधि को छोड़कर, जबकि मई, 1971 में जयपुर स्थित प्रादेशिक कार्यालय बन्द कर दिया गया था, श्रीगंगानगर में एक बन्दोबस्त अधिकारी पुनः नियुक्त कर दिया गया था।

(ख) इस में कोई संदेह नहीं है कि श्रीगंगानगर स्थित कार्यालय में 1962 से काम की मात्रा में कमी हो गई थी किन्तु कुछ आवश्यक मामले अर्थात् राजस्थान सरकार से भूमि के रिकार्ड का मेल-मिलाप, बकाये की भारी राशि की वसूली का कार्य अभी भी करना शेष है।

(ग) जी, हां।

(घ) हाल ही में प्रबन्ध अधिकारी के पद के स्थान पर श्रीगंगानगर में बन्दोबस्त अधिकारी के पद का फिर से सृजन कर दिया गया था। यह विचार करके कि यह उप-कार्यालय बहुत से बकायों की वसूली तथा राजस्थान सरकार से भूमि रिकार्ड के मेल-मिलाप जैसे अन्य आवश्यक कार्य करता है, इसमें बन्दोबस्त अधिकारी के पद के एक अधिकारी का होना आवश्यक है।

स्थिति की यथा-समय समीक्षा की जाएगी।

Service Condition of Employees in Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi

5225. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of temporary and permanent employees in the Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi, separately;

(b) the period for which the temporary employees have been working as such ;

(c) Whether a large number of temporary employees are removed from se rvice after every three months and are again taken in service as fresh candidates ; and

(d) if so, the steps being taken to check such a tendency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) According to the information made available by the Delhi Administration, the number of temporary and permanent workers as on December, 1, 1974 in the Birla Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd., was 780 and 3612 respectively. Of the 780 temporary workers, 306 were with less than 3 months' service, 178 between 3 and 6 months' service and the remaining 296 with more than 6 months' service. The mangagement is reported to have denied the allegation that temporary workers are removed from service after every 3 months . The strength of the permanent and temporary workers in this establishment is regulated by the settlements signed by the parties in December, 1964 and January, 1973. Besides, classification of workmen into permanent. temporary and badli etc. is governed by the provisions of the certified Standing Orders. Grievances, if any, in this regard could be brought by the aggrieved employees or their representatives to the notices of the Industrial Relations Machinery of the Delhi Administration.

खेतड़ी परियोजना में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन

5226. **श्री विश्वनाथ सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना में मजदूरों के कर्मचारी भविष्य निधि लेखों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जाता है तथा मजदूरों को लेखे का विवरण सप्लाई नहीं किया जाता ;

(ख) क्या कर्मचारियों के सितम्बर, 1974 के वेतन में से भविष्य निधि के लिए काटी गई धनराशि को अभी तक बैंक के न्याय लेखों में जमा नहीं करवाया गया है;

(ग) क्या कुछ मजदूरों को इस माह वेतन का भुगतान करने के लिए बैंक कर्मचारियों की कर्मचारी निधि में से 5 लाख रुपया निकलवाया गया है; और

(घ) क्या यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के गम्भीर उल्लंघन है और यदि हां, तो खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना के कामगारों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि लेखे ठीक प्रकार रखे जाते हैं तथा ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा उनका नियमित लेखा परीक्षण किया जाता है। लेखा विवरण कामगारों को भी दिए जाते हैं।

(ख) सितम्बर, 1974 में भविष्य निधि के रूप में प्राप्त राशि का एक भाग कम्पनी द्वारा भविष्य निधि से स्वीकृत ऋण के रूप में कर्मचारियों को दिया गया ।

(ग) कम्पनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट से मजदूरी देने के लिए कोई धनराशि नहीं निकाली गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली तथा राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

5227. **श्री सोम नाथ चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा राज्यों में स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कितने व्यक्तियों को श्रेणीवार रोज़गार दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): वर्ष 1970 से 1972 तक की अवधि से संबंधित नवीनतम उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8823/74]**

महाराष्ट्र में कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाएं

5228. **श्री बंसत साठे** :

श्री घामनकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की प्रत्येक कोयला खान में गत तीन वर्षों में कितनी गम्भीर दुर्घटनायें हुईं;

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे और उनको कितनी क्षतिपूर्ति अदा की गई; और

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) जनवरी, 1971 से नवम्बर, 1974 तक महाराष्ट्र की विभिन्न कोयला खानों में जो घातक और गंभीर दुर्घटनाएं हुईं; उनकी संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 22 जानें गईं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, जिसका प्रशासन राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है, के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रतिकर प्रबन्धकों द्वारा देय है।

(ग) सुरक्षा उपायों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। निगरानी को कड़ा करने, सुरक्षा की सामग्री और उपस्कर प्राप्त करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं।

विवरण

1971, 1972, 1973 और 1974 (नवम्बर, 1974 तक) में महाराष्ट्र की कोयला खानों में हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाएं।

क्रमांक	खान का नाम	1971		1972		1973		1974 (नवम्बर)	
		घातक दु०	गंभीर दु०	घातक दु०	गंभीर दु०	घातक दु०	गंभीर दु०	घातक दु०	गंभीर दु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वल्लारपर कोलियरी .		6	..	6	..	8	..	1 0
2.	चान्दा रायतबाड़ी कोलियरी .	..	4	..	1	..	1	..	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	घुगुस कोलियरी		10	1	21	1	11		8
4.	हिन्दुस्तान लालपेठ	1	3	1	7	1	7	1	7
5.	न्यू माजरी कोलियरी				2		1		1
6.	सस्ती कोलियरी		24		13		15	1	5
7.	इन्द्र कोलियरी			1	3	1	8	1	3
8.	काम्पटी कोलियरी	3	2	1	4	1	24	2	18
9.	सिलेबाड़ा कोलियरी	2	14		19	1	2	1	4
10.	उमरेर कोलियरी					1	2		2
11.	राजुर कोलियरी								1
	जोड़	6	63	4	76	6	79	6	64

राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़क-संकेतों और नम्बर प्लेटों का अंग्रेजी में लिखा जाना

5229. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के उपबन्धों के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नामों और सड़क-संकेतों को अंग्रेजी में भी लिखा जाना चाहिए;

(ख) क्या सभी वाहनों का नम्बर प्लेटों पर भी अंग्रेजी अंक लिखे होने चाहिएं;

(ग) क्या संविधान के इन निर्देशों का अनेक राज्यों में उल्लंघन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन असंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा सड़क चिन्हों को लिखने के लिए संविधान में विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेत चिन्हों पर जगह का नाम लिखने के लिये जारी किये गये कार्यकारी अनुदेशों में रोमन (अंग्रेजी), हिन्दी (देवनागरी) और जहां हिन्दी (देवनागरी) स्थानीय भाषा नहीं है वहां स्थानीय भाषा का भी एक साथ प्रयोग करने की व्यवस्था है। किलो मीटर पत्थरों के मामले में लिपि निर्धारित क्रम में रोमन (अंग्रेजी), हिन्दी (देवनागरी) तथा स्थानीय भाषा में होगी। इस नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु जब कभी कोई विचलन भारत सरकार के ध्यान में आया तो सुधारात्मक कार्यवाही के लिए मामला संबंधित सरकारों के साथ उठाया गया।

मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चिह्न लिपि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की छठी अनुसूची के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 24(3) के अनुसार होती है। इस अधिनियम के अनुसार मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चिह्नों में अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य को आवंटित अक्षर-समूह होते हैं जिनके बाद 4 से अधिक अंक नहीं होते।

इस समय, कानूनी तौर पर मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर अक्षर अंग्रेजी में लिखने होते हैं और भारतीय अंकों का स्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में होता है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिन्दी भारत की राजभाषा है। कुछ राज्यों जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा अपनाया है, का विचार है कि मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर रजिस्ट्रेशन चिह्न लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होना चाहिए। कुछ राज्यों की यह भी मांग है कि मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर रजिस्ट्रेशन चिन्हों को क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाए। इस सम्पूर्ण मामले की अभी एक कार्य दल ने जांच की है और परिवहन विकास परिषद् ने इस पर चर्चा की है जिसने यह सिफारिश की कि मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर रजिस्ट्रेशन चिह्नों को दिखाने के लिए द्विभाषी पद्धति (अर्थात् रोमन तथा क्षेत्रीय लिपि और भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप) अपनाया जाए। फिर यह भी देखा गया कि जब अंग्रेजी के स्थान पर राज्य उत्तरोत्तर हिन्दी को अपनी राज्य भाषा बना रहे हैं तो नम्बर प्लेटों पर रोमन लिपि के स्थान पर हिन्दी लिपि हो सकती है। परिवहन विकास परिषद् के सदस्य सामान्यतः इस पक्ष में है कि अंग्रेजी अक्षर समूह का क्षेत्रीय भाषा में लिप्यंतरण हो। इन सिफारिशों पर राज सरकारों/संघीय प्रशासनों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय नौसेना द्वारा "हिमगिरी" युद्धपोत का समुद्र में उतार जाना

6230 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "हिम गिरि" नामक एक नया युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस युद्धपोत से देश की नौसेना शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) विक्रांत के मुकाबले में यह युद्धपोत कहां तक श्रेष्ठ तथा नवीनतम शस्त्रों से सुसज्जित है; और

(घ) क्या बेड़े में कुछ और युद्धपोत शामिल किये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन्। यह जहाज भारतीय नौसेना के लिए मजगांव शिपयार्ड बम्बई में बनाया गया है।

(ख) इसके आ जाने से नौसेना की पनडुब्बी रोधी और विमान-भेदी क्षमता काफी बढ़ गयी है जिसके परिणामस्वरुप देश की नौसेना शक्ति बढ़ी है।

(ग) "हिमगिरि" की तुलना आई एन एस विक्रांत से नहीं की जा सकती क्योंकि विक्रांत 16,000 टन वाला वायुयान वाहक है जब कि "हिमगिरि" केवल लगभग 2450 टन विस्थापन वाला फ्रिगेट है।

(घ) जी हां श्रीमन्।

इस्पात-निर्यात क्रयादेशों के निष्पादन हेतु निर्यात गृह

5231. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात क्रयादेशों के निष्पादन हेतु पात्र निर्यात गृहों को इस्पात प्राप्त करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्यात गृहों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इस्पात निर्यात किया जाएगा तथा कितनी मात्रा में तथा किस किस्म का इस्पात निर्यात किया जाएगा;

(ग) किस समय तक इस्पात का निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरुप अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) निर्यात की वर्तमान नीति के अनुसार इस्पात की अधिकतर श्रेणियों का माध्यम अभिकरण अर्थात् सेल इन्टरनेशनल लि० की मार्फत निर्यात करने की व्यवस्था है। कुछ श्रेणियों का निर्यात मुख्य उत्पादकों द्वारा भी किया जा सकता है। निर्यात की वर्तामान नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारत निर्मित वस्तुओं का प्रयोग

5232. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को हाल में कुछ अनुदेश जारी किये गये हैं कि मिशनों में पार्टियों तथा समारोहों को आयोजित करते समय भारत में निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करें; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार को कुछ रिपोर्टें मिली है कि भारतीय मिशन आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं और इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) हमारे मिशनों के लिए यह स्थायी आदेश हैं कि अपनी परम्पराओं और अपने शिल्प के प्रदर्शन के लिए वे भारत में बनी दस्तकारी की वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का प्रयोग करें।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड , बंगलौर में सुधार

5233. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत-अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई; और

(ग) इस उपक्रम की कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के कार्यकरण की कोई जांच नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता में सुधार

5234. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गार्डन रीच लिमिटेड, कलकत्ता कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई और;

(ग) वर्कशाप की कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने गार्डन-रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की कोई जांच नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्राग टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद में सुधार

5235. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई; और

(ग) उपक्रम की कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के कार्यकरण की कोई जांच नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात वितरण नीति

5236 **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की नई वितरण नीति के परिणामस्वरूप उद्योगों को स्टाक यार्ड से इस्पात उठाने पर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा है;

(ख) क्या एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने नई नीति पर विचार करने के बाद उसमें कुछ दोष पाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) समस्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा गैर सरकारी मैडिकल कालजों की मान्यता समाप्त किया जाना

5237. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने के बारे में 22 अगस्त् 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3308 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अखिल भारतीय चिकित्सा **परिषद** की **सिफारिशों** पर देश में कुछ मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन कालेजों के विद्यार्थियों के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने देश के कुछ मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने के लिए **अप्रैल, 1974** में भारत सरकार को सिफारिश की थी। सारे मामले पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने किसी भी संबंधित मेडिकल कालेज की एम० बी० बी० एस० की डिग्री को समाप्त न करने का निर्णय लिया।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सुडान के राष्ट्रपति द्वारा भारत का दौरा

5238. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक:**

श्री एम० कत्ताभूत्तु :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1974 के दौरान सूडान के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उनसे किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या-क्या निर्णय किए गए?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । सूडान के राष्ट्रपति ने 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर 1974 तक भारत की राजकीय यात्रा की थी ।

(ख) और (ग) : राष्ट्रपति निवेरी की भारत यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई भारत-सूडान संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें इस यात्रा के दौरान हुई बातचीत और लिये गये निर्णयों के स्वरूप का ब्यौरा दिया गया है । **(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8824/74)**

अज्ञात निक्षेपों के लिए बिहार का सर्वेक्षण

5239. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विभिन्न प्रकार के खनिजों से बहुत से निक्षेप बिना खोजे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों का पता लगाने के लिए राज्य के सभी भागों का सर्वेक्षण करने हेतु क्या सरकार का विचार अध्ययन दल नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : **(क) से (ग)** खनिजों की खोज एक निरन्तर चलने वाली तथा समय लेने वाली प्रक्रिया है । जहां एक ओर बिहार में अछूते क्षेत्रों को नियमित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, भू-रासायनिक तथा भू-भौतिकों सर्वेक्षणों के अन्तर्गत लाया जा रहा है, वहां दूसरी ओर परिचित खनिज क्षेत्रों में ड्रिलिंग द्वारा समन्वेषण, समन्वेषी खनन आदि का काम चालू है । बिहार राज्य में विभिन्न खनिजों के लिए बहुत बड़े स्तर पर कई अभिकरण, जैसे भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, परमाणु ऊर्जा विभाग, बिहार खान तथा भू-तत्व विभागी और हाल ही में खनिज समन्वेषण नियम तथा बिहार राज्य खनिज विकास नियम भी खनिज सर्वेक्षण तथा समन्वेषण कर रहे हैं ।

विलिंगंडन अस्पताल में अप्रयुक्त पड़ा मोबाइल डेंटल वेन

5240. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में युगोस्लाविया द्वारा हाल में दिया गया मुबायल डेंटल वेन विलिंग्डन अस्पताल में पांच वर्ष तक आयुक्त पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : **(क)** जी हां ।

(ख) गाड़ी के फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं ।

बिहार में सेना का प्रयोग

5241. **श्री समरगुह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चल रहे जन-आन्दोलन से निपटने के लिए सेना की यूनिटों को प्रयोग में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 से राज्यों में आन्तरिक स्थिति से निपटने के लिए कितनी बार सेना की यूनिटों को प्रयोग में लाया गया है;

(ग) क्या ऐसे उद्देश्यों के लिए सेना की यूनिटों को प्रयोग में लाने के विरुद्ध सेना के बहुत से जनरलों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बिहार में हाल के आन्दोलन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को नियुक्त नहीं किया गया है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1973 से जितनी बार सेना को तैनात किया गया उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी नहीं श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	तारीख/अवधि
	1973	
(क)	असम (तेजपुर)	12 अप्रैल से 17 मई
(ख)	महाराष्ट्र (नासिक)	23 अप्रैल से 24 अप्रैल
(ग)	उत्तर प्रदेश	21 मई से 13 जून
(घ)	अरुणाचल प्रदेश	13 जून से 18 जून
(ङ)	जम्मू और कश्मीर (लेह)	14 सितम्बर से 15 सितम्बर
(च)	मणिपुर	13 सितम्बर से 21 सितम्बर
	1974	
(क)	गुजरात (बड़ौदा)	10 जनवरी से 14 जनवरी और 25 फरवरी से 26 फरवरी
(ख)	गुजरात (अहमदाबाद)	28 जनवरी से 16 फरवरी
(ग)	बिहार (पटना)	18 मार्च से 26 मार्च
(घ)	बिहार (रांची)	20 मार्च से 28 मार्च और 2 अप्रैल
(ङ)	बिहार (धनबाद)	से 6 अप्रैल, 20 मार्च से 3 अप्रैल
(च)	हिमाचल प्रदेश (पालमपुर)	25 अप्रैल
(छ)	सारे भारत में (रेल हड़ताल के दौरान)	7 से 20 मई
(ज)	पश्चिम बंगाल (कूच बिहार, तूफानगंज, दिनहाटा और मोथाभंगा)	27 अगस्त से 5 सितम्बर

लघु उद्योगों को दुर्लभ धातुओं की सप्लाई

5242. **श्री भगतराम राजाराम मनहर:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग दुर्लभ धातुओं को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ;

(ख) सरकार उन धातुओं के स्रोतों के उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठा रही है जो लघु उद्योगों के लिये स्वीकृत किये गये हैं; और

(ग) वितरण में सुधार करने तथा दुर्लभ धातुओं के दुरूपयोग पर निगरानी रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ के अन्तर्गत मंजूर की गई सड़कों को पूरा करना

5243. **श्री धामनकर :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राजपथ व्यवस्था के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजपथ के अंतर्गत मंजूर की गई सड़कों में से कितनी सड़कों को पूरा किया जाना अभी शेष है या वह निर्माणाधीन है; और

(ख) इन सड़कों का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के और विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन स्वीकृत कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं जो अन्यथा पहले ही कम से कम एक गली की पक्की सड़कों के हैं और जिन पर पूर्ण रूप से पुल बने हुए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के कई खंडों पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। दोतरफा जल निकासी निर्माण आदि जैसे कुछ छोटे मोटे सुधार कार्य कई खण्डों में पहले ही पूर्ण किये जा चुके हैं। परन्तु इकहरी गली की सड़कों को चौड़ा एवं सशक्त करने अथवा मौजूदा दोहरी गली की सड़कों को सशक्त करने जैसे बड़े-बड़े सुधार कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

(ख) पर्याप्त धन राशि के उपलब्ध होने पर प्रायः सभी स्वीकृत सड़क कार्यों की 1976-77 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

Supply of Iron to Farmers at fair rates

5244. Shri **Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the arrangements made by Government to make iron available to the farmers for their use in rural areas at fair rates?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): Iron and Steel meant for agricultural implement manufacturers is being supplied to them as follows:

(i) Steel scraps is supplied from producers' stockyards as per quota fixed by the Joint Plant Committee.

(ii) all other items of iron and steel are supplied to the State Small Industries Corporations and the State Agro Industries Corporations who coordinate supply to agricultural implement manufacturers.

Iron and steel is supplied at the stockyard prices or the State Corporations prices.

अहमदाबाद तथा गुजरात के अस्पतालों में आयातित औषधीयों/इन्जेक्शनों की कमी

5245. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद और गुजरात में गत छह महीनों से दवाई विक्रेताओं की दुकानों पर अनेक आयातित औषधियां और इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत से रोगियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अनिवार्य दवाइयों और इंजेक्शनों के उपलब्ध न होने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वैसे कुछ मार्का वाली दवाइयों की जिनके एवज में अन्य दवाइयां मौजूद हैं, सप्लाई कम है बतलाई गई है।

(ख) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित उपाय बरते गये हैं / बरते जा रहे हैं :—

(1) राज्य औषधि नियंत्रकों से दवाइयों की कमी के बारे में मिली रिपोर्टों का पुनरीक्षण करने के लिए पैट्रोल एवं रसायन मंत्रालय में समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। दवाइयों की कमी होने की बात जब कभी सरकार के ध्यान में आती है तो इस समस्या को संबंधित निर्माताओं के साथ उठाया है और उन्हें सलाह दी जाती है कि आपातिक आधार पर वे इस आवश्यकता को पूरी करें।

(2) अपर्याप्त उत्पादन के कारण जब कभी दवाइयों की कमी होने लगती है तो इस संबंध में होने वाली अड़चनों को सुलझाने के लिए कदम उठाये जाते हैं ताकि उत्पादन बढ़ने लग जाये। जब यह संभव न हो तो आयात लाइसेंस दिये जाते हैं या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दवाइयों को आयात करने की व्यवस्था की जाती है।

(3) आयात नीति के अंतर्गत प्रतिष्ठित आयातकों को उन्हें दिये लाइसेंसों पर देश में पैदा न की जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयां आयात करने की आज्ञा है।

(4) आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अंतर्गत लाइसेंस लिये बिना कोई व्यक्ति और अस्पताल आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार 200 रुपये से 1,000 रुपये तक के मूल्य वाली दवाइयां उपचार के प्रयोजन के लिए आयात कर सकता है।

(5) जहां प्रतिष्ठित फर्मों के आयात लाइसेंस वांछित मात्रा में अनिवार्य दवाइयों को आयात करने के लिए सक्षम न हों तो ऐसी दवाइयों को आयात करने के लिए तदर्थ लाइसेंस दिये जाते हैं ताकि देश की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

(6) पैट्रोल तथा रसायन मंत्रालय में एक उच्चाधिकार ग्रुप का गठन कर लिया गया है जो समय-समय पर दवाइयों की कमी को दूर करने तथा औषध उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श करता है और बैठकों का आयोजन करता रहता है।

विभिन्न देशों के राज्य अथवा शासन अध्यक्षों द्वारा भारत यात्रा

5246. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष अर्थात् 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान विभिन्न देशों के राज्य अथवा शासन अध्यक्षों द्वारा की गई भारत की यात्रा का ब्योरा क्या है;

(ख) वर्ष वार कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या ये यात्रायें लाभदायक सिद्ध हुई और यदि हां, तो किस रूप में?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री **विपिन पाल दास**) : (क) इन तीन वर्षों में इस प्रकार की कुल 46 यात्राएं की गयीं। विस्तृत ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8825/74]**

(ख)	1972	16,71,945 रुपये
	1973	18,60,579 रुपये
	1974	22,26,106 रुपये (आज तक)

(ग) इस प्रकार की उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान से बहुत लाभ होता है। सम्बद्ध देशों के साथ सद्भावना उत्पन्न करने; सम्पर्क बढ़ाने अथवा उसका नवीकरण करने के अलावा इन यात्राओं से आपसी हित के विभिन्न विषयों पर बातचीत करने का अवसर मिलता है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को एन० सी० सी० प्रशिक्षण

5247. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को दिए जाने वाले एन०सी०सी० प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रगति हो रही है :–

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बाधाएं आ रही हैं; और क्या सरकार का विचार उन बाधाओं को दूर करने का है और कैसे ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) (क) से (ग) : कालेज एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एन०सी०सी० के प्रशिक्षण की प्रगति सन्तोषप्रद समझी जाती है एन०सी०सी० योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने और इसे अधिक उपयोगी बनाने की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा एक मूल्यांकन समिति स्थापित की गइ थी इस समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं और सरकार के सक्रियरूप से विचाराधीन हैं ।

अहमदाबाद के श्रम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा मामलों का निपटान

5248. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद के श्रम न्यायालयों में दो अतिरिक्त न्यायधीशों की नियुक्ति कर ली है और यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या वर्तमान सभी पांच श्रम न्यायालय अहमदाबाद में कार्य कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 1974 के पहले 10 महिनों के अंदर उक्त न्यायालयों ने कितने मामले निपटाये; और

(घ) इस समय कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं और इन्हें कब और कैसे निपटाया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सभा की भेज पर रख दी जायेगी ।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संबंध में भारत-श्रीलंका वार्ता

5249. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संबंध में भारत श्रीलंका वार्ताएं हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सरकार दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने के विभिन्न उपायों पर श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत करती रही है; विदेश मंत्री की 18 से 20 नवम्बर, 1974 तक की श्रीलंका की यात्रा के दौरान इस मामले की समीक्षा की गई और सभी स्तरों पर इस प्रकार के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए सहमति हुई ।

उन्नत किस्म के नेट लड़ाकू विमान का परीक्षण

5250. **श्री मधु लिमये** : : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत किस्म के नेट लड़ाकू विमान का पूर्णतः परीक्षण हो चुका है

(ख) पहले किस्म पर क्या–क्या मुख्य सुधार लाये गये ; और

(ग) क्या प्रोद्योगिकी की उन्नति के कारण नेट पुराना पड़ गया है तथा अब एक नये विमान का प्राप्त करना अथवा बनाना जरूरी हो गया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन । तथापि सुधार काम सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है ।

(ख) ब्योरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) जी नहीं श्रीमन्। यह विमान विशेष रूप से अब विकासाधीन सुधार के साथ, कई और अधिक वर्षों तक उपयोगी रहेगा।

समुद्रतल का सीमांकन

5251. **श्री सी० के० चंद्रप्पन :**

श्री सरजू पांडये :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक पड़ोसी देशों के साथ समुद्र तल का सीमांकन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार कब तक इस कार्य को पूरा करेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) : भारत और पड़ोसी देशों के बीच समुद्र तल सीमा को अंकित करने की प्रक्रिया भारत सरकार ने पहले से ही शुरू कर दी है। पाक खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच की जल सीमा एक समझौते द्वारा तय की जा चुकी है जो 8 जुलाई 1974 से लागू हो गया है। 8 अगस्त 1974 को इंडोनेशिया के साथ एक जल समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत ने दोनों देशों के बीच कैंटिनेन्टल शेल्फ सीमा तय कर ली है। यह समझौता 17 दिसम्बर 1974 से लागू हो गया है। बंगला देश के साथ जल सीमा तय करने के बारे में भी बातचीत शुरू हो गई है।

कोयले एवं खाद्य की ढुलाई के लिये विभिन्न बन्दरगाहों को जहाजों का नियतन

5252. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एच० एन० मुखर्जी :

श्री रानेन सेन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कोचीन तथा अन्य बन्दरगाहों द्वारा प्रतिमास कोयले तथा खाद्य के कितने जहाज हैन्डल किये जाते हैं ;

(ख) क्या कुछ बन्दरगाहों को जहाजों का कोटा नियत करने के संबंध में कोई भेदभाव बरता गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) अप्रैल, 1974 से प्रत्येक महीने देश में विभिन्न बड़े पत्तनों द्वारा धराउठाई किये गये कोयले और खाद्यान्न जहाजों की संख्या को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8826/74]**

(ख) और (ग) : जी नहीं। विभिन्न पत्तनों को उतारने के लिये कोयले के जहाजों का आवंटन नौवहन महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध जहाजों की सीमित संख्या और रेलवे और बिजली बोर्डों जैसे मुख्य उपभोक्ताओं की मांग को दृष्टि में रखते हुये किया जाता हैं। आयातित खाद्यान्न ले जाने वाले जहाज का आवंटन खाद्य विभाग जहाजों की उपलब्ध घाट सुविधाओं और माल की धराउठाई और निकासी पर निर्भर करते हुये विभिन्न पत्तनों को किया जाता है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा शत्रु के राडार को निष्क्रिय बनाने वाले उपकरण का विकास

5253. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा उपकरण विकसित किया गया है जो जब चाहे शत्रुओं के राडार को (निष्क्रिय बना सकता है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस विषय पर एक समाचार पत्र का एक समाचार हमारे ध्यान में आया है। तथापि ऐसा पता चला है कि यह गलत अर्थ लगाने का मामला है तथा राडार निष्क्रिय कर सकने का विकास नहीं किया गया है।

(ख) प्रयोजनीय नहीं है ।

औद्योगिक श्रमिकों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव

5254. **श्री के० मालन्ना :**

श्री गजाधर मांझी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों, श्रमिक गतिविधियों तथा श्रमिकों के हालत पर पड़ने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का अध्ययन कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति क्या है और इसके निष्कर्ष तथा परिणाम क्या निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात

5255. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या **स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात** किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो जब से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्यात आरम्भ किया गया है तब से कुल कितने इस्पात का निर्यात किया गया है और उसका कुल मूल्य कितना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जून, 1974 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी-सेल इन्टरनेशनल लि० गठित की गई थी। यह कम्पनी कुछ प्रकार के इस्पात के निर्यात के लिए माध्यम अभिकरण का काम करती है ।

सेल इन्टरनेशनल लि० ने 1,30,000 टन रेल की पटरियों के निर्यात के लिए ईरान की राजकीय रेलवे के साथ एक करार किया है। इस करार के अंतर्गत लदान 30 महीनों में किया जायेगा। 49,000 टन बिलेटों तथा 11,000 टन से अधिक छड़ों तथा गोल छड़ों के निर्यात के लिए भी

करार किए गए हैं। जहां तक सेल इन्टरनेशनल लि० के माध्म से निर्यात की जाने वाली मदों का सम्बन्ध है 20,000 टन से अधिक छड़ें तथा गोल छड़ें और 450 टन तार का निर्यात किया गया है। इन सौदों का कुल मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपए होगा।

कलकत्ता में सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिये धनराशि का नियतन

5256 **श्री सोमनाथ चटर्जी** :क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार तथा कलकत्ता नगर निगम द्वारा कलकत्ता की सड़कों की पूर्णतया असफलता और उपेक्षा के कारण उनकी शोचनीय अवस्था को सुधारने तथा उनकी मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार का धनराशि का विशेष नियतन करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : कलकत्ता में शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये धन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ये सड़कें मुख्य रूप से राज्य सरकार संबंधित स्थानीय संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

तटीय निक्षेपों के विकास के लिए सोवियत संघ द्वारा सहायता

5257 **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत के अपार तटीय निक्षेपों के विकास हेतु सहायता देना स्वीकार किया है ;

(ख) क्या सोवियत संघ से इस बारे में कोई समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) देश के तटवर्ती क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों के विकास के लिए सोवियत रूस की मदद लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम एशिया में परमाणु अस्त्र-मुक्त क्षेत्र के बारे में संकल्प

5258. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अस्त्रों के उपयोग के खतरे के विरुद्ध परमाणु अस्त्र-हीन देशों की रक्षा की गारंटी करने वाले पाकिस्तानी संकल्प के पक्ष में राष्ट्र संघ की राजनैतिक समिति में भारत ने मतदान किया था ;

(ख) यदि हां, तो संकल्प का समर्थन करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या पश्चिम एशिया में परमाणु अस्त्र-मुक्त क्षेत्र की स्थापना करने सम्बन्धी ईरान और मिश्र के संयुक्त संकल्प का भी भारत ने समर्थन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत पहले इस संकल्प के विरुद्ध था और अब इसका समर्थन करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने "परमाणु अस्त्रों के उपयोग अथवा प्रयोग की धमकी के विरुद्ध परमाणु अस्त्र विहीन देशों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना" शीर्षक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा (1) से परमाणु अस्त्र विहीन देशों की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता के प्रति दृढ़ समर्थन की घोषणा करवाई जायेगी और (2) सदस्य राज्यों से सिफारिश करवाई जायेगी कि वे अविलम्ब परमाणु अस्त्र विहीन देशों की सुरक्षा के प्रश्न पर सभी समुचित मंचों पर विचार करें। प्रस्ताव के मसौदे में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी इसलिए भारत ने इसके पक्ष में मत दिया। महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव के मसौदे को पारित किया।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। भारत ने मध्य पूर्व में परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र की स्थापना से संबंधित ईरान और मिश्र के संयुक्त प्रस्ताव का बराबर समर्थन किया था।

लघु उद्योगों को कच्चे लोहे और कोक की सप्लाई

5259. **श्री गजाधर मांझी :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को कच्चे लोहे और कोक की सप्लाई में कमी हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय कच्चे लोहे और हार्ड कोक की उपलब्धि की स्थिति संतोषजनक है।

हिन्द महासागर में सेंटो के नौसैनिक अभ्यासों के बारे में संयुक्त राष्ट्र में विरोध

5260. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा हाल ही में हिन्दमहासागर में सेन्टो द्वारा किये गये नौसैनिक अभ्यासों (मिडलिंक, 1974) के बारे में कोई विरोध प्रकट किया गया है क्योंकि ऐसा करने से महासभा के वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के प्रस्तावों का उल्लंघन हुआ है जो कि हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बनाने के बारे में थे ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किसी अन्य देश का सहयोग मांगा तथा प्राप्त किया गया ; और

(ग) क्या भारत द्वारा यह मामला पाकिस्तान और इरान सरकारों के साथ भी उठाया गया है जो कि सेन्टो अभ्यासों में भाग ले रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

लूप तथा अन्य गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग के उपरान्त औरतों में कैन्सर संबंधी अनुसंधान

5261. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को मदुरै युनिट द्वारा लूप तथा अन्य गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग के बाद औरतों में होने वाले केंसर के मामलों सम्बन्धी बहुमूल्य अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) यह एकक उन स्त्रियों के बारे में अनुसंधान कार्य कर रहा है, जो खाये जाने वाले और इन्जेक्सन द्वारा दिये जाने वाले हारमोन गर्भनिरोधकों तथा कापर 'टी' -200-, जो कि एक गर्भाशयी गर्भनिरोधक साधन है का इस्तेमाल करती है । अब तक किये गये विश्लेषण से ऐसी कोई बात नही मिली जिससे यह कहा जा सके कि उक्त गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल से स्त्रियों के जनन-पथ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । फिर भी इस पर आगे काम हो रहा है ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का असन्तोषजनक कार्यकरण

5262. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने असंतोषजनक कार्य और परिणामों के फलस्वरूप मदुरै स्थित अपनी एकक बन्द कर देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस असंतोषजनक कार्यकरण के लिए एकक के मुखिये (हैड) का दायित्व निर्धारित करने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि स्मीअर्स लेने का कार्य अलकोहल, पिकसटिव और स्लाइड उपलब्ध न होने के कारण एकक का कार्य बीच में लम्बे समय के लिए अस्तव्यस्त रहा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) (क) : जी नहीं।

माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जिस मदुरै स्थित एकक का उल्लेख किया है वह वही प्रतीत होता है जिसका उल्लेख उन्होने अपने प्रश्न संख्या 5261 में किया है, जिसका उत्तर भी आज ही दिया जा रहा है । (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है ;

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आल इण्डिया हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन वर्कर्स यूनियन्स के फैडरेशन से ज्ञापन

5263. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आल इंडिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्सन वर्कर्स यूनियन्स के फेडरेशन से कोई प्राप्त ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मांगे रखी हैं और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) मांगे निम्नलिखत श्रम कानूनों में संशोधन करने के सम्बन्ध में हैं : -

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

(2) उपदान भुगतान अधिनियम,

(3) भविष्य निधि अधिनियम,

(4) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम; और

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम ।

(ग) इन मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली परिवहन निगम के ड्राईवरों और कन्डक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

5364. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1974 में विशेषकर अक्तुबर और नवम्बर, 1974 में दिल्ली परिवहन निगम के ड्राईवरो और कन्डक्टरों के विरुद्ध महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1 जनवरी, 1974 से 30 नवम्बर 1974 तक 1255 जिसमें अक्तूबर, 1974 की 138 तथा नवम्बर, 1974 की 105 शामिल है ।

(ख) तथा (ग) 979 मामलों पर पहले ही करवाई की जा चुकी है और शेष 276 मामले कार्यवाही के विभिन्न चरणों में है ।

अल्यूमीनियम और तांबे की मांग तथा सप्लाई

5265. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार देश में अल्यूमीनियम और तांबे की मांग तथा सप्लाई कितनी रही ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार इन दोनों वस्तुओं की कुल सप्लाई में देशीय उत्पादन और आयात का भाग क्या रहा;

(ग) अल्यूमीनियम के मुख्य उत्पादक कौन-कौन से हैं और प्रत्येक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने अल्यूमीनियम का उत्पादन किया गया ; और

(घ) यदि तांबे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाये जा रहे हैं तो वह क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) निम्नलिलित सारणी में 1971-72 से 1973-74 वर्षों के दौरान (क) घरेलु उत्पादन तथा आयात के द्वारा एल्यूमिनियम और तांबा, (ख) अलौह धातु पर टास्क फोर्स (चौथी तथा पांचवीं योजना) द्वारा अनुमानित मांग दर्शायी गई है

(टनों में)

एल्यूमीनियम	1971-72	1972-73	1973-74
घरेलू उत्पादन . .	181,485	174,774	147,845
आयात .	21,236	1,664	1,605.6
जोड़	202,721	176,438	149,450.6
अनुमानित मांग	233,000	210,000*	230,000*
तांबा			
घरेलू उत्पादन .	8,405	12,596	12,899
आयात	56,000	54,000	53,000
जोड़	64,405	66,596*	65,899
अवुमानित मांग .	102,750	83,700*	83,700*

*पांचवीं योजना हेतु टास्क फोर्स ने पहले 1971-72 के मांग अनुभानों में कमी कर दी थी ।

(ग) मैसर्स इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियन कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड तथा भारतीय एल्यूमीनियम निगम लिमिटेड देश के प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादक है। इन कम्पनियों द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान एल्यूमीनियम उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

उत्पादन टनों में

कम्पनी का नाम	1971-72	1972-73	1973-74
1. इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	82,075	76,793	74,564
2. हिन्दुस्तान एयूल्मीनियम निगम लिमिटेड .	78,784	76,967	58,771
3. मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड .	13,063	13,182	11,296
4, भारतीय एल्यूमीनियम निगम (15 सितम्बर, 1973 से तालाबंदी में) . .	7,563	7,832	3,214
	181,485	174,774	147,845

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक तांबा धातु के उत्पादन को बढ़ा कर प्रतिवर्ष 45000 टन करने हेतु तांबा निक्षेपों के विकास का कार्यक्रम शुरू किया है। परन्तु, स्वदेशी उत्पादन तथा ताम्बा धातु की मांग में पर्याप्त अन्तर है इसलिए पांचवीं योजना में तांबे के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त होने की आशा नहीं है।

गत तीन वर्षों में सेवानिवृत्त हुए सैनिक और अफसर

5266. श्री डी० वी० चन्द्रगौडा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितने सैनिक तथा अफसर रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने व्यक्तियों का सरकार द्वारा व्यावसायिक पुनर्वास किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस अवधि के दौरान तीनों सेवाओं से कुल 175063 व्यक्तियों को सेवानिवृत्त/सेवामुक्त किया गया ।

(ख) इस अवधि के दौरान कुल 57796 व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया ।

भिलाई रूरकेला, दुर्गापुर और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी

5267. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी है और तीन वर्षों के दौरान उन्हें अदा की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये श्रमिकों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1974 में निम्नस्तर की औषधियों के निर्माण के लिए औषध एककों के लाइसेंसों का रद्द किया जाना

5268. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कुल कितने औषध एकक हैं जिनके लाइसेंस निम्नस्तर की औषधियों के निर्माण के लिये अप्रैल से अक्तूबर, 1974 की अवधि के दौरान रद्द किये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का अन्य क्या कड़ी कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) नकली और घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण तथा बिक्री को रोकने के लिये केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

घटिया किस्म की तथा नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

इन कदमों के परिणामस्वरूप मानक किस्म की दवाइयों की सप्लाई भी सुनिश्चित हो जाएगी ।

1. बिना लाइसेंस के औषधि निर्माताओं को समाप्त करने के लिए जो आम तौर पर नकली दवाइयां बनाते और बेचते हैं ; लाइसेंसशुदा औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची तैयार कर ली गई है और उसे अद्यतन बना दिया गया है । इस सूची को राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों तथा औषधि निर्माताओं और व्यापारियों के संघों को भेज दिया गया है ।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी दवाइयां बनाने तथा बेचने तथा बिना लाइसेंस के दवाइयां बनाने और बेचने की सजा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष तक कर दी गई है । उसमें ऐसा भी उपबन्ध कर दिया गया है जिसके अधीन ऐसी औषधियों के बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान तथा उन्हें लाने ले जाने के साधनों को जब्त किया जा सकता है ।

3. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने यहां मिलावटी दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेजी से चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखें ।

4. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों की सूचना मिलती है और जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तरराज्य गिरोह काम कर रहा है, उस समय संबंधित राज्यों को सचेत करने तथा राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिए विशेष सावधानियां बरती जाती हैं ।

5. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने औषधि निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि करें और दवाइयों की जांच करने की सुविधाएं भी बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सकें और जांच रिपोर्ट जल्दी मिल सकें ।

6. केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मण्डल कार्यालय खोल दिये गये हैं । मण्डल अधिकारियों का एक काम यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने, खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जायी जा रही हों, की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर-राज्य बाजार में बिकने वाली औषधियां हर हालत में मानकों के अनुसार हों । उनके इस काम में केन्द्रीय औषध निरीक्षक जो राज्य औषध निरीक्षकों के निकट सम्पर्क में काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं । मंडल कार्यालयों स सम्बद्ध केन्द्रीय निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है ।

7. औषध निर्माताओं और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशनों की सहायता और उनका सहयोग लिया गया है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों । नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान में उनका सहयोग लिया जा रहा है ।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों के लिये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियंत्रण उपायों को कठोरता से लागू करने में मदद देंगे ।

9. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकें, मंडल राज्य औषध नियंत्रकों की बैठकें करके तथा मंडल अधिकारियों और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों के बीच विचार विमर्श की व्यवस्था करने पत्र व्यवहार के अलावा निरन्तर सम्पर्क तथा बातचीत जारी रखते हैं । सूचना के इस निरन्तर विनियम से औषधियों के गुणों पर नियंत्रण रखने के उपायों में तालमेल रखने और उन्हें तेज करने में बड़ी मदद मिलती है ।

10. राज्यों को अपने यहां एक ऐसा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है जिसमें औषधि निर्माताओं, व्यापारियों, चिकित्सा व्यवसाय और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों जो राज्य सरकारों को यह सलाह देंगे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए क्या उपाय किए जाएं ।

11. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों में संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

12. अप्रैल, 1974 में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में नकली दवाइयों के प्रचलन के बारे में और नकली दवाइयों की इस बुराई को रोकने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किये जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श किया गया था । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश की गई थी कि वे 'आसूचना एवं विधि कक्ष' समेत एक उपयुक्त कार्यान्वयन मशीनरी तैयार करें जो नकली दवाइयों की बुराई को रोकने के लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाएं रखें ।

13. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को लिखा है जिसमें राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के महत्व पर जोर दिया गया है और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सख्त करने की आवश्यकता बताई गई है । उसमें एक कारगर औषधि नियंत्रण प्रशासन की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है और केन्द्रीय सरकार किस हद तक सहायता दे सकती है उस पर प्रकाश डाला गया है । अपराधी के पकड़े जाने पर वर्तमान कानून के अनुसार जहां तक हो सके कड़ा से कड़ा दण्ड देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ।

14. राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा इंजेक्शन बनाने वाली सभी फर्मों का निरीक्षण करने का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ।

15. नकली दवाइयों के बनाने और बेचने सम्बन्धी अपराधों पर कड़े दण्ड देने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित करने का विचार है ।

पश्चिम बंगाल की कुछ फार्मास्यूटिकल फर्मों के लाइसेंस रद्द किये जाना

5269. श्री वरके जार्ज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की 14 फार्मास्यूटिकल फर्मों के लाइसेंस घटिया और अस्वास्थ्यकर औषधियां बनाने के कारण चालू वर्ष के दौरान रद्द कर दिये गये थे ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी ही कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कासरगोड तथा कान्हनगोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का पुनः रेखांकन करना

6270. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोड तथा कान्हनगोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का पुनः रेखांकन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस पुनः रेखांकन करने से इन दोनों स्थानों के बीच दूरी कम हो जायेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सुझाये गये पुनर्संरेखण के गुणों जिसमें होने वाली लागत के पहलू भी शामिल है की अभी जांच की जा रही है चूंकि मौजूदा राष्ट्रीय राज मार्ग संरेखण पहले ही इकहरी गली के तारकोली सड़क के लिये है ।

तटवर्ती इस्पात संयंत्र

5271. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा तटवर्ती इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): विशाखापत्तनम के पास लगाया जाने वाला इस्पात कारखाना तटवर्ती क्षेत्र में होगा ।

भारतीय नौसेना पनडुब्बी वागीर को चालू करना

5272. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्देहास्पद लगने वाली एक मत्स्य नौका को पकड़ कर भारतीय नौसेना पनडुब्बी, वागीर तस्करी के विरुद्ध अभियान में सहायता देने वाला प्रथम भारतीय जहाज बन गया है ;

(ख) क्या इस मत्स्य नौका में 8 लाख रु० मूल्य का कपड़ा और इलक्ट्रानिक केलकुलेटर पाये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे कुशलता से पकड़ने के कारण पनडुब्बी के कर्मचारियों को पारितोषिक दिया था ; और यदि हां, तो किस प्रकार का ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तस्करों की नौकाओं को पकड़ने के लिए पनडुब्बियों का उपयोग नहीं किया जाता परन्तु अभ्यास के दौरान पनडुब्बी वागीर कई तस्करी जहाजों को पकड़ने में सहायक हुई।

(ख) पकड़े गये जहाजों में से एक जहाज कपड़ा और इलैक्ट्रानिक केलकुलेटर ले जा रहा था जिनका मूल्य लगभग 14 लाख रुपए था।

(ग) पनडुब्बी के कार्मिकों को इनाम देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों में आय के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में समान नीति

5273. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को मासिक आय के आधार पर जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के बारे में एक समान नीति अपनाने को कहने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सेना कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति

5274. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री सेना कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति के बारे में 21 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस भर्ती नीति को नियत करने के क्या कारण हैं जिसके बारे में निर्णय सरकार ने 1963 में लिया था परन्तु जिसे कार्यान्वित 1 अप्रैल, 1973 को, निर्णय लेने के लगभग 10 वर्षों के पश्चात् किया गया ;

(ख) यदि निर्णय 1963 में लिया गया था तो 17—25 वर्षों के आयु-समूह की भर्ती योग्य जनसंख्या के आधार पर उसे 1963 में अथवा तुरन्त उसके पश्चात् कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त निर्णय 1963 में किस तिथि को लिया गया था और क्या उक्त महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों से 17–25 वर्ष के आयु-समूह की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या से भर्ती को सम्बद्ध करने की नीति को 1963 से उत्तरोत्तर क्रियान्वित

न्वित किया गया है । जब यह निर्णय किया गया था उस समय भी यह सोचा गया था कि इस निर्णय को इस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए कि इसके द्वारा सेना के लड़ाकू गुणों में कोई कमी न आए । इसे कई वर्षों में एक चरणवार कार्यक्रम के अनुसार करना था । 1963 में लिए गए निर्णय के अंतिम चरण का 1-4-73 से कार्यान्वयन किया गया जबकि 1971 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो गए ।

(ग) (1) 18 फरवरी 1963 ।

(2) राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिएगो गार्शिया के अमरीकी सैनिक अड्डे के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता

5275. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार अमरीका द्वारा दिएगो गार्शिया द्वीप में सैनिक अड्डे की स्थापना करने के लिए उक्त द्वीप उन्हें सौंपने अथवा पट्टे पर देने के बारे में अंतिम रूप से सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त द्वीप पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता की उत्पत्ति और आधार क्या है ;

(ग) दिएगो गार्शिया द्वीप की सर्वोच्च प्रभुत्तासम्पन्न स्वतंत्र राज्य कौन सा है ; और

(घ) दिएगो गार्शिया द्वीप के राजनैतिक स्वरूप के बारे में उक्त देश ने क्या रुख अपनाया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 1966 में सम्पन्न एक समझौते के द्वारा यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने दिएगो गार्शिया द्वीप पर अमरीकी सरकार को रक्षा संबंधी कतिपय सुविधायें दी थीं । 3 दिसम्बर, 1974 को यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यह घोषणा की कि उसने "दिएगो गार्शिया द्वीप पर उक्त सुविधाओं के अपेक्षाकृत संतुलित विस्तार के अमरीकी सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने का निर्णय किया है" ।

(ख) से (घ) ग्रेट ब्रिटेन मारिशस के एक हिस्से के रूप में दिएगो गार्शिया का प्रशासन चलाता था और यह कहा जाता है कि 1968 में मारीशस की स्वतंत्रता के समय उसने कतिपय शर्तों पर इसे यूनाइटेड किंगडम को दे दिया था । उस समय दिएगो गार्शिया के करीब 300 वाशिन्दों को मारीशस में बसा दिया गया था । दिएगो गार्शिया का निकटतम प्रभुसत्ता प्राप्त स्वतंत्र राज्य वस्तुतः मालदीव है ।

एशियाई सामूहिक सूरक्षा पद्धति

5276. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा प्रस्तावित एशियाई सामूहिक सुरक्षा पद्धति की भारत सरकार ने जांच कर ली है ;

(ख) क्या ठोस प्रस्तावों की रूस से अभी प्रतीक्षा की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में रूस को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सोवियत संघ ने एशियाई सामुहिक सुरक्षा के कुछ सामान्य सिद्धांत तो पेश किये हैं लेकिन उनके क्रियान्वयन के बारे में कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की हमारी नीति के अनुरूप, सरकार ऐसे सभी सुझावों पर विचार करने को तैयार है जिससे एशिया को शांति एवं स्थिरता के क्षेत्र के रूप में उभरने में सहायता मिल सकती हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लौह अयस्क के निक्षेप

5277. श्री बी० वी० नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लौह अयस्क के निक्षेप कितनी मात्रा में हैं ; और

(ख) वर्तमान विदोहन दर को देखते हुए ये निक्षेप कितने वर्षों तक बने रहेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) देश में उच्च ग्रेड हेमेटाइट अयस्क के रूप में 86,200 लाख टन तथा मेग्नेटाइट अयस्क के रूप में 19,150 लाख टन लौह अयस्क के भण्डार होने का अनुमान है।

(ख) 1974 के दौरान 350 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन होने का अनुमान है। इस उत्पादन स्तर पर भण्डार 200 वर्ष से अधिक समय तक चलेंगे। कुछ और भण्डारों के पता लगने की भी संभावना है।

खेती श्रमिकों के कार्मिक संघ

5278. श्री बी० वी० नायक : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बागान श्रमिकों के अतिरिक्त खेती श्रमिकों के कुल कितने कार्मिक संघ हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : 1970 में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अधीन फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों की पंजीकृत 115 ट्रेड यूनियनें थीं। इस मामले में नवीनतम सूचना उपलब्ध नहीं है।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों में औषधियों की कमी

5279. श्री सी० जर्नादनन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों में प्रमुख औषधियों तथा अन्य सुविधाओं की कमी की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) और (ख) निगम को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा नियम अधिनियम, 1948 के अधीन चिकित्सा संबंधी लाभ के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होने के कारण यह काम केरल सरकार का है कि वे इस मामले की जांच करें ।

विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा

5280. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी पिछली अमरीका यात्रा के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री अमरीकी राष्ट्रपति से मिले थे ;

(ख) क्या खाद्य स्थिति और भारत की सहायता के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ग) बातचीत का सारांश क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बातचीत में आपसी हित के कई विषयों पर चर्चा हुई जिसमें भारत-अमरीकी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उपमहाद्वीप में शांति और समझौते को बढ़ावा देने में भारत के प्रयास सम्मिलित थे। इस मीटिंग से दोनों देशों के बीच अच्छी समझ-बूझ बढ़ी ।

स्मिथ स्टानी स्ट्रीट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता का विस्तार

5281. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्मिथ स्टानी स्ट्रीट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वेज नहर के बन्द होने के कारण हुई हानि

5282. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन यातायात के लिये स्वेज नहर खोल दी गई है ?

(ख) स्वेज नहर के बन्द होने से अपने निर्यात और आयात व्यापार पर भारत को अधिक भाड़ा देने के कारण वार्षिक अनुमानित हानि क्या है, और

(ग) भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ा देने के लिये स्वेज नहर को खोल देने के लिये की गई पेशकश के अवसर का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वेज नहर अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन यातायात के लिये नहीं खोली गई है ।

(ख) भारत के समुद्रपार व्यापार की जरूरत पूरी करने वाले विभिन्न सम्मेलनों ने भाड़े पर अधिभार लगाया है । इसके अतिरिक्त, अभी हाल तक, अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन के लिये नहर के खोलने की संभाव्यता के बारे में कोई निश्चित संकेत नहीं मिला है । इसलिये, भारतीय पत्तनों से महाद्वीप तक और इसके आगे का नौवहन मार्ग, गुड होप अन्तरीप तक प्रचलित हो जाने के कारण अतिरिक्त प्रदत्त भाड़े के परिमाणन के लिये कोई निश्चित अध्ययन नहीं किया गया इसके अलावा परिचालन में जहाजों के आकार में प्राविधिक परिवर्तनों के फलस्वरूप समस्त अर्थव्यवस्थाएं, विशेषकर खुली ढुलाई में, सम्भव हो गई । इसलिये यह कहना कठिन होगा कि स्वेज नहर के बन्द रहने से हानि हुई ।

(ग) अभी यह देखा जाना है कि कब और किन परिस्थितियों में नहर को नौगमन के लिये फिर से खोला जाएगा । परन्तु, इस समय यह बता दिया जाए कि जब कभी ऐसी कार्यवाही की जायेगी तो यूरोपीय गंतव्य स्थानों और भारतीय पत्तनों के बीच जहाजों का समय कम हो जाएगा । इसलिये हमारे जहाजों के लिये समुद्रपार व्यापार में विशेषकर यू० के० महाद्वीप सैक्टर तक, आगे से अधिक भाग लेना सम्भव हो सकता है ।

International Conference on Indian Ocean

5283. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether an International Conference was held in New Delhi in November, 1974 to protest against the establishment of military bases in Indian Ocean and to support the demand to declare it a Zone of Peace;

(b) the number of members who participated in the Conference and the countries they represented;

(c) the resolutions adopted in the Conference; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) According to our information, 61 members from 33 countries participated in the Conference. In addition, there were 17 participants who represented eight international organisations. The Conference adopted a number of resolutions and declarations dealing with the presence of foreign military bases in the Indian Ocean. Other resolutions dealt with the situation in Vietnam, Laos, Cambodia, Southern Aftica and the Gulf Region.

(d) As is well known, the Government of India is opposed to the existence and expansion of foreign military bases in the Indian Ocean, which are inconsistent with the UN Resolutions aimed at the preservation of the Indian Ocean as a Zone of Peace.

कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बिहार में पटसन की गांठ बनाने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल करना

5284. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बिहार में स्थित पटसन की गांठ बनाने वाले कितने प्रतिष्ठानों को अब तक शामिल किया गया है ; और

(ख) क्या इनके अधीन आने योग्य सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित तारीखों पर इनको लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) : बिहार में, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाए जाने योग्य जूट की गांठें बनाने वाला केवल एक ही प्रतिष्ठान है जिसे और आगे जांच की शर्त पर पहली सितम्बर, 1967 से अन्तरिम रूप से इस अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही लाया जा चुका है।

सब-डिवीजनल आफ़िसर सुपाल के न्यायालय में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दायर किये गये आपराधिक मामले

5285. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार और संबंधित भविष्य निधि निरीक्षक की सुस्ती के कारण सब-डिवीजनल आफिसर, सुपाल के न्यायालय में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दायर किये गये आपराधिक मामले अभी तक विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय ये मामले किस स्थिति में हैं और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार द्वारा फरवरी, 1963 से जून, 1968 तक की अवधि के लिए मैसर्स श्री शिव राइस एण्ड आयल मिल्स, सुपाल के खिलाफ दायर किए गए पैंसठ आपराधिक मामले सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सुपाल के न्यायालय में अभी तक लंबित हैं । इन मामलों को शीघ्र निपटवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

बिहार में चीनी कारखानों में अस्थायी और रोजन्दारी मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिया जाना

5286. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चीनी कारखानों में नैमित्तिक, अस्थायी और रोजन्दारों मजदूरों को, चीनी उद्योग के लिये दूसरे चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, न्यूनतम मजूरी नहीं मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी दिलवाने के लिए सरकार ने क्या कायवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क) और (ख)** : इस मामले में बिहार सरकार को लिखा गया है और प्राप्त होने पर सूचना सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

भाड़ा दरों पर अधिक करेंसी अधिभार

5287. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ब्रिटेन और महाद्वीपीय देशों को जाने वाले सभी निर्यात जहाजों को अब भाड़ा दरों पर अधिक करेंसी अधिभार देना होता है;

(ख) ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों तथा अमरीकी देशों में भेजे गये भारतीय जहाजों द्वारा इस वृद्धि के कारण अदा की गई अधिभार की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा अधिभार भारत को किये गये आयात पर भी लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात और आयात अधिभार का अनुपात क्या है और यह आयात अधिभार भारत के लिये कहां तक लाभप्रद है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) यू० के० कान्टीनेन्ट तथा अमरीका को भारतीय निर्यात के लिये अधिभार दर तथा जिस तारीख से वे प्रभावी हुई, नीचे दी गई हैं :—

जिस देश को निर्यात किया गया	दर	प्रभावी होने की तारीख
	प्रतिशत	
यू० के०	5.95	25-11-74
कान्टीनेन्ट	16.95	25-11-74
यू० एस० ए०	5.5 प्रतिशत की दर पर अधिभार जो 1-2-74 से प्रभावी हुआ 15-2-74 से बन्द कर दिया गया है।	

(ग) जी हां।

(घ) भारत-य० के० व्यापार में 5 : 7 का तथा भारत-कान्टीनेंटल व्यापार में 16 : 21 का अनुपात है। यह स्पष्ट किया जाय कि अधिभार जो संबंधित सम्मेलनों तथा अखिल भारतीय पोत-वणिक परिषद के बीच आपसी सहमत फारमूले के आधार पर निकाला गया है, अपने निर्यातकर्त्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रखा गया है।

Copper Melting Plant in Khetri

5288. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred and the time taken in completion of Khetri Copper Project; and

(b) the quantity of copper (in tons) proposed to be melted there every year and whether some other kind of production will also be made there in addition to melting copper;

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) The expenditure incurred at Khetri Copper Project up to September, 1974, is Rs. 99.96 crores. The Project has not yet been completed.

(b) The quantity of copper expected to be produced at Khetri Copper Project during 1974-75 is 3600 tonnes and the target of production for 1975-76 is 8,000 tonnes of copper metal. In addition to copper, Triple-Super-Phosphate will also be produced. Proposals for production of Sodium tripolyphosphate and Aluminium Fluoride at Khetri Copper Project are also under consideration.

Demands of D.T.C. Employees

5289. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state;

(a) whether employees of D.TC. had made some demands; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in regard to these demands?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi):

(a) Yes, Sir.

(b) The demands are being looked into.

दिल्ली परिवहन निगम के प्रशिक्षित कन्डक्टरों पर शर्त

5290. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बैज संख्या 9104 से 9350 के कन्डक्टरों की सेवा वृद्धि में व्यवधान डाल दिया गया है जबकि इन्होंने अपने प्रशिक्षण के बाद कन्डक्टर के पद पर तीन महीने तक कार्य किया है और उन्हें इस शर्त पर दोबारा बुलाया जा रहा है कि उन्हें तीन वर्षों तक एप्रेंटिस कन्डक्टर के रूप में कार्य करना होगा अन्यथा वे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे; और

(ख) क्या इन कन्डक्टरों को प्रति दिन केवल एक रुपया अथवा सवा रुपया दिया जाता है जबकि उन्हें महीने में 10-15 दिनों के लिय 8 घंटे तक डिपो में बैठना पड़ता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि दिल्ली परिवहन निगम ने माननीय सदस्य द्वारा बताये गये बैज नम्बरों वाले कण्डक्टरों को उनके तीन महीनों तक काम करने के बाद निकाल दिया। अप्रैल से जून, 1974 तक फसल कटाई और विवाह के मौसम के कारण कण्डक्टरों में काफी अनुपस्थिति रहने से निगम ने अपने पास रखी

प्रतीक्षा सूची से 206 कण्डक्टरों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नौकरी में अटकाये रखने के कर्मीदल के रूप में रखा। नौकरी में अटकाये गये कर्मीदल निगम के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। उन्हें 31-5-74 तक 4 रुपये प्रति दिन और 1-6-74 से 8.25 रुपये प्रति दिन लाइन पर काम करने वाले दिनों के लिये और उन दिनों के लिये प्रतिदिन 1.00 रुपया दिया गया जबकि उन्हें काम नहीं दिया गया। संबंधित व्यक्तियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी नियुक्ति दो महीनों के लिये नितान्त अस्थाई है और उनकी सेवायें उक्त अवधि के समाप्ति पर स्वयं ही खत्म हो जायेंगी। परन्तु ये व्यक्ति, आग होने वाले रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये विचारार्थ दिल्ली नगर निगम की प्रतीक्षा सूची पर रहे। नई बसों के आने से परिचालन स्थिति सुधर गई और निगम ने अपनी संशोधित भर्ती नीति के अनुसार प्रतीक्षा सूची पर रखे गये सभी कण्डक्टरों को शिक्षुओं के तौर पर नियुक्त किया। इस पद्धति के अन्तर्गत शिक्षुओं को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 100 रुपये, 120 रुपये और 140 रुपये प्रतिमास की समेकित वृत्तिका दी जाती है। जिन दिनों शिक्षु कण्डक्टरों को लाइन पर भेजा जाता है उनके लिये उन्हें 5 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से दिये जाते हैं। जब उन्हें लाइन पर नहीं भेजा जाता तो उन्हें डिपो कार्यशाला में रखा जाता है जहां उन्हें गाड़ियों की सफाई और रखरखाव का प्रशिक्षण, दूसरों के साथ आचरण और व्यवहार, टिकटों के लेखे और बिक्री, सेवाओं के कार्यक्रम आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

Unions Functioning in Shahjahanpur Ordnance Factory

5291. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of Unions functioning at present in Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory;

(b) whether it is incumbent on the part of Unions to obtain management permission for holding gate meetings in the interest of the employees;

(c) the number of Unions granted permission for gate meetings by the Management during the last two years and for how many times; and

(d) the names of the Unions not granted such permission and the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Six.

(b) Yes, Sir.

(c) During the last two years upto July 1974, only four Unions had applied for permission to hold gate meetings and permission was granted for 64 meetings.

(d) During the above period, the Tailors Union and Suraksha Karamchari Sangh had not applied for permission for holding gate meetings. Therefore, the question of refusal of permission did not arise. Since August, 1974 no Union has been permitted to hold any gate meeting for administrative reasons.

दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी नोटिस

5292. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले दिये गये आश्वासनों के बावजूद दण्डकारण्य परियोजना के कुछ कार्य प्रभारी कर्मचारियों को हाल में बर्खास्तगी नोटिस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को अन्यत्र खपा लिये जाने का प्रस्ताव है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इस प्रकार का ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि दण्डकारण्य परियोजना के फालतू कार्य प्रभारी कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक सेवा में रखा जायेगा। तथापि, ऐसे कर्मचारियों को समय-समय पर सेवा में रखे जाने की स्वीकृति दी गई है और उनकी वर्तमान अवधि 31-12-1974 को समाप्त होने वाली है। उस तारीख से आगे उनको सेवा में रखने के लिये निर्णय होने तक, परियोजना अधिकारियों द्वारा उनकी सेवायें समाप्त करने के औपचारिक नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(ख) यथासंभव कर्मचारियों को खपा लिये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली छावनी में भूतपूर्व सैनिकों के वाहनों के आवंटन के मामले में कथित कदाचार

5293. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेंट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी में भूतपूर्व सैनिकों को वाहनों के आवंटन के मामले में कदाचारों के बारे में संसद सदस्यों की ओर से शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) अभी हाल ही में संसद सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) उसमें यह आरोप लगाया गया था कि दो भूतपूर्व सैनिकों को जिन्हें दिल्ली छावनी के सेंट्रल व्हीकल डिपो के फालतू रक्षा भण्डार से गाड़ियां आबंटित की गई थीं, उन्हें गाड़ियों को लेने के लिये समयावधि को बढ़ाया गया था और उनमें से एक को उसके द्वारा पहले चुनी गई गाड़ी के स्थान पर दूसरी गाड़ी लेने की अनुमति दी गई थी।

(ग) शिकायत की जांच की गई है। यह पाया गया है कि गाड़ियों को आबंटित करने के सम्बन्ध में निर्धारित नियम तथा प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सेन्ट्रल व्हीकल डिपो के कर्मचारियों का निलम्बन और स्थानान्तरण

5294. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली छावनी के सेन्ट्रल व्हीकल डिपो के कुछ कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित वाहनों का बिक्री कारोबार करने के लिये निलम्बित/स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) क्या कुछ और कर्मचारियों के विरुद्ध भी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) छंटनी किये गये वाहनों की भूतपूर्व सैनिकों को बिक्री में अनियमितता की शिकायत के बारे में जांच-पड़ताल होने तक सेंट्रल व्हीकल डिपो,

दिल्ली छावनी के कुछ कर्मचारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया है, परन्तु किसी को भी निलम्बित नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बाला छावनी के असैनिक क्षेत्र में नगरपालिका का गठन

5295. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनसे पहले वाले मंत्री महोदय ने लगभग एक वर्ष पूर्व अम्बाला छावनी (हरियाणा) में एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की थी कि छावनी बोर्ड के असैनिक क्षेत्र के लिये शीघ्र ही एक नगरपालिका गठित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो किस अनुमानित तारीख तक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) हमारे पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिससे यह पता चले कि तत्कालीन रक्षा मंत्री ने ऐसी कोई घोषणा की थी। उन्होंने कृत्यक बल की सिफारिश का प्रसंग में दिया होगा। सरकार द्वारा नियुक्त एक कृत्यक बल ने सिफारिश की थी कि अम्बाला छावनी से कुछ क्षेत्र काट लिया जाय और अलग से एक नगरपालिका बना दी जाये। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है और इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अभी कुछ समय लगने की संभावना है।

सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये गए आर्थिक समझौतों की क्रियान्विति

5296. **श्री मधु लिमये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोवियत संघ तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये गये आर्थिक समझौतों की क्रियान्विति का निरन्तर पुनर्विलोकन करती रही है;

(ख) क्या कोयला खानों के आधुनिकीकरण तथा नई खानें चालू करने आदि के सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) क्या इन महत्वपूर्ण समझौतों के धीमे क्रियान्वयन के लिये भारतीय उत्तरदाई हैं अथवा रूसी?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) कोला खनन के कार्य में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ और पोलैंड से सहायता ली गई है। सोवियत संघ से बंकी, माणिकपुर और सूरकछार परियोजनाओं के लिये, कोरबा वर्कशाप और कथरा वर्कशाप के लिये सहायता ली गई जो कि इस समय चालू है और ठीक काम कर रही है। सिंगराली कोल क्षेत्र में दो बड़ी विवृत खानें और रानीगंज कोल क्षेत्र में एक बड़ी भूमिगत खान खोलने के लिये सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये विवृत खानों की तकनीकों और प्रौद्योगिकीय विकास और भारत में कोयला खनन मशीनरी के विनिर्माण के लिये भी सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ से सहायता ली जा रही है। इन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक है।

जहां तक पोलैंड का प्रश्न है, सूदम डीह कोयला खान, पोनिडीह कोयला खान परियोजना, गीडी कोलावशरी के विकास के लिये, सेन्ट्रल पाइन प्लैनिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना तथा झरिया कोयलक्षेत्र में अधिग्रहित कोकिंग कोयला खानों के विकास और पुनर्निर्माण के लिय सहायता ली गई है। सूदम डीह और मोनिडीह में, इन खानों के विकास के दौरान सामने आने वाली प्रतिकूल भूगर्भीय परिस्थितियों तथा अन्य परिस्थितियों के कारण काम की प्रगति प्रत्याशित से धीमी रही है। यह बात गौर करने के काबिल है कि सूदमडीह की खान देश में विकसित अब तक सबसे बड़ी गहरी कोयला खान है जिसकी अपनी भूगर्भीय विशेषतायें हैं और अब तक जो अनुभव हुआ है वह भविष्य में इस तरह की दुष्कर खानों के विकास के अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा । इस प्रकार काम की प्रगति तो आशा से धीमी हो सकती है लेकिन इसके कुल परिणाम असन्तोषजनक नहीं रहे हैं। पोलैंड के साथ जहां तक दूसरी मदों में सहयोग का प्रश्न है, इनकी प्रगति संतोषजनक रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसके प्रबन्धकों तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

5297. **श्री गजाधर मांझी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसके प्रबन्धकों और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध खान अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियम तथा विनियमों का उल्लंघन करने के कारण न्यायालयों में मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों पर आगे कार्यवाही करने का है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इन मामलों पर गुण दोष के आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

Re : Adjournment Motions

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने में सरकार की असफलता के बारे में हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है ··· (**व्यवधान**) वित्त मंत्री आज वक्तव्य नहीं दे रहे है ··· (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव में यह सिद्ध किया है कि उन्होंने जो सदन में उल्लेख किया था वह बिल्कुल असत्य था ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: इस बात की कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 5 फरवरी, 1970 को श्री तुलमोहनराम, जो नर्सिंग होम में थे, वहां से आये और श्री ललित नारायण मिश्र के घर गये और उस एक दिन के दौरान उन्होंने श्री

ललित नारायण मिश्र से दो बार बातचीत की और उन्होंने श्री तुलमोहनराम को आश्वासन दिया कि वह कार्य कर दिया जायेगा (**व्यवधान**) श्री तुलमोहनराम ने उन्हें हार पहनाया (**व्यवधान**) । शाम को विशेष ड्यूटी पर नियुक्त श्री एन० के० सिंह ने श्री तुलमोहनराम को इस बात की पुष्टि की कि उनका काम कर दिया गया है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की अनुमति दे चुका हूं जिन पर आज चर्चा की जायेगी। अन्य प्रस्तावों पर कैसे चर्चा की जा सकती है? एक प्रस्ताव श्री गोयनका का है और दूसरा श्री समर गुहा का ।

वित्त मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि वह महंगाई भत्ते पर कल वक्तव्य देंगे ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to raise an Adjournment Motion.

श्री एस० एम० बनर्जी : वह कल वक्तव्य देने वाले हैं। मुझे विश्वसनीय सूत्र से पता लगा है कि सरकार इस मामले को टालना चाहती है। आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता। मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : The Government has purchased speed boats named 'Durga' and 'Kali' to Stop smuggling. But it has done nothing to control internal sabotage to check smuggling. As a result of it smuggling has again started on large scale. I have given a notice for Adjournment Motion. I may be allowed to place the facts before the House in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा ।

Shri Madhu Limaye: So long as the Government fails to arrest smugglers like Hari Bha Tandle, the brother-in-law of Bakhia, who is M.L.A. in Daman, it is very difficulti to check smuggling. These people have immobilized 'Durga' and 'Kali' while entering the custom (*interruption*).

Mr. Speaker : I have already heard you.

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की चार किश्तों के बारे में वक्तव्य देने में की गई आपकी घोषणा के हम आभारी हैं। लेकिन मुझे भय है कि माननीय मंत्री इस मामले को फिर से टालने वाले हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की चार किश्तों का भुगतान किया जाना चाहिये? मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये (**व्यवधान**) यदि आज वित्त मंत्री वक्तव्य देते तो कम से कम हम कल कुछ प्रश्न पूछ सकते थे। कल वह वक्तव्य सभा पटल पर रख देंगे। उन्हें आज वक्तव्य देना चाहिये (**व्यवधान**)

श्री के० एस० चावड़ा (पटना) : आप मंत्री महोदय को आज वक्तव्य देने का निदेश दें। जिससे हम प्रश्न पूछ सकें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : We want that a statement in this regard should be made today. This issue is very serious and the employees are very much agitated. The Government wants to freeze the emplcyees' money.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have also submitted an Adjournment Motion regarding D.A. (*interruption*) Please direct the Hon. Minister to make a statement today.

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय सरकार को कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किश्तों का प्रश्न बार बार सदन के माध्यम सें उठाया गया है। उनको देय राशि का भुगतान बहुत लम्बें समय से बकाया है। सरकार इस मामलें को टालना चाहती है और इसी कारण इस मामलें को अन्तिम दिन रखा गया है, जिससें सरकार इस सम्बन्ध में सभा पटल पर पत्र रखकर छुटकारा पा सके।

आपने विधि मंत्रालय द्वारा निर्वाचन सूची नियमों में पुनरीक्षण में तोड़ मरोड़ करने के बारे में निदेश दियें हैं। चार दिन व्यतीत हो गये हैं। सरकार अध्यक्ष के निदेश की अवहेलना कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : में कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं। आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते। श्री रघु रमैया वह चुनाव की अफवाह के बारे में जानकारी के लिये पूछ रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अफवाह नहीं हैं। यह प्रैस रिपोर्ट है।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : जहां तक मुझे जानकारी है उक्त अफवाह बिलकुल बेबुनियाद है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है लेकिन आप यह कह रहे हैं कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में ऐसा हुआ है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है। उससे विरोधाभास का बोल होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधि मंत्रालय सांविधिक उपबन्धों की अवहेलना कर रहा है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हूई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु का कथन है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और अन्य समाचार पत्रों में चुनावों के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं। लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि उक्त सब बातें बेबुनियाद हैं। श्री बसु ने कहा है कि मंत्री महोदय का कथन बेबुनियाद है और समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार सच है। मैं तो मंत्री महोदय से ही पूछ सकता हूं। यह सरकार की ओर से बोल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन से मंत्री। मैं विधि मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने विधि मंत्रालय का उद्धरण दिया है। विधि मंत्रालय ने कथित वक्तव्य दिया है।

Shri Madhu Limaye : I want to draw the attention of the Government regarding a sensational report published in Bombay Newspapers. 'Kali' and 'Durga' two speed boats imported recently to intensify the drive against smuggling have been sabotage.

Hari Bhai Tandle, who is a Congress M.L.A. in Goa Assembly and who is brother-in Law of Bakhia..

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी नाम का उल्लेख करते हैं तो आप नियमों का पालन करें। आप किसी बाहर के व्यक्ति के नाम का उल्लेख अध्यक्ष को इसकी जानकारी दिये बिना नहीं कर सकते।

Shri Madhu Limaye : The smuggling cannot be stopped unless people like Prema Bhai Tandle, custom officials, and police officials are arrested.

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : तस्करों को पकड़ने के लिये स्वीकृत धनराशि में से आधी धन राशि भी खर्च नहीं की गई है। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिये।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re : Question of Privilege

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The answer given to starred question No. 352 regarding import of polyster fibre yarn by the Minister of Commerce Shri Chattopadhya on 6th December was incomplete. The hon. Minister has tried to evade the reply some facts have been deliberately withheld because there has been a big scandal in the grant of import licences for polyester fibre. I have given notice re. breach of privilege.

I wrote to the hon. Minister under Direction 115. I have received a reply just now in which it has been stated that "Shri A.B. Vajpayee has referred to the particulars of M/s. Bhagwan Das Sant Prakash. The facts are being checked up" But in todays 'Times of India' it has been reported that "An official scrutiny has substantially borne out the truth of the allegations made in Parliaments regarding improper issue of import licence for polyester fibre to the black-listed firm in 1971. Government is expected to make a statement on the subject in Parliament tomorrow" This is something very serious. Nothing has been mentioned regarding Minister's statement in the List of Business. This scandal is even more serious than the Pondicherry import licence scandal. M/s. Bhagwan Das Sant Prakash has been delisted from the list of approved importers in 1967. When the licence in 1970 was granted to that Company, a C.B.I. inquiry was going on against it. The company was kept in abeyance and a letter of caution was issued. But as soon as the licence was granted, the letter of abeyance and the letter of caution were withdrawn. The company then imported 'betal nut' on the false claim that it had lot of foreign exchange in Afghanistan. This is a very serious scandal which the Minister is trying to hush up So, the Speaker should direct the Minister to make a statement in this regard.

Shri Madhu Limaye : I raised a point of order in this matter. I want to know when we are expected to get this information ? I also want that the speaker should direct the Minister to make a statement not only in regard to M/s. Bhagwan Das Sant Prakash but in regard to all cases after June, 1970.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know when the information is likely to be collected by the Ministry of Commerce. How this information has been published in the newspapers ? It shows that the information is with the Ministry but the Hon. Minister is deliberately trying to with hold it. In case the Minister of Commerce is in a position to make a statement. Let him do so, otherwise he can do it tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे। उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करनी है। उन्हें एकदम ही जानकारी प्राप्त करने के लिय मजबूर नहीं किया जा सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please ask the Minister if he is prepared to make a s tatement.

Mr. Speaker : I want know whether the Minister is prepared to make Statement.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मुझे जानकारी देने में कुछ समय लगेगा। यह पेचीदा मामला है। जानकारी उपलब्ध कराने से पूर्व जानकारी एकत्र कर उसकी जांच करनी होगी और मुझ सन्तुष्ट होना पड़ेगा कि उक्त जानकारी ठीक है अथवा नहीं। अतः इस मामले में मुझे समय लगेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको इसमें कितना समय लगेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे इस कार्य में तीन या चार दिन लगेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह सत्र के स्थगन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कृपया 'टाइम्स आफ इंडिया' की रिपोर्ट देखें।

Shri Madhu Limaye: Sir, kindly ask the Hon. Minister to make a statement tomorrow.

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय को जानकारी एकत्र करनी है। मैं उनसे कहूंगा कि वह यथाशीघ्र जानकारी एकत्र करलें।

गोआ में जल दूषण सम्बंधी समस्याओं के बारे में

RE : WATER POLLUTION PROBLEMS IN GOA

श्री इराज्मुद लेकैरा (मारमागोआ): महोदय! गोआ में जलदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। लाखों व्यक्ति अस्वस्थ हो गये हैं तथा मछलियां मर रही हैं। उस कारखाने को बन्द किया जाये तथा मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं जल दूषण समिति को इस की सूचना दे दूंगा।

आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST ALL INDIA RADIO

श्री आर० एन० गोयन्का (विदिशा): महोदय! आपको स्मरण होगा कि 4 दिसम्बर, 1974 को सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाये थे। मैं उन आरोपों का वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता था किन्तु आपने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। आपने उन सभी निराधार आरोपों को सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिये जाने का आदेश दिया था। किन्तु कुछ समाचार पत्रों ने उक्त चर्चा का हवाला प्रकाशित किया था। मैं ने उस बारे में आपका औपचारिक रूप से ध्यान नहीं दिलाया क्योंकि सम्भव है प्रैस सम्वाददाताओं ने आपका विनिर्णय न सुना हो। किन्तु आकाशवाणी के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने भी यह विनिर्णय नहीं सुना होगा। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में सदन में हुई उस कार्यवाही को भी सम्मिलित किया गया जिसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं इसे 'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम में भी प्रसारित किया गया था। आकाशवाणी ने "चीटिंग और फोर्जरी" शब्दों का भी प्रयोग किया है। ज्ञात नहीं उसे यह शब्द कहां से मिले क्योंकि किसी भी समाचारपत्र में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। आकाशवाणी ने जिस प्रकार इस समाचार को प्रसारित किया है उससे सामान्य जनता यही समझेगी कि मेरा किसी चीटिंग के मामले में हाथ रहा है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकारी एजेंसी, आकाशवाणी ने मुझे बदनाम करने का प्रयत्न किया है। आकाशवाणी से सत्तारूढ़ दल की प्रसिद्धि के लिये तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तथा विपक्ष के साथ भेदभाव बरता जाता हैं। दिनांक 13 दिसम्बर को उपाध्यक्ष महोदय ने श्री मधु लिमये द्वारा एक विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न किये जाने पर शिक्षा मंत्री की भर्त्सना की थी। उपाध्यक्ष महोदय को कहना पड़ा था कि यह इस प्रकार की दूसरी घटना है। तथा मैं भविष्य में इसे सहन नहीं करूंगा। उसी दिन श्री मधु लिमये ने यह शिकायत की थी कि मारूति के बारे में उनके प्रश्न को तोड़ा-मरोड़ा गया है। महोदय! इस बारे में आपने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटना को प्रशन नहीं किया जायेगा, सभी समाचारपत्रों ने इन दोनों घटनाओं को पृथक पृष्ठों पर प्रकाशित किया था किन्तु आकाशवाणी द्वारा इस बारे में कोई समाचार प्रसारित नहीं किया गया।

महोदय ! यदि आपके निदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसे सभा के विशेषाधिकारों का हनन माना जाना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। इस बारे में आकाशवाणी विभाग को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जा सकता है और उसके पश्चात् उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। महोदय ! चूंकि आपने अभी इस बारे में अपना निर्णय नहीं दिया है, मेरा सुझाव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह सुनिश्चित कराने के आदेश किये जायें कि आकाशवाणी भविष्य में ऐसा रवैया न अपनाये। सरकार चन्दा समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करना चाहती कि आकाशवाणी को एक सांविधिक निगम बनाया जाये (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह नियम 225 के अन्तर्गत वक्तव्य है ? इसे माननीय सदस्य आपको चेम्बर में दे सकते थे। यह विशेषाधिकार के प्रश्न की व्यवस्था का दुरुपयोग है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब मैंने और श्री मधु लिमये ने आकाशवाणी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था तब आपने कहा था कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दीजिये। हमने आपके आदेश का पालन किया किन्तु अब आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सच है कि मैंने आपको यह सलाह दी थी और आपको समय भी अवश्य दिया जायेगा। मैं समझता था सम्भवतः श्री गोयन्का आपकी ओर से कुछ कहेंगे। दोनों प्रस्तावों की तिथियां अलग-अलग हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : महोदय ! आपने कहा था कि आकाशवाणी द्वारा संसद की कार्यवाही को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किये जाने के बारे में आप सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। (**व्यवधान**)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : महोदय, आपने विशेषाधिकार के दो प्रश्नों का हवाला दिया है, एक श्री गोयन्का के बारे में है तथा दूसरा ...

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मेरा विनिर्णय भी अलग-अलग होगा। उस दिन कई प्रस्तावों को एक साथ मिला दिया गया जिसमें आकाशवाणी का मामला उठाया गया था। उस स्थिति में मैंने सोचा था कि इन सभी पर एक साथ चर्चा की जा सकती है। किन्तु यदि आज उनको पृथक-पृथक प्रस्ताव माना जाता है तो आज दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती। आज केवल श्री गोयन्का के प्रस्ताव पर ही चर्चा हो सकती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Both of them are quite different. So, today only the motion relating to Shri Goenka should be taken up. The other one may be taken up tomorrow.

Mr. Speaker : Alright, the second one would be taken up tomorrow.

Shri Jyotirmoy Bosu (Diamond Harbour) : But what about my Privilege Motion ?

Mr. Speaker : The Privilege Motions which have already been taken up, are not coming to an end. How I can take up the other Motions ?

Shri Jyotirmoy Bosu : I will be satisfied if you just read out my motion at the moment so that it becomes pending.

Mr. Speaker : I have not seen the same so far. So, how can I read it ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपके सचिवालय से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आज विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आज नहीं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : यद्यपि आज अपने वक्तव्य के दौरान श्री गोयन्का द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो वर्तमान मामले से सम्बद्ध नहीं हैं तथापि मैं अपना वक्तव्य आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली 4 दिसम्बर 1974 की रिपोर्ट तक ही सीमित रखूंगा।

4 दिसम्बर, 1974 को प्रश्नकाल की समाप्ति के शीघ्र बाद, श्री आर० एन० गोयन्का के बारे में छपे समाचार का मामला श्री प्रियरंजन दास मुन्शी द्वारा उठाया गया। इस मामले का उल्लेख आकाशवाणी द्वारा इसके दो बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में किया गया। यह उल्लेख बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से तथा बिना विशेष महत्व प्रदान किये किया गया। यह समाचार बिना किसी विशिष्ट शीर्षक के, 'दिन की कार्यवाही' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित किया गया। इस घटना का उल्लेख केवल आकाशवाणी द्वारा ही नहीं अपितु पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० व अन्य समाचार एजेन्सियों द्वारा भी किया गया जो अगले दिन श्री आर० एन० गोयन्का के अपने ही समाचार पत्र 'इंडियन एक्सप्रैस' सहित, अन्य अनेक समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ। वास्तविकता तो यह है कि इस घटना को आकाशवाणी द्वारा दिया गया महत्व, समाचारपत्रों द्वारा दिये गये महत्व की तुलना में कम था। आकाशवाणी के समाचार प्रसारण में श्री गोयन्का के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा जालसाजी के आरोप का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाला समाचार संक्षिप्त तथा संचित था जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके आधार पर आकाशवाणी की माननीय सदस्य की आलोचना का आरोप बिल्कुल निराधार है।

श्री गोयन्का द्वारा 'टूडे इन पार्लियामेंट' समीक्षा के दौरान प्रयुक्त होने वाली 'धोखा धड़ी' तथा 'जालसाजी' के शब्दों पर आपत्ति की गई है। सदन यह बात भलीभांति जानता है कि यह समीक्षा अनुभवी संवाददाताओं द्वारा लिखी जाती है तथा उन्हें ऐसा तथ्यात्मक ब्यौरा देने की पूरी छूट होती है जो न किसी के पक्ष में हो और न विपक्ष में। इस वार्ता के समीक्षाकार वरिष्ठ तथा अनुभवी पत्रकार, श्री एन० गोपीनाथ नायर थे तथा उन्होंने पहले अपनी समीक्षा, मामले के श्री गोयन्का से सम्बद्ध होने के बारे में बताया तथा बाद में यह बताया कि यह मामला किस प्रकार उठा। इसी सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 'धोखाधड़ी' तथा 'जालसाजी' शब्दों का प्रयोग श्री प्रियरंजनदास मुन्शी द्वारा किया गया तथा उन्होंने भी ऐसा समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों के आधार पर किया। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि श्री गोयन्का समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों से इतने विचलित नहीं हुये, जिनके माध्यम से इस घटना का अधिक प्रचार हुआ, परन्तु उन्होंने एक अनुभवी संसदीय समीक्षक द्वारा संक्षिप्त तथा सन्तुलित रूप से लिखी गई समीक्षा पर आपत्ति की है। वास्तविकता तो यह है कि माननीय सदस्य ने अपने इस कृत्य द्वारा आकाशवाणी पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया है। संदेह के लाभ की बात भी कही गई है। परन्तु समाचार का ब्यौरा आकाशवाणी के संवाददाता द्वारा भी इसी प्रकार दिया गया जैसा कि अन्य संवाददाताओं द्वारा किया गया। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि 'प्रेस गैलरी' में

आकाशवाणी के संवाददाता को अन्य संवाददाताओं की तुलना में कुछ अधिक सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं। वास्तव में आकाशवाणी द्वारा इस घटना का उल्लेख कार्यवाही में बहुत ही निष्पक्ष ढंग से किया गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें दो बातों पर विचार करना है। प्रथम बात तो यह है कि क्या उस दिन यह भाग कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया था, या नहीं। यदि यह भाग कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया था तो किसी भी समाचार प्रसारण में या किसी अन्य समाचार एजेन्सी को इसे प्रसारित करने का अधिकार है या नहीं। दूसरी बात यह है कि यद्यपि 'टूडे इन पार्लियामेंट' शीर्षक के अन्तर्गत समीक्षा विशिष्ट संवाददाता द्वारा लिखी जाती है परन्तु फिर भी उस का अन्तिम उत्तरदायित्व आकाशवाणी का है या नहीं। क्या यह केवल यह कह कर अपने दायित्व से छूट सकते हैं कि समीक्षा संवाददाता द्वारा लिखी जाती है ..(**व्यवधान**) जब समाचार प्रसारण में 'जालसाजी' तथा 'धोखाधड़ी' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, तो संवाददाताओं ने उन्हें कैसे जोड़ा?

श्री पीलू मोदी (गोंदिया) : यह संभव है कि ये शब्द सम्पादन करते समय सरकार द्वारा समीक्षा में जोड़ दिये गये हों।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : What can be the point of order in it ?

Shri Madhu Limaye : May I know from the Hon. Minister whether the scripts written by senior correspondents are not edited ?

अध्यक्ष महोदय : तब तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The fact that this matter has been published in the newspapers does not minimise the lapse on the part of A.I.R. You should give a categorical ruling whether expunged portion should be covered by the Press and the A.I.R. ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे वाद-विवाद का विषय नहीं बनने दूंगा। आप सब बैठ जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इस बारे में कुछ जानकारी रखता हूं। वहां पर अच्छे से अच्छे पत्रकार हैं लेकिन वहां एक निदेशक भी हैं जो मंत्रियों तथा दल का विशेष ध्यान रखते हुये असुविधाजनक बातों को सम्पादन करते ये हटा देते हैं ...(**व्यवधान**)। इस लिये पत्रकारों को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठेंगे?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। गत एक वर्ष के दौरान आकाशवाणी के बारे में कुल कितने विशेषाधिकार प्रस्ताव आपको प्राप्त हुये? क्या यह सच है अथवा नहीं कि वहां डा० पाध्री नाम के एक निदेशक थे.....

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : आकाशवाणी एक सरकारी संस्था है और इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी से यह कह कर मुक्त नहीं हो सकते कि आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के लिये वे उत्तरदायी नहीं हैं।

इस मामले की उचित और पूरी-पूरी जांच विशेषाधिकार समिति ही कर सकती है और मेरा अनुरोध है कि मामले को इसे सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा की कार्यवाही देखी है। जब श्री गोयन्का का मामला चर्चा के लिये आया तो मैंने विनिर्णय दिया था कि जिन माननीय सदस्यों को मैंने नहीं बुलाया, उनके बारे में यह समझा जायेगा कि वे नहीं बोले और मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी यदि किसी ने मेरी अनुमति के बिना ही कुछ कहा है तो यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं है।

मेरे विनिर्णय के बावजूद भी यदि कोई सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोले हों तो निश्चय ही मुझे मंत्री महोदय का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त तथा श्री गोयन्का का भाषण देखना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

मझे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी अधिक निर्णय लिखने पड़ते हैं। मुझे इस सदन की अध्यक्षता करनी पड़ती है। सदस्यों को मिलना पड़ता है और प्रशासकीय कार्य भी करना पड़ता है। मुझे कार्यवाही देखकर प्रतिदिन दो अथवा तीन विनिर्णय लिखने पड़ते हैं। यह अध्यक्ष के लिये एक नया काम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम कल से आपको अवकाश प्रदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्य की समीक्षा

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी०-8812/74]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 699 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची सात में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8813/74]

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1324 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1973 की अधिसूचना संख्या 11/एफ० नं० 297/1/72 ई० डी० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-8814/74]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के वर्ष 1973–74 के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा पोत विकास निधि समिति के वर्ष 1972–73 का प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम् के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिडेड विशाखापत्तनम् के वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8815/74]

(2) व्यापारपोत अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पोत विकास निधि समिति के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और तत्संबन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8816/74]

गुजरात सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम, 1974 आदि

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत गुजरात सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 4 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या जी० एच० जे० 23/74/ई० वी० सी० 1173/ए-1 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने मे बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-8817/74]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8818/74]

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्रबन्ध बोर्ड (सदस्यों के भत्ते) नियम, 1974

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम 1972 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, प्रबन्ध बोर्ड (सदस्यों के भत्ते) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 400 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-8819/74]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1971–72 के लेखा परीक्षित लेखे, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 58वें प्रतिवेदन की सिफारिशें तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अभिसमय का अनुसमर्थन

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी, राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1971-72 के लेखा परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-8820/74]

(2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून 1973 में जनेवा में हुए 58 वें अधिवेशन के स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर की गयी अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-8821/74]

(3) खानों में भूमिगत नियोजन में प्रवेश, 1965 के लिये न्यूनतम आयु से संबन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के अभिसमय (सं० 123) के भारत द्वारा अनुसमर्थन का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-8822/74]

राज्य सभा से प्राप्त सन्देश
MASSAGE FROM RAJYA SABHA

महा सचिव: मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि निम्नलिखित सदस्यों को सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये:

(1) श्री ए० के० गोपालन ।

(2) श्री रसिकलाल पारिख ।

क्या सभा की राय है कि समिति की सिफारिशों के अनुसार उन्हें अनुमति दी जाये ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां ।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति दी जाती है उन्हें तदनुसार सूचना भेज दी जायेगी।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

68वां प्रतिवेदन

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) कोयले की उपलब्धता तथा वितरण के बारे में प्राक्कलन समिति का 68वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

दसवां प्रतिवेदन

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : According to the rules, the replies in respect of the questions regarding Assurances given by the Government should be given within three months. During this session and also in the last session, I asked dozens of questions regarding Provident Fund office, Bihar. The information should be furnished on the Table of the House within the period stipulated. I have six instances where four months have elapsed and still no reply has been received.

Mr. Speaker; You can raise this matter in my chamber or you can give a notice under Rule 377.

Shri Ramavatar Shastri : You do not give permission under Rule 377.

Mr. Speaker : I cannot allow speaches at the time of presentation of a report.

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS
कार्यवाही सारांश

श्री जगन्नाथ राव : (छतरपुर) : मैं याचिका समिति की 42वीं से 51वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

अभ्रक तथा चपड़े के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE-MICA AND SHELLAC

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अभ्रक का निर्यात जनवरी, 1972 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत था, अभ्रक व्यापार निगम (मिटकों) की स्थापना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अनुषंगी निगम के रूप में जून 1974 से की गई थी। यह निगम अभ्रक के व्यापार से संबन्धित सभी काम को संभालने के लिए विशेषीकृत अभिकरण है। इस संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अभ्रक उद्योग तथा व्यापार के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की सहायता करना है।

इस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे प्रोसेसरों, व्यापारियों तथा खान मालिकों को इस व्यापार के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के रूप में माना जाता है, जो विगत में निर्यात व्यापार करते रहे हैं और जिनके निर्यात पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष 7.5 लाख रुपये से अधिक के नहीं हुए थे। इस श्रेणी में लगभग 400 से लेकर 500 तक प्रोसेसर, व्यापारी तथा खान मालिक हैं।

इन वर्गों की मदद करने की दृष्टि से पहले खनिज तथा धातु व्यापार निगम और अब अभ्रक व्यापार निगम उनसे निर्यात के लिए अभ्रक खरीदता रहा है। अप्रेल, से अक्तूबर, 1974 की अवधि के दौरान उसने इन छोटे उत्पादकों से प्रतिमास औसतन लगभग 43 लाख रुपये का अभ्रक खरीदा है और मिटको के खरीद कार्यों पर धन की कमी के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त मिटको अपेक्षाकृत कमजोर श्रेणियों में आने वाले सभी प्रोसेसरों आदि से बिना किसी भेदभाव से ये खरीदारियां करता है।

विभिन्न ग्रेडों के अभ्रक की निम्नतम कीमतें, निर्यात के लिए उपलब्ध उनकी मात्रा और विदेशी खरीदारों की मांग के आधार पर निश्चित की जाती हैं। विभिन्न ग्रेडों के सम्बन्ध में ये निम्नतम कीमतें पिछली बार फरवरी, 1974 में संशोधित की गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय (पीठासीन हुए)

Mr. Dy. Speaker in the chair

कुछ वर्ष पूर्व नं० 6 के खुली हुई परतों (लूज स्पिलिटिंग्स) के निर्यात घट गये थे और इन परतों से तैयार किये गये अभ्रक के उत्पादों को संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं से गंभीर प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी। इस स्थिति का सामना करने के लिए इन पर लगाये जाने वाले 40 प्रतिशत तथा मूल्य के निर्यात शुल्क को घटाकर 31-3-1969 से 20 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया और 1 जनवरी 1973 से उसे और घटाकर 15 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया। इस ग्रेड की निम्नतम कीमतों में भी दो बार वृद्धि की गई। 1 जनवरी, 1973 से कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की

गई और फरवरी, 1974 से 20 प्रतिशत की वृद्धि और की गई, अब इन परतों के निर्यात फिर होने लगे हैं । इन निम्नतम कीमतों का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है ताकि प्रोसेसरों और खान मालिकों को उचित लाभ मिल सके और निर्यातों का क्रम एक सा बना रहे। इस प्रकार आप यह देखेंगे कि सरकार इस श्रेणी के अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के प्रश्न की ओर समुचित ध्यान दे रही है ।

प्रोसेस्ड अभ्रक के निर्यात को दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए अभ्रक व्यापार निगम द्वारा एक सम्पर्क समिति स्थापित की गई है । इस समिति में छोटे बड़े दोनों प्रकार के अभ्रक खान मालिकों, प्रोसेसरों तथा व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं । प्रतिनिधियों का चयन स्वयं व्यापारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार समिति में अभ्रक व्यापारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया है ।

कतिपय महत्वपूर्ण खरीदारों द्वारा संविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण 1973-74 में प्रोसेस्ड अभ्रक के निर्यातों में गिरावट आई लेकिन इस वर्ष की पहली छमाही में निर्यातों में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है । अप्रेल से सितम्बर, 1973 में 4.04 करोड़ रुपये मूल्य के 10,484 मे० टन प्रोसेस्ड अभ्रक के निर्यात किये गये थे जो इस वर्ष की उसी अवधि में बढ़कर 10.39 करोड़ रुपये मूल्य के 18.749 मे० टन हो गये ।

चपड़ा

जहां तक चपड़े का सम्बन्ध है वर्ष 1973-74 के दौरान चपड़े की निर्यात कीमतों में आकस्मिक वृद्धि हुई। जबकि 1972-73 के दौरान मानव निर्मित चपड़े तथा मशीन निर्मित चपड़े की औसत कीमत क्रमशः 8000 रुपये तथा 8,715 रुपये प्रति टन प्राप्त हुई थी, 1973-74 के दौरान मानव निर्मित चपड़े के लिए 24,216 रुपये प्रति टन तथा मशीन निर्मित चपड़े के लिए 29,000 रुपये प्रति टन औसत इकाई मूल्य प्राप्त हुआ। चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् की सिफारिशों तथा वर्तमान महीनों में कीमतों के रुखों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के चपड़े की न्यूनतम निर्यात कीमत में 30-5-1975 से संशोधन कर दिया गया ।

मानव निर्मित तथा मशीन निर्मित चपड़े की न्यूनतम निर्यात कीमत सदा एक ही स्तर पर रखी गई है यदि मानव निर्मित चपड़े की कीमत मशीन निर्मित चपड़े की कीमत से कम स्तर पर रखी जाये तो इससे देश को विदेशी मुद्रा अनावश्यक की हानि हो सकती है। हमें आशा है कि मशीन निर्मित चपड़े पर उसकी वेहतर विशिष्टियों के कारण विदेशी खरीदारों से स्वतः ही अपेक्षाकृत अधिक कीमत वसूल होंगी। वास्तव में, 1973-74 के दौरान एक टन मशीन निर्मित चपड़े से एक टन मानव निर्मित चपड़े के मुकाबले में लगभग 5000 रुपये अधिक प्राप्त हुए ।

उच्चतर न्यूनतम निर्यात कीमत के परिणाम स्वरूप मात्रावार तथा मूल्यवार दोनों दृष्टि से चपड़े के निर्यातों में वृद्धि हुई है । अप्रेल, 1974 से अक्तूबर 1974 की अवधि के दौरान 14 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात हुए हैं तथा लगभग 4 करोड़ रुपये के कथादेश निर्यातकों के पास पड़े होने की सूचना मिली है । इसकी तुलना 1973-74 के कुल निर्यातों से की जा सकती है जो कि केवल मूल्य की दृष्टि से 13.40 करोड़ रु० के थे। 1973-74 के दौरान निर्यात की गई मात्रा 3115 टन थी जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर 1974 तक पहले ही 4050 टन माल का निर्यात किया जा चुका है ।

उच्चतर न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारण के फलस्वरूप हुए अधिक उपार्जनों से स्टिकलाख उपजकर्ताओं को वेंहतर कीमतें मिलने की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है क्योंकि उपजकर्ता सभी स्टिकलाख

प्राथमिक बाजारों में लाते हैं। इसके बाद वह दलालों के जरिए, मानव निर्मित तथा मशीन-निर्मित चपड़ा विनिर्माताओं दोनों को बेची जाती है।

सरकार सभी संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर चपड़े की न्यूनतम निर्यात कीमत का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता को समझती है : अतः केन्द्रीय सरकार को समय समय पर ऐसे संशोधन करने की आवश्यकता और गुंजाइश तथा अन्य संगत पहलुओं के बारे में सलाह देने के लिए चपड़ा व्यापार के बारे में एक स्थायी सलाहकार समिति स्थापित करने का विचार है जिसमें मेकेनिकल विशेषज्ञ, व्यापारियों, वाणिज्य मंत्रालय तथा संबन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न अभ्रक के बारे में और दूसरा चपड़े के बारे में।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : परन्तु इसका चार लाख परिवारों पर प्रभाव पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का संचालन नियमानुसार करना है। यदि आप वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं है तो आपको कोई अन्य मार्ग अपनाना होगा।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति से अभ्रक के उत्पादन में वृद्धि हुई अथवा उसमें कमी आई और अभ्रक के अनुमानित निर्यात के मुकाबले में इसके वास्तविक निर्यात में कितनी कमी रही ?

क्या इसके परिणामस्वरूप हजारीबाग तथा गिरिडीह जिलों के 72 मील लम्बे अभ्रक क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी फैल गई है ?

क्या चपड़े के मूल्य में निर्यात मूल्य निर्धारण के बाद कमी आई है ? क्या इसके कारण चपड़े के वृक्षों को अनावश्यक रूप से काट दिया जायेगा अथवा नहीं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आंकड़ों से पता चलता है कि यह सही है कि पिछले 6-7 वर्षों में अभ्रक के उत्पादन में कुछ कमी हुई है। उत्पादन में कमी के कारण ये हैं : (क) उत्पादन लागत में वृद्धि (ख) विदेशों में इसके स्थान पर संश्लिष्ट पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना .....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री आप लांबी में जाकर बात कर लें। आप मुझे ध्यान से सुनने नहीं दे रहे हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : तीसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी मात्रा में भंडार जमा हो जाने के कारण अभ्रक विश्व के बाजार में अलाभकारी हो गया है और इसलिए उत्पादन प्रोत्साहन में कमी हुई और परिणामतः उत्पादन में भी कमी हुई है। अभ्रक उद्योग के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए अभ्रक व्यापार निगम का गठन किया गया है। लाख का निर्यात करके अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करना हमारा उद्देश्य है। मानव निर्मित लाख और मशीन निर्मित लाख एक जैसी होती है, इसलिए दोनों की समान कीमत निर्धारित की जाती है। अगर मानव-निर्मित लाख के लिए कम कीमत निर्धारित की जाय, तो निर्माणकर्ता न्यूनतम मूल्य को अधिकतम मूल्य के रूप में लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की क्षति होती है। मात्रा और मूल्य-दोनों ही दृष्टियों से लाख की जो कीमत हमने निर्धारित की है, उसके देश के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

दूसरा प्रश्न यह कि क्या इस नीति से निर्धन लाख संग्रह कर्ताओं और उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रा और मूल्य की दृष्टि से बाजार में बिक्री कम नहीं हुई है। हमने एक समिति नियुक्त की है, जो इस मामले पर विचार करेगी और राज्य सरकार तथा व्यापार के प्रतिनिधियों से परामर्श करके इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अधिक मात्रा में निर्यात से आय ही न हो, बल्कि उत्पादकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाय।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

Code of Civil Procedure (Amendment) Bill

संयुक्त समिति के लिए सदस्य की नियुक्ति

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति में श्री नीतिराज सिंह चौधरी के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर डा० (श्रीमति) सरोजिनी महिषी को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति में श्री नीतिराज सिंह चौधरी के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर डा० (श्रीमति) सरोजिनी महिषी को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

Taxation Laws (Amendment) Bill

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री वसंत साठे (आकोला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961 धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पाण्डिचेरी), 1974–75
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY), 1974-75

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के बारे में वर्ष 1974-75 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पाण्डिचेरी इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है। इसलिए वहां की आवश्यक समस्याओं पर चर्चा किये बिना इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहां खाद्य स्थिति गंभीर है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस समय केवल मांगों को पेश किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह परम्परा रही है कि जब अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश की जाती हैं, तो उन पर चर्चा नहीं की जाती, लेकिन एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, जब मांगों पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें पारित किया जाना चाहिए। समय निकालना संसदीय-कार्य मंत्री का काम है।

श्री के० रघुरामैया : अगर समय मिल जाता है, तो हम इन्हें ले सकते हैं। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकारी कार्य है, इसलिए इसके लिए समय निकालना संसदीय कार्य मंत्री का काम है।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill

श्री के० रघुरामैया : मैं संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबन्धी अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबन्धी अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTERS UNDER RULE 377

आसाम में बोड़ो आदिम जाति लोगों द्वारा कथित आन्दोलन

श्री नूरुल हुडा (कछार) : मैं आसाम के 7 लाख भाषाई अल्पसंख्यकों 'बोड़ो' आदिवासी लोगों के शान्तिपूर्ण आन्दोलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दें। 'बोडो' आदिवासी लोगों का शान्तिपूर्ण आन्दोलन बोडो भाषा के लिए असमिया लिपि के बजाय रोमन लिपि लागू करने की मांग को लेकर था। असम सरकार ने असम पुलिस की 9वीं बटालियन और सी० आर० पी० कर्मचारियों को तैनात किया, जिन्होंने शान्तिपूर्ण 'बोडो' आदिवासियों पर भीषण अत्याचार किये। 18 नवम्बर से 27 नवम्बर तक 10 दिन के आन्दोलन के दौरान छः सत्याग्रहियों की पुलिस गोलीबारी से मृत्यु हो गई, 1500 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, दो औरतों का अपहरण किया गया, दस व्यक्ति लापता है और 59 व्यक्ति गोली से घायल हुए। यही नहीं, पुलिस ने बेशकीमती सम्पत्ति को बरबाद कर दिया और आभूषणों को लूट लिया। क्योंकर जिला 'बोडो' साहित्व सभा के सचिव, प्रो० लखेश्वर ब्रह्मा के घर पर धावा बोल दिया और उनके प्रमाणपत्रों तथा दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। बांगर गांव में सशस्त्र पुलिस ने बोडो साहित्य सभा कैम्प पर हमला किया और स्थानीय हाई स्कूल के मुख्याध्यापक को सताया और गिरफ्तार कर लिया। बोडो यात्रियों और बोडो कांग्रेसियों को भी नहीं बख्शा गया।

सरकार का यह आरोप पूर्णतया गलत है कि बोडो प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियार थे। पुलिस को भाले, कुल्हाड़ी और फावड़े ही प्रदर्शनकारियों से मिले, जो सामान्यतः आदिवासियों के पास रहते हैं। यह कहा गया कि रामचाईधान पुल प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था, परन्तु तथ्य यह है कि पुल को जोड़ने वाली सड़कें तीन साल पहले बाढ़ से बह गई थीं।

'बोडो' साहित्य सभा ने सरकार के साथ समझौता हो जाने के कारण आन्दोलन को अस्थायी तौर पर निलम्बित कर दिया है। करार में यह कहा गया था कि सरकार सभी गिरफ्तार आदिवासियों को रिहा कर देगी। दो सप्ताह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी आदमी रिहा नहीं किया गया है। यही नहीं, अब भी गिरफ्तारियां जारी हैं। सिडली और बिजली क्षेत्रों में भयावह वातावरण की वजह से धान की फसल नहीं काटी जा रही है। छात्र कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने वहां जाकर यह पाया कि कोकराझार और बिजनी में पुलिस गोलीबारी अनुचित और अवांछित थी।

हम बर्बर पुलिस अत्याचारों की भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाय। जो व्यक्ति पुलिस गोलीकाण्ड में मारे गये हैं अथवा जिनकी सम्पत्ति बरबाद कर दी गई है, उनके परिवारों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाय। सामान्य स्थिति पुनः कायम करने के लिए सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाय।

बोडो आदिवासी लोगों के तीन नेता दिल्ली आये हुए हैं और वे प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें और आसाम सरकार को निदेश दें कि वह बोदो आदिवासी लोगों से समझौता करे जिससे सामान्य स्थिति कायम हो सके। इन शब्दों के साथ इस स्थिति पर गृह मंत्री से मैं वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के बारे में

RE : DURGAPUR STEEL PLANT WORKERS

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : दस दिन पहले मैंने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ठेकेदार श्रमिकों की भुखमरी की स्थिति का मामला उठाया था, जिन्हें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने नौकरी से

निकाल दिया था। इस्पात मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव ने उस समय आश्वासन दिया था कि इस मामले का समाधान करने के लिए निश्चित कदम उठाये जायेंगे।

मुझे दुर्गापुर के श्री दिलीप मजूमदार से एक तार प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि काम से निकाले गये एक श्रमिक और एक श्रमिक का बालक भूख से मर गये हैं। अगर सरकार ने ठेकेदार श्रमिकों को फिर से रोजगार नहीं दिया, तो और अधिक संख्या में भुखमरी से मौतें हो सकती हैं। इस्पात मंत्री से मैं वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

दिल्ली नाटक प्रदर्शन विधेयक के बारे में

RE : DELHI DRAMATIC PERFORMANCE BILL

Shri Madhu Limaye (Banka) : Last Friday, I had requested you to find out from the Education Minister as to why consent of the President was not obtained regarding Dramatic Performances Bill. In spite of your direction, the Honourable Minister has not come before the House. Thus he has shown gross disrespect not only to the House, but to the chair also.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कुछ कलाकार शिक्षा मंत्री पर जोर डाल रहे हैं, ताकि विधेयक पेश न किया जा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला गंभीर है। शुक्रवार को मैंने शिक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। सोमवार को यह मामला फिर उठाया गया। आप शिक्षा मंत्री को यह बता दें कि वह नियम 227 के अधीन कार्यवाही के लिए बाध्य न करें।

Shri Madhu Limaye : It is a serious warning. The matter might be referred to the Privileges Committee.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपने अपने विनिर्णय में कहा था कि सदन का यह अधिकार है कि उसे यह बताया जाय कि दूसरी बार ऐसा क्यों हुआ। सदन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कल का दिन और है। मंत्री महोदय को कल वक्तव्य देना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : कल लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री रेल मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहें, जिसमें वह बतायें कि कितने रेल कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है, कितने मामले अभी भी निर्णयाधीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री आपकी बात को प्रेसित कर देंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी है। आपने मुझे यह बात रेल मंत्री तक पहुंचाने को कहा है। मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप रेल मंत्री से आग्रह करें कि वह कल वक्तव्य दें।

चीनी उद्योग जांच आयोग प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: SUGAR INDUSTRY ENQUIRY COMMISSION REPORT

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन (1974)—खण्ड 1 और 2 पर जो 26 अगस्त, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

इससे पहले कि मैं इन प्रतिवेदनों की बातों पर टिप्पणी करूं, मैं सभा को वह पृष्ठभूमि तथा ढंग याद दिलाना चाहूंगा जिसमें चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गए थे।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से संबंधित भार्गव आयोग ने 15 मई, 1973 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। जांच आयोग अधिनियम. 1952 की धारा 4(3) के अनुसार सरकार के लिये यह अनिवार्य है कि जब कभी जांच आयोग सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें उन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। पन्द्रह महीनों तक इस सभा ने प्रतीक्षा की परन्तु इन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर नहीं रखा गया। अतः मैंने 20 अगस्त, 1974 को कृषि मंत्री, श्री सी० सुब्रह्मण्यम् के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। उस अवसर पर कृषि मंत्री ने यहां आकर कानूनी टालमटोल की। उन्होंने सभा और अध्यक्ष महोदय को समक्ष यह तर्क दिया कि 15 मई, 1973 को भार्गव आयोग द्वारा प्रस्तुत चीनी के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रतिवेदन अन्तरिम प्रतिवेदन है और इस तर्क के सहारे सभा को यह आशवासन दिया कि गत प्रतिवेदन, जो 27 फरवरी, 1974 को प्रस्तुत किया गया था, को प्रस्तुत किये हुए छह महीने का समय पूरा नहीं हुआ है और वह सभा के समक्ष सभी उपलब्ध प्रतिवेदन उपयुक्त समय पर रखेंगे। उस अवसर पर हमने यह तर्क दिया था कि भार्गव आयोग का प्रतिवेदन स्वतः पर्याप्त है। इस प्रतिवेदन में आयोग के निष्कर्ष हैं और दो विभिन्न दलों की भिन्न सिफारिशें भी हैं। अतः चीनी उद्योग के बारे में चर्चा के लिये कोई भी बात नहीं छोड़ी गई। इसलिये हमने तर्क दिया था कि प्रतिवेदन स्वतःपर्याप्त है और इसे छह महीने पूरे होने से पहले सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये था। परन्तु यह 15 महीने बाद रखा गया है।

26 अगस्त, 1974 को ये दोनों बड़े बड़े प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गये। उसी दिन मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा और उसमें मैंने बताया कि की गई कार्यवाही का ज्ञापन भी प्रतिवेदन के साथ सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। तब तत्कालीन कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) ने प्रतिवेदन के दो खंड और कार्यवाही का ज्ञापन सभा-पटल पर रखा और उस पर मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। कार्यवाही का ज्ञापन निष्क्रियता का ज्ञापन नहीं होना चाहिये।

उस ज्ञापन में मंत्री महोदय ने कहा :

"...वित्तीय परिव्यय और जटिल प्रशासनिक प्रश्नों को देखते हुए इस मामले की जांच करने के लिये सरकार को और समय चाहिये...."

स्पष्ट है कि उनकी कठिनाइयां राष्ट्रीयकरण की समस्या के बारे में थी। 15 महीने के बाद भी सरकार ने ज्ञापन में कहा कि "मामले पर विचार" करने के लिये उसे और समय चाहिये। मैंने सभा में यह प्रश्न उठाया और सौभाग्यवश अध्यक्ष महोदय ने मेरे तर्क को उसी समय रद्द नहीं किया।

उन्होंने कुछ टिप्पणियां कीं जो लोक-सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित भी की गई हैं। उन्होंने कहा कि नियम समिति को यह उचित रूप से परिभाषा करनी होगी कि कार्यवाही के ज्ञापन का क्षेत्र क्या है।

यदि महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हर बार सभा में तब ही प्रस्तुत किये जायं जब सतर्क सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न उठायें तो ऐसा करना गलत उदाहरण रखना होगा।

मैं उस घटना को याद करता हूं जो इस सभा में घटित हुई। एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिये। जब वह प्रतिवेदन सभा में नहीं रखा गया तो मुझे विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना पड़ा। आज भी जिन प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है उन्हें भी विशेषाधिकार के प्रस्ताव के माध्यम से रखवाया गया है।

जहां तक इन प्रतिवेदनों का संबंध है, इनमें चीनी उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है और इस उद्योग के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आयोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार किया जाये। ये पहलू हैं:

1. भारत में चीनी उद्योग की टेक्नोलौजी-संबंधी समस्याएं ;
2. चीनी उद्योग के स्वामित्व नियन्त्रण और प्रबन्ध की पद्धति;
3. चीनी उद्योग में श्रमिकों की स्थिति तथा श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच संबंध;
4. देश में चीनी उपभोक्ताओं के हित ;
5. गन्ना उत्पादकों की समस्याएं और देश में चीनी उद्योग की निर्यात क्षमता।

इन सभी पहलुओं पर विचार करके मतैक्य तैयार किया जाना चाहिये।

मुझे पता चला है कि इस आयोग की कुछ प्रगतिशील सिफारिशों का समर्थन करने में विरोधी दलों तथा सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य एक हैं। चीनी उद्योग की समस्याओं के बारे में एकमत होने की स्वस्थ्य प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि देश के चीनी उद्योग की 'टेक्नोलौजीकल' समस्याओं का समाधान किया जाये। भार्गव आयोग के प्रतिवेदन से पूर्व 'गुन्डु राव आयोग' का प्रतिवेदन था। मैंने इन दोनों प्रतिवेदनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इन दोनों प्रतिवेदनों में टेक्नोलौजीकल समस्याओं के बारे में एक जैसे ही विचार व्यक्त किये गए हैं।

मैंने सभा के समक्ष जो आंकड़े रखे हैं उनके अनुसार ऐसा लगता है कि 236 चीनी मिलों में से 104 मिलें ऐसी हैं जो तीस वर्ष से अधिक पुरानी हैं। जब मशीनें काफी समय की हो जाती हैं तो वे पुरानी पड़ जाती हैं।

'गुन्डु राव आयोग' के प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1969–70 में चल रहे 215 चीनी कारखानों में से 113 कारखाने 37 वर्ष से 67 वर्ष तक पुराने थे और उनमें काफी फेरबदल की आवश्यकता थी। जब बहुत सी चीनी मिलों की मशीनें पुरानी पड़ जाती हैं तो उनमें उत्पादन निश्चय ही कम होगा।

परन्तु एक बात और है जिस पर इस सभा में विचार किया जाना चाहिये कि मशीनें पुरानी पड़ी क्यों रहती हैं? इसके लिये एक पहलू है और वह है राजनीतिक प्रभाव, जिस पर भी विचार किया जाना चाहिये। 1946 में चीनी उद्योग के श्रमिकों ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। फिर 1956 में श्री कुशवंत राय ने लोक सभा में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस समूची समस्या का एक राजनीतिक पहलू भी है। आयोग का प्रतिवेदन आया हुआ है। एक वर्ग ने कहा है कि केवल संकटग्रस्त मिलों का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिये। दूसरे वर्ग का कहना है कि केवल गैर-सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाये और सहकारी क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिये। भार्गव आयोग के प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखे जाने से पूर्व इसकी सिफारिशों में समाचार-पत्रों के समाचारों का पहले ही अनुमान लगा लिया गया इन सिफारिशों के बावजूद चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बड़े-बड़े चीनी उद्योगपतियों के लिए जिस पर तलवार लटकने के समान है। कम से कम चीनी की उत्पादिता के लिये तो सरकार को चाहिये कि वह यह कहे कि हम चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं परन्तु यदि सरकार को इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की इच्छा नहीं है तो वह यह कह दे कि अगले दस-बीस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। जब तक मशीनें निजी व्यक्तियों के पास रहेगी तो वे इसमें सुधार नहीं करेंगे और उत्पादन का लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसा इसलिये होता है गैर-सरकारी उद्यमकर्ता यह समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण होगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य 15.20 लाख टन था और प्राप्ति 18.92 लाख टन की हुई। चौथी योजना में लक्ष्य 47 लाख टन का था और प्राप्ति 40 लाख टन हुई। स्पष्ट है कि मशीनें पुरानी पड़ने से उत्पादन कम हो गया।

उत्पादिता के संबंध में हमें चीनी के कारखानों की तुलना अन्य देशों के साथ करनी चाहिये जहां चीनी का उत्पादन होता है 'हवाई' को लीजिए। वहां गन्ने की प्राप्ति एकड़ उपज 80.4 टन होती है और उसमें 11.4 प्रतिशत चीनी प्राप्त होती है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं समझता हूं कि प्रो० दण्डवते को पता होगा कि हवाई में दो वर्ष की फसल होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : संयुक्त अरब गणराज्य में गन्ने की प्रति एकड़ उपज 39.2 टन है और चीनी प्रति एकड़ 4.27 टन प्राप्त होती है। भारत में गन्ने की उपज 19.6 टन प्रति एकड़ है। आंकड़े प्रतिवदन में उल्लिखित हैं। 9.8 प्रतिशत चीनी तैयार होती है और एक एकड़ में 1.92 टन चीनी तैयार होती है। अलग अलग लोग अपना अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि क्षतिग्रस्त मशीनरी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है परन्तु मेरा यह कहना है कि इस स्थिति के अनेक कारण हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थिति यह है कि प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार 27 चीनी मिलें संकटग्रस्त हैं। 104 मिलें 30–40 वर्ष पुरानी हैं और इसलिये उनकी मशीनरी ख़राब है। फिर कुछ अपवादों को छोड़कर श्रमिक संबंध बहुत ही ख़राब है। श्रमिको को देय मजूरी का भुगतान नहीं किया जाता वे गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य भी नहीं देता। आश्वासन दिये जाने के बावजूद श्रमिकों को दी जाने वाली भारी धनराशि का भुगतान बकाया है। वे चीनी के उत्पादन में भी हेरफेर करते थे ताकि

वे चीनी की सप्लाई कम रखें और कृत्रिम अभाव का अनुचित लाभ उठा सकें और लेवी चीनी का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें। यह गैर-सरकारी क्षेत्र का सब से बड़ा षड़यन्त्र है । वे चीनी व्यापारियों के साथ सांठगांठ करके खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का मूल्य बढ़ाते हैं। कुछ लोग सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में अन्तर रखना चाहेंगे। इस प्रतिवेदन के लेखाओं ने नमूना सर्वेक्षण करके चीनी की सहकारी मिलों के कार्य का मूल्यांकन किया है। सहकारिता विकास राष्ट्रीय निगम के अधिकारियों के निष्कर्ष सात सहकारी चीनी मिलों के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित हैं। जब संभाव्यता का नियम चीनी उद्योग के ऐसे एककों में लागू किया जाता है तो संभाव्यता का नियम सदा ठीक नहीं होता। इस नियम की भी अपनी सीमाएं होती है। चीनी उद्योग की समस्याओं का विश्लेषण करने और केवल सात चीनी मिलों को लेकर चीनी उद्योग के सहकारी क्षेत्र में संभाव्यता का नियम लागू करना बहुत ही ख़तरनाक बात है। संभाव्यता के नियम के अनुसार निकाले गये निष्कर्ष ठीक हो सकते हैं परन्तु वास्तविकता के आधार पर वे गलत भी हो सकते हैं । आयोग के समक्ष गवाह के रूप में पेश हुए अनेक व्यक्तियों ने चीनी की सहकारी मिलों के विरुद्ध एक आरोप यह लगाया था कि इसका काम करने का ढंग ऐसा है जैसे एक सरकार और दूसरा सरकार के भीतर और एक राज्य और दूसरे राज्य के भीतर काम कर रहा हो और कुछ चुने हुए परिवार और अंशधारी समस्त सहकारी क्षेत्र में नियंत्रण रख सकें। भार्गव आयोग ने इस तर्क को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि उन्होंने सात सहकारी मिलों का नमूना सर्वेक्षण कर लिया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विचार ठीक नहीं है । जो लोग सहकारी आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन और गन्ना सहकारिता आन्दोलन से संबंधित हैं वे जानते हैं कि कुछ परिवार चीनी क्षेत्र को अपने तक सीमित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और यही बात होने भी जा रही है। सभा को यह जानकर हैरानी होगी कि अनेक स्थानों पर जिन किसानो के पास एक एकड़ से कम भूमि है उन्हें सहकारी मिलों का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाती अंशो के हस्तांतरण की कथा भी रोचक है। उनका हस्तांतरण लाभ ले कर किया जाता है और यह काम तथाकथित सहकारी मिलों के निदेशक बोर्ड की जानकारी से होता है और धनी किसानों में इस प्रकार के हस्तांतरण होते रहते हैं। सहकारी चीनी मिलों की ऐसे अनेक सदस्यों के नाम बता सकता है जो गुड़ का मूल्य अधिक मिलने की स्थिति में अपने गन्ने का उपयोग गुड़ और खंडसारी बनाने के लिये ही करते हैं और वे सहकारी आन्दोलन के प्रति वफ़ादारी और सहकारिता के सिद्धान्तों को ताक पर रख देते हैं। कई निहित स्वार्थ सहकारी क्षेत्र पर नियंत्रण करने में सफल हो गये हैं। सहयोग करने वाले व्यक्ति मूल्यों में मनमर्ज़ी से हेरफेर कर लेते हैं। गन्ना उत्पादकों की यह शिकायत है कि गैर-सरकारी क्षेत्र लाभप्रद और पर्याप्त मूल्य नहीं देता। उन्हें सांविधिक मूल्य भी नहीं मिलता अभी बहुत बड़ी राशि बकाया है । यह शिकायत गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में है। परन्तु सहकारी क्षेत्र वस्तुतः पारिवारिक मामला है। मैं भी अंशधारी हूं और सहकारी चीनी मिलों के निदेशक बोर्ड की बैठकों में भाग लेता हूं और संकल्प पारित करवाता हूं कि गन्ने का काफ़ी अधिक मूल्य दिया जाना चाहिये क्योंकि मेरा अपना भी फ़ार्म है और इस लिये चीनी के उत्पादन से उपलब्ध धनराशि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है। यही स्थिति अनेक सहकारी मिलों के बारे में होगी।

श्रमिकों को पता होना चाहिये कि हम सहकारी चीनी मिलें जन साधारण और देश के हित में चलाते हैं कि ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो । हमारा देश समाजवादी है अतः हमें सहकारी क्षेत्र पर वही सिद्धान्त नही लागू करना चाहिये जो गैर-सरकारी क्षेत्र प्रर करते हैं। हमें सहकारी क्षेत्र में श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये ताकि हम कह सकें कि जब सरकार प्रबन्ध चलायेगी

तो प्रबन्धकों और मज़दूरों के संबंध अच्छे होंगे। परन्तु एक ज्ञापन में कहा गया है कि सहकारी क्षेत्र में श्रमिकों के साथ सब से ख़राब व्यवहार किया जाता है।

भार्गव आयोग में 10 सदस्य थे जिनमें से 5 एक पक्ष में और 5 दूसरे पक्ष में थे। एक ग्रुप के नेता श्री भार्गव स्वंय थे। भार्गव ग्रुप ने लिखित सिफारिश की है कि चाहे मिलें गैर-सहकारी क्षेत्र की हों या सहकारी क्षेत्र में हों, सभी संकटग्रस्त मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। मैं राष्ट्रीयकरण के समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि वे चीनो उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं अथवा उसकी ख़राबियां दूर करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में ले लो; मशीनरी को बदल दो और जब उत्पादकता में सुधार हो जाये तो उन्हें पुनः गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को सौंप दो। जहां तक भार्गव ग्रुप का संबंध है वह चीनी उद्योग का पूरा राष्ट्रीयकरण किये जाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उनको गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य भागों पर भी इसका विपरित प्रभाव पड़ने की आशंका है। फिर दूसरे ग्रुप ने कहा कि हमें सहकारी क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये। जहां तक चीनी के मूल्यों का संबंध है भारत सरकार ने पहले ही सिफ़ारिश कर दी है कि वह गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य का संबंध पिछले मौसम में उपलब्ध औसत चीनी के साथ जोड़ना चाहेंगे। परन्तु यदि सांविधिक मूल्य का संबंध तैयार चीनी के साथ जोड़ा गया तो उन गन्ना उत्पादकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिनका गन्ना भले ही अच्छा हो परन्तु जिससे चीनी कम तैयार हुई हो। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये। गन्ने के मूल्य में कम से कम घट-बढ़ की जानी चाहिये और गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिया जाना चाहिये। अब लेवी चीनी और खुले बाज़ार में बेचे जाने वाली चीनी पर आधारित चीनी के दो मूल्य हैं। प्रायः इसका विभाजन 70 : 30 के अनुपात से होता है। निजी उद्यम-कर्ताओं ने इस स्थिति का बहुत अनुचित लाभ उठाया है। अतः अब समय आ गया है जब हमें इस बात का निर्णय करना चाहिये कि इस प्रकार के दोहरे मूल्य की व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये या पूरा चीनी उत्पादन सरकारी वितरण व्यवस्था के लिये उपलब्ध कर दिया जाना चाहिये जिससे जन साधारण को चीनी का पूरा-पूरा कोटा सुनिश्चित किया जा सके।

हमें चीनी के निर्यात में बहुत हानि उठानी पड़ रही है। जब तक अभाव की स्थिति है तब तक हमें देश के बाहर अनिवार्य वस्तुओं के निर्यात का अवसर नहीं देना चाहिये। चीनी उद्योग की स्थिति संतोषजनक न होने के अनेक कारण हैं:—जैसे गन्ने के उत्पादन में घट-बढ़ गन्ने के मूल्यों में भारी अन्तर, गन्ना उत्पादकों को न दी गई भारी बकाया राशि गन्ने की कम उत्पादकता और मशीनरी का पुराना होना आदि। उप-उत्पादों का उपयोग करके चीनी की लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है। फिर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय न किया जाना भी इस स्थिति के लिये काफी हद तक ज़िम्मेदार है। हमें समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। हम इस मामले पर राष्ट्रीय बहुमत का पता लगा सकते हैं। आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह काफी बड़ा है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हमें बिना सोच-विचार किये इसका समर्थन अथवा इसको रद्द नही कर देना चाहिये जिन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से हमारी अर्थ-व्यवस्था मज़बूत बन सकती हो और जो हमारे देश के जन साधारण के लिये उपयोगी हो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri Genda Singh (Padrauna): Sir, the sugar problem is not a party question. It is an issue of national importance and it should be considered from this point of view.

श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए :

Shri Naval Kishore Sinha *in the chair*

First of all, I would like to extend my thanks to the Minister of Agriculture Shri Jagjiwan Ram, who contributed very much in getting the Sugar Industry Inquiry Commission appointed. It considered various issues including the nationalization. The commission studied this aspect in detail. It appeared from the speech of Prof. Dandvate that he was not happy with the Sugar Co-operatives. As a matter of fact these co-operatives are useful and improvement may be brought about in their working wherever necessary. There are about 150 persons who own sugar factories in the private sector. First we should get sid of them. There are a number of private sugar factories in Deoria, Gorakhpur, Champaran, Chhapra and Muzaffarnagar districts but none of them is owned by any farmer. The condition of growers is deplorable in these districts. Even today there is nobody to look after their interests. Though growers are expected to grow more sugar cane but no attention is paid to the necessity of supplying all essential inputs required for sugar cane crop. The need of the hour is that cane-development societies should be formed to safeguard the interests of the growers, who should be paid remunerative prices for their produce. The production of sugar cane is really not satisfactory. It has doubled on the papers but not in reality. The production of sugarcane has gone up in states like Maharashtra, Mysore, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. But in backward states like Bihar and U.P. the production did not increase. In Mysore there is a sugar factory i.e. Hiranyakshi cooperative factory, which paid the price of sugar cane at the rate of Rs. 18 per quintal. So I suggest that the sugar cooperatives should be kept separate from Nationalisation. In the private sector, the sugar mill is owned by one individual while in cooperative sector it is owned by thousands of farmers. There are about 60 sugar factories in Gorakhpur and Tirhut Division and their private owners are exploiting the cane-growers of the area. There are backward areas and they continue to be so because private owners divert their earnings to Bombay and Calcutta. Though private mill-owners have earned colossal profits and their assets have multiplied manifold, they have neither invested the money back into the industry nor paid any attention to the needs of the growers. As a matter of fact they are exploiting the producers, the labour and the consumers. The sooner you get rid of them the better it will be for the country. As regards the backwards of U.P. and Bihar, about 46 per cent of sugar factories located there, but no benefit are accrued to these from areas sugar industry. It is the need of the hour that sugar industry should be nationalised.

The sugar magnates are cheating the Government also in a number of ways. They have been showing lower recovery. They do not show any account for molasses and 'bagasse' etc. in their accounts. These things give a lot of revenue and the same is being concealed from Government.

Now we have reached such a stage that we are in a position to meet our own demand and we can export a sufficient quantity of sugar as well Sugar production will be increased if sugar industry is nationalised. It should be done soon becuase delay in their process will provide an opportunity to mill-owners to take away valuable machinery and equipment from mills. They have already removed machinery from their mills and they will hand-over mere junk to Government. Nominal compensation should be paid to them, as they have already earned huge profits out of these mills. The scrutiny of their balance-sheets, will prove it.

In the end, I would like to clarify that I am asking for nationalisation of private sugar mills only. The sugar mills running on ccoperative basis should be left out for the time being, because they are giving good profits to the share holders and they are paying fair price to cane growers. I want that all the private sugar mills should be nationalised and it will be beneficial for all the growers, the consumers and the industry itself.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सभापति महोदय, भार्गव कमीशन ने अपनी सिफारिश में लिखा था कि चीनी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र की समाजिक-आर्थिक प्रगति का आधार है। चूंकि गैर सरकारी क्षेत्र

के मिल मालिकों ने इस लक्ष्य की ओर ध्यान नही दिया है इसलिये इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष सर्वप्रथम श्रमिकों द्वारा वर्ष 1934 में शुरू किया गया था। वर्ष 1970 में गन्ना-उत्पादकों का शिमला सम्मेलन हुआ और उसमें यह घोषणा की गई कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से ही सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। नवम्बर 1973 में कांग्रेस दल, साम्यवादी दल आदि प्रगतिशील दलों के संसद सदस्यों की बैठक हुई जिसमें इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई। वर्ष 1974 में उड़ीसा में अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक सम्मेलन हुआ जिसमें चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग हमने की। नवम्बर, में 62 संसद सदस्यों ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में एक सम्मेलन में यही मांग दोहराई। साथ ही गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने की मांग भी की। इस सभा के 259 सदस्यों ने इस बारे में एक ज्ञापन दिया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर सहमति है। फिर सरकार के सामने इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं। किन कारणों से सरकार निहित स्वार्थों के सामने घुटने टेक रहा है।

जहां तक चीनी मिल मालिकों के लाभ का प्रश्न हैं, उन्हें बहुत अधिक लाभ होता है वे 30 प्रतिशत चीनी को खुले बाज़ार में बेचकर अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। वस्तुतः वे लोगों को लूट रहे हैं इसके अतिरिक्त उन्हें विकास-छूट भी दी जा रही है। किन्तु वे उद्योग के विकास हेतु कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। घिसाई-छूट के रूप में जो राशि उन्हें मिल रही है, उसे भी वह उद्योग में नहीं लगा रहे हैं। अतः आप से अनुरोध है कि चीनी मिलों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि वे भी संकटग्रस्त न हो जायें।

सरकार ने गन्ने का मूल्य 8.50 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है। मूल्य में केवल 50 पैसे की वृद्धि की गई है जबकि गन्ने की उत्पादन लागत दुगनी हो गई है। प्रतिवेदन में और गन्ना नियंत्रण आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य कानून द्वारा उतना तय किया जाना चाहिए कि प्रमुख गन्ना-उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन पर आने वाली लागत उससे पूरी हो जाये। इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया। इसका दृढ़ता से पालन किया जाये। अतः मैं मांग करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिया जाये। जहां तक निर्यात और उससे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का प्रश्न है, आजकल चीनी के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस समय विश्व में चीनी की मांग 945 से 970 लाख टन होगी। अतः यह उपयुक्त समय है कि 600 लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाये। इसका एक मात्र साधन है, चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण इस प्रश्न पर केवल विचार करने मात्र से ही समस्या हल नहीं होगी। इस दिशा में ठोस कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

मिल मालिकों को मुआवजे के बारे में मेरा निवेदन है कि वे मुआवजा पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे पहले ही बहुत अधिक कमा चुके हैं और स्वयं इस उद्योग को कंगाल बना चुके हैं। अतः मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह चीनी के उद्योगपतियों के सामने न झुके वह प्रतिक्रियावादी ताकतों को मौके का लाभ न उठाने दे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संसद के आगामी सत्र में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करे और गन्ने का न्यूनतम मूल्य 17.5 रुपये निर्धारित करें। जहां तक चीनी उद्योग के विस्तार की बात है, उड़ीसा में ही 20 चीनी कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। इस सभी बातों पर ध्यान दिया जाये, यही मेरा अनुरोध है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : श्रीमन्, चीनी उद्योग का गत 50 वर्ष का इतिहास देश के गन्ना -उत्पादकों के शोषण की कहानी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सहकारी क्षेत्र की शुरुआत से एक नयी आशा बंधी थी। परिणामतः गत 20 वर्षों में 90 चीनी की मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं और 84 मिलें निर्माणाधीन हैं। मैं श्री गेन्दा सिंह और प्रो० मधु दण्डवते की इस मांग पर बल देना हूं कि लगभग 154 चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण तत्काल किया जाये। वे चीनी की प्राप्ति कम बता रहे हैं किन्तु उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वे उद्योग में आधुनिक मशीनें नहीं लगा रहे हैं वे प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं रख रहे हैं और वे पूर्ण उत्पादन -क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह सब करके वह उत्पादन कम कर रहे हैं, स्वयं मुनाफा अधिक कमा रहे हैं और लोगों की कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। आयोग ने मूल्य-निर्धारण के सिद्धांत को बहुत ही अवैसानिक बताया है। आयोग ने वर्तमान मिल-स्वामित्व का भी बहुत ही ख़राब है। ये लोग किसानों का खून चूस रहे हैं। एक आयोग ने यह सुझाव भी दिया था कि देश में एक राष्ट्रीय चीनी प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार संकट-ग्रस्त मिलो को अपने अधिकार में ले सकती है, तो वह सभी 156 मिलों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है, मेरा ऐसा विश्वास है।

मैं वर्ष 1952 में संसद सदस्य बना था। और मैं सदा राष्ट्रीयकरण का समर्थक रहा हूं परन्तु मैं उसकी कमियों का आलोचक भी हूं। परन्तु राष्ट्रीयकरण की निन्दा नहीं की जा सकती। उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में प्रशंसनीय काम हो रहा है। वे पूंजीपतियों की तरह शोषण नहीं करते। इस देश में औद्योगिक संवर्ग है जिसमें अर्हताप्राप्त व्यक्ति हैं और वे संकटग्रस्त मिलें तथा 156 ज्वाइंट स्टाक मिलें इन पूंजीपतियों से अच्छी तरह चला सकते हैं। राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में कार्यकुशलता के स्तर में सुधार किया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। सब से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीयकरण में जनता को विश्ववास है। इसका सब से बड़ा लाभ यही है कि राष्ट्रीकयकरण में श्रमिकों गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं का पूरा विश्वास है। सरकार इस उद्योग में दक्ष तकनीकी कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जबकि गैर-सरकारी कारखानों में उनको नियुक्त नहीं किया जाता क्योंकि वे उन्हें समुचित वेतन नहीं देना चाहते क्योंकि वे अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। अतः ज्वाइंट स्टाक सेक्टर का विकल्प राष्ट्रीयकरण है। जहां तक मुआवजा दिये जाने का संबंध है राष्ट्रपिता ने कहा था कि आप अपने आपको इन उद्योगपतियो की तरह जनता के न्यासी समझें। यदि आप ऐसा नही करते तो जनता को इस बात का अधिकार है कि वह उस सब को अपने हाथ में ले लें जिसे उसे लेना चाहिये । फिर वे कहते हैं कि यदि वे अपने हाथ में लेते हैं तो वे आपको मुआवज़ा नहीं देंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुआवज़ा गुनाह है क्या उन को मुआवज़ा देना है जिन्होंने शोषण करके गन्ना उत्पादकों को बर्बाद किया है। संविधान के 25वें संशोधन में सरकार को मुआवज़ा न देने की शक्ति दी गई है। अतः शोषकों को मुआवज़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं । चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का यही उचित अवसर है।

उड़ीसा में हाल ही में गन्ना उत्पादकों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें श्री पंडा और मैंने गन्ना उत्पादकों का समर्थन किया था। हमने राष्ट्र के पक्ष में एक ज्ञापन तैयार करवाया था जिस पर 259 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे और यह ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया गया था। चीनी मिलों के मालिक गन्ना उत्पादकों का शोषण करते हैं और राजनीतिक जीवन को भ्रष्ट करते हैं। अतः सरकार को श्रमिकों गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। आप इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते कि आज चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 600 पौंड प्रति टन है जबकि पहले 100

पौंड प्रतिटन होता था। अतः क्यों न अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाये। हम चीनी खाना बन्द कर देंगे। हम चाहते हैं कि हम चीनी का अधिक से अधिक निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करे और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के गन्ना उत्पादकों को अधिक लाभ पहुंचाया जाये।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : गैर-सरकारी क्षेत्र गन्ना उत्पादकों और श्रमिकों का शोषण करता है तथा उपभोक्ताओं से काफी अधिक मूल्य लेता है और हमारे राजनीतिक जीवन को भ्रष्ट करता है। आयोग के अनुसार देश में 235 चीनी मिलें हैं जिनमें से 141 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, 84 सहकारी क्षेत्र और केवल 10 सरकारी स्वामित्व वाली हैं। ज्वाइंट स्टाक मिलें बड़े-बड़े उद्योग पतियों के नियंत्रण में हैं जिनपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है मार्च 1974 में जब रिज़र्व बैंक ने चीनी उद्योग के सम्बन्ध में ऋण देने पर रोक लगाई थी, चीनी उद्योगपतियों ने रोष प्रकट करने के लिये समर्थन मूल्य से कम दर पर भी गन्ना खरीदना बन्द कर दिया। इसके परिणाम स्वरुप 68 मिलें बन्द कर दी गई और यह कहा गया कि गन्ने की कमी है। वस्तुतः व उद्योगपति गन्ना उत्पादकों के सामने अपनी शर्तें रखते हैं और उपभोक्ताओं से मनमर्जी के खुदरा मुल्य लेते हैं। बहुत से एककों की आर्थिक दशा खराब है बिहार में चीनी के 30 कारखाने हैं जिनमें से 7 संकटग्रस्त हैं, 4 बन्द हो चुके हैं तथा 19 अस्थिरता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में लाभ का ध्यान रखा जाता है और गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा की जाती है। चीनी के बड़े-बड़े उद्योगपति इस देश को लूट रहे हैं और उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं।

इस आयोग के सदस्यों की संख्या 10 रखी गई थी। यह 9 या 11 होनी चाहिये थी। इस समस्या का अन्तिम समाधान राष्ट्रीयकरण है इस लिये शायद वे अपने आपको और जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। मेरे से पहले किसी ने कहा था कि इस आयोग के सदस्य दो ग्रुपों में विभक्त हैं। भार्गव ग्रुप इस उद्योग को रोग मुक्त करने के पक्ष में है। वे केवल संकट -ग्रस्त मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हैं। श्री दीक्षित वाला ग्रुप सहकारी मिलों को छोड़ कर सभी गैर-सरकारी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में था। मैं प्रो० दंडवते से सहमत नहीं हूं जिन्होंने सहकारी क्षेत्र का भी राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया था। देश के कुछ भागों में सहकारी क्षेत्र की मिलों का काम अच्छा है। अतः मैं इस विचार से सहमत हूं कि सहकारी मिलों को छोड़कर अन्य सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इसी ग्रुप की एक और सिफारिश भी अच्छी है कि चीनी के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इसके बिना स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में खुले बाजार में भी और राशन कार्डों के माध्यम से भी चीनी बेची जाती है। देहातों में अनेक लोग चीनी नहीं खाते परन्तु इसके बावजूद उनको राशन कार्ड दिये गये हैं, होटलों और चाय स्टालों के मालिक इनसे कार्ड लेकर चीनी खरीद लेते हैं और इस प्रकार गरीब जनता को भ्रष्ट करते हैं। फिर वे सीधे दुकानदार से लेवी मूल्य पर चीनी नहीं खरीदते क्योंकि फिर उन्हें चाय के प्यालों के हिसाब से बिक्री कर देना पड़ता है। अतः वे लेवी मूल्य पर चीनी लेना चाहते हैं परन्तु दुकानदारों से नहीं क्योंकि उन्हें बिक्री कर देना पड़ता है। इस प्रकार वह सरकार को बिक्री कर तथा आय-कर का धोखा देते हैं। इसको रोकने के लिये थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

यदि सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है तो इसका सब से अच्छा विकल्प यह है कि सरकारी क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित किया जाये और साझेदारी और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को सरकारी लिमिटेड

कम्पनियों में बदल दिया जाये । पिछले तीन वर्षों में इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

एक यह विचार बनता जा रहा है कि केवल केन्द्रीय सरकार चीनी उद्योग या किसी अन्य उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, राज्य सरकार नहीं । मैं स्वीकार करता हूं कि केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास थल सेना, नौसेना और वायु सेना है । परन्तु संवैधानिक स्थिति यह है कि राज्य सरकार भी राष्ट्रीयकरण कर सकती है ।

इस आयोग ने सिफारिश की है कि चीनी का निर्यात करने के लिये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और आन्ध्रप्रदेश में सरकारी क्षेत्र के कारखाने लगाये जाने चाहिये । तमिलनाडु सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 8 चीनी मिलें लगाने का निर्णय किया है । उन्होंने योजना आयोग की मंजूरी भी ले ली है । उन्होंने इस प्रयोजना के लिये तमिलनाडु चीनी निगम भी बनाया है । उन्होंने औद्योगिक लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र भी भेजा था परन्तु छानबीन समिति की गत 6 महीने से कोई बैठक ही नहीं हुई । निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय बढेगी की फिर भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः मंत्री महोदय को इस समिति की बठक बुला कर शीघ्र ही लाइसेन्स दे देना चाहिये ताकि हम सरकारी क्षेत्र में अधिक चीनी मिलें स्थापित कर सके । अन्त में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता कि वह राष्ट्रीयकरण के बारे में एक वक्तव्य दे जिससे सरकार का निर्णय स्पष्ट हो जाये ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : I agree with the views expressed by previous speakers that no good can be expected till the sugar industry remains in private hands. Neither cane growers nor workers and not even consumers can expect any benefit. The sugar magnates have earned nearly Rs. 175 crores this year and they have earned a profit of Rs. 200 crores in accordance with our previous policy. The sugar industrialists are allowed development rebate to improve their plants but the question is whether that amount is used properly. We have reached at the conclusion that they do not spend even 10 per cent development rebate for the improvement of their plants. They have not spent money allotted to them for encouraging cane research and for improvement in production techniques. The production of sugar cane has not been increased in U.P. and Bihar. It is increasing in Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat because the cooperative sector has encouraged research work in these states. Therefore if sugar industry remain in private sector then neither cane growers nor workers will be benefited. We should pay mere attention towards export of sugar so that we may fill the gap of losses incurred due to rise in prices of oil. But Government cannot undertake export until sugar industry is taken over by them. Sugar magnates are looking this country, corrupting the policies and workers and cane growers. Now the question is whether we have to give protection to cane growers or not ? Even if noting takes place majority of members will vote for nationalisation. Majority of the people are fed up with these sugar magnates. Nationl lisation of sugar industries is necessary for the progress of the country.

In so far cooperative sector is concerned we should try to find out the deficiencies and remedy the situation. They should not be taken over at this stage. The cane growers and the workers working in the sugar industry should be involved in the process of nationallisation. The sugar industry has reached a stage where Government could not avoid nationalisation and even the Commission's report supported it. The majority of the members of Parliament are also in favour of the move for nationalisation of sugar industry Government can delay the process of nationalisation but the nation would lose to that extent. Sugar magnates know that their mills will be nationalised sooner or later and they have started diverting their resources. It has been stated in the report itself. Shri Bhargava is judicial head but he may not be judicious. We may reject the plea. We may agree with the opinion expressed by Dixit Group. Most of the members of the Parliament would agree.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : वर्ष 1951 में अहमदाबाद की 70 कपड़ा मिलों ने नोटिस लगाये थे कि वे अपनी दूसरी पारी बन्द कर देंगे क्योंकि माल जमा हो गया है। उस समय हमने मांग की थी कि इन कपड़ा मिलों को, मिल मालिकों को, बिना कोई मुआवजा दिय अपने हाथ में ले लिया जाये। इसका कारण मिल मालिकों का दुराश्य था। उन्होंने बहुत अधिक लाभ अर्जित कर लिया था और वे श्रमिकों की महंगाई, भत्ता बढ़ाने की मांगे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस लिये हमने मालिकों को मुआवजा दिये बिना उन मिलों को अपने हाथ में ले लेने की मांग की थी। उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री श्री खंडुभाई देसाई ने आवश्यक कार्यवाही की और वे मिलें बन्द नहीं हुई। अब चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात चल रही है, इस सम्बन्ध में हमें तीन बातों पर विचार करना चाहिये। क्या चीनी उद्योगपतियों ने उपभोक्ताओं के हितों का कभी ध्यान रखा है या नहीं, दूसरे क्या चीनी उद्योग द्वारा गन्ना उत्पादकों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है और तीसरे क्या औद्योगिक श्रमिकों के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे हैं ? अब यदि सरकार खुले दिल से इन बातों पर विचार करे तो पता चलेगा कि चीनी उद्योग ने उपभोक्ताओं के हितों के विरूद्ध काम किया है। उन्होंने गन्ना उत्पादकों और श्रमिकों का शोषण किया है। क्या सरकार इस स्थिति को जारी रहने देना चाहती है या उस में कुछ सुधार करना चाहती है। इस स्थिति का उपचार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण है। हमने देखा है कि माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं परन्तु सरकार इस दिशा में कोई कायवाही नहीं कर रही है। हमें पता चला है कि केवल राजनीतिक कारणों से इस उद्योग की रक्षा की जा रही है कहते हैं कि वर्ष 1971 के आम चुनावों में इस उद्योग ने शासक दल को लगभग 20 करोड़ रुपये दिये थे और इसी-लिये सरकार हिचकिचा रही है। यदि यह बात नहीं है तो सरकार को इस का सही कारण बताना चाहिये।

इस उद्योग ने कोई नवीनकरण या आधुनिकीकरण नहीं किया है और वे भारी लाभ कमा रहे हैं यदि सरकार न्याय करना चाहती है तो उसे इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये इस काम में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): A lot of things have been discussed about sugar industry but the plight of canegrowers does not find its place anywhere in this report. In fact sugarcane Growers Inquiry commission or sugarcane inquiry commission should have been the name of this commission instead of sugar Industry Inquiry Commission. The Commission has opined that sugar industry should be nationalised. But I would say that when our Parent Body had passed a resolution to this effect in Bombay than what was the necessity of setting up this Commission. The congress members should have pressurised the Government in party meeting instead of signing any memorandum in support of the demand for nationalization. It seems that Government has not made up their mind on this issue. It would be better if categorical statement is made in this respect.

The condition of sugar factories in Bihar is far from satisfactory out of a total of 30 sugar factories 5 are almost dead and the machinery of the rest is out-moded. Millowners have not paid any attention towards modernisation of these factories. Even the amount of cane cess imposed by the Government has not been spent on the development. Government charges excise duty but they never spent anything for the development of cane-growing. The price of sugar has been increased but nothing is spent on cane development.

I would like to point out that cane-marketing Union is nationalized union. It is a public sector organisations. There is a lot of bungling in this organisation. Many people do not like to sell their production to them. Government may nationalise this industry but it should be done with full responsibility. The ofersaid union does not pay the price of sugarcane. This is why people are arverse to deal with them. Government should set their house in order before taking steps for nationalisation.

We have sugar factories but no general Manager belongs to Bihar. Local people have been denied involvement in the development of sugar industry. If Government is to nationalise this industry, they must impart training to the people in the commnaned area of sugar factory so that they may fill up the key-posts of General Manager, Cane Superintendent, Chief Chemist etc. and even labour with the local people so that sugar factories run smoothly. I have heard general speeches but real problems have not been touched. The Bhargava Commission has also not gone into the real problems of the sugar industry. In fact C.B.I. should be asked to investigate as to how this commission has been functionning. Government should try to understand the problem of sugarcane. The recovery of sugar is only 9 percent as compared to that in Maharashtra where it is 18 percent. It is a problem in whole of North India. Sugar cane factories have become outmoded. If Government do not want to spend anything on them they should compel millowners to modernise their factories.

The Cane growers should be given necessary imputs and other facilities for larger production of sugarcane. There are 230 mills out of which 150 mills are in private sector. I would like to know wheather adequate arrangement has been made for the cane seed. If so the quantity thereof ? No body has paid any attention towards this problems.

The Government should modernise all the Sugar factories. It would have been better had this industry been nationalised. Before nationalisation, the Government sould provide inputs and better seeds to sugar cane growers and the most modern technological know-how to sugar manufacturers. All factories should be modernised and all the suggestions given in this commission's report should be implemented.

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasgani) : So for as the Question of nationalisation is concerned, the Government have specific object behind it and in that way it wants to concentrate the entire economic power in its own hands. In case if some measures are taken for the development of sugar industry we have no objection.

There are no two opinions regarding development of the sugar industry. But crores of rupees are obtanined from the mill owners in the name of nationalization.

It is true that some private industrialists have made a good deal of hungling in the industry and has amassed large amount of black money. We want that the agriculturists should get proper value of their products. The labourers should get proper wages, bonus and unemployment allowance. The Mill owners may get profits according to their capital. We want that the management of the sugar mills should be kept under the joint body so that the mill-owners, may get a reasonable profit over their capital investment and the workers may get adequate remuneration for their labour and consumers may obtain sugar at reasonable price.

Whenever the Government formulate some Scheme, it leaves some loopholes. Similarly, in the case of sugar, the Government is encouraging millowners to indulge in blackmarketing by introducing a Scheme of levy on sugar. When any industry suffers a loss, the slogan of nationalization is raised.

The Government prepared a Scheme of self-release for the development of sugar industry but now under the Scheme a custom officer can note the quantum of production in a particular mill by looking into records once in a week or month, whereas formerly, he has to note it from the figures of actual production. The drawback should be removed.

A scheme for the development of sugar Industry should be so prepared that the cane growners are given all facilities for larger production of sugar cane and the labour is given adequate wage and the consumers get sugar at reasonable rate. Taking into consideration the general price rise, cost of inputs the price of sugar cane should be raised. Arrears due to the cane growers should immediately be paid. The extra charges paid to the cane growers at the rate of 35 paise per quintal over and above the cost of production should be raised to one rupee. The system of releasing 30 percent sugar for sale in open market should

be abolished because it leads to black marketing. In some States particularly in U.P. an anticorruption squad is being set up. It is learnt that it will be managed by Government officials. We want that representatives from public should also be taken in it so that the Government may be aware of the real position of the people.

Shri Vasant Sathe (Akola) : I think Government is also of the view that if nationalisation of any industry should be done only when it is in the interest of the country. But there should be some principles behind nationalisation.

It is not the question whether we are in favour of nationalisation or not but the main point is what actions we should take to increase sugar production, to increase export of sugar and thereby earn more foreign exchanges and to make more sugar available to consumers. We have to increase the sugar cane production for this purpose. The sugar cane growners should be paid more for their produce.

The Government did not pay remuneration price for jute and as a result of that the jute production has been reduced to fifty percent. This is not the way for creating confidence among them. The Government should also pay remunerative price to the cotton producers. Last year it was done but with the declaration of credit squeeze policy by the Reserve Bank. The price of cotton and sugar cane is falling rapidly.

It is stated that one lakh sugar cane producers are on strike. Naturally, the production will decrease as a result of it. Sugar cane is gold mine today. In foreign countries Cane-growers are being paid at the rate of Rs. 800 per Quintal. It is the main source of foreign exchange. The Government should not lose this source of income.

The life of cane growners in Maharastra is some what better due to co-operative Societies.

Nationalization is in the interest of the country and that of the farmers. It is also in the interest of landless labourers because when the farmers get more price for his produce he will pay more to the labour. It is also in the interest of the consumer because in case the profiteering is stopped, the price will come down.

Some economists are of the view that the credit squeeze policy announced by Reserve Bank is anti-inflationary. They are of the opinion that the price will fall as a result of it and the farmer will be forced to produce (interruptions)

The steps taken by the Government to squeeze credit and not to pay remunerative price to the farmers will result in low production. In case of decrease in production there will be apprehension of closing the mills. The export of sugar will be reduced and you have to increase the price of sugar. In this way, the Government will not be able to satisfy anybody. The Government should take some firm decision in the matter of nationalisation of industries otherwise we will be in a very difficult position.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : It appears that the ruling party is divided with regard to nationalisation of sugar industry in two groups. Some members of the congress party are strongly advocating for take over of the industry, while there are others who plead that inationalisation mean bureaucratisation and this is not going to serve any purpose.

At the time of coalition Government in Uattar Pradesh, the leaders of the Congress had given assurances that no sooner did the Congress Government come into power, Sugar Industry will be nationalised. But the Congress have not implmented its promises even after coming in power in Uttar Pradesh.

The Government employees are in a very bad condition. The Government have not agreed to pay the four instalments of D.A. due to them even after repeated requests.

It is regrettable that the Government has fixed the rate of sugar cane at Rs. 8.50 per quintal. This is most unreasonable. The Sugar cane growers have to pay higher charges

for power, increased price of fertilizers and seeds and also have to pay increased revenue. But the price of sugar cane has been increased by only 50 paise per quintal as compared to last year price. The Government should realise the difficulties of the farmers in this mattrer otherwise they will burn their cropses. (*interruptions*)**

सभापति महोदय : आप जोश में न आयें।

Shri Janeshwar Mishra : I am going to place the facts before you.

सभापति महोदय : मैंने यह नहीं कहा है कि आपने जो कहा है वह असंसदीय है। मैं यह कह रहा हूं कि ईमानदारी से यहां दिये गये वक्तव्य भी हमारी माताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप अपने वक्तव्य पर जोर न दें और उसे वापिस ले लें।

Shri Janeshwar Mishra : They are making noise for nothing and that is why you are pressing me to withdraw the statement. (*interruptions*)**

सभापति महोदय : आपने अपने वक्तव्य के बारे में क्या सोचा?

Shri Janeshwar Mishra : I have said nothing worng. I have simply placed the picture of the country before the House. If I have hurt the feeling of sombody I am prepared to apologise. But the fact is this that there is so much poverty in our country that the cane-growers are not able to make their both ends meet. Are we not supposed to discuss about their miserable conditions?

अध्यक्ष महोदय : उक्त वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

Shri Janeshwar Mishra : The price of sugar cane was Rs. 8.00 per quintal last year, its price has been fixed to Rs. 8.50 this year, whereas the price of a bag of fertilizer was Rs. 53 six months back and its price is Rs. 103 per bag now. The Government should do justice with the farmers. The cane growers should be paid at the rate of Rs. 25 per quantal for their produce.

The efficiency of the banks have not increased by nationalisation. Therefore, the Government should not be proud in this matter. I admit that there may be some bungling in the sugar mills owned by private owners but it is more so in case of industries taken over by the Government. I know that the Government is not going to nationalise the sugar industry. It is simply doing so to create fear in the mind, of the industrialists so that they may be able to obtain donations from then. In case the Government really wants to nationalise the sugar industry it should consult the farmers whether they are prepared to manage the industry themselves. The Government should appoint a Committee in this regard which should include a representative of the worker, industry, producer and the capitalist. This industry should work with the help of these representatives. This is socialisim and not nationalisation.

The Government has fixed the price of sugar at a very high rate. As a result of it the millowners are making lot of profits. The Government and the monopolists are equally responsible for it.

If the Government really wants to nationalise the industry its management should be in the hands of the public. It should not be done with the intention to get donations from the millowners.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : I have gone through the Bhargava Commission report carefully and have come to the conclusion that there has been differences among its members. The five members of the Commission have stated that no purpose will be served by taking over the mills run by public limited companies. As regards sugar mills in cooperative sector they are of opinion that their working should be improved. There is no need for taking over these mills. But as regards mills in private hands, all the

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

Members are unanimous that those mills should be taken over.

The question of nationalisation of sugar industry is a question which is concerning the entire people of the Country. I have already stated that the report given by the commission in May, 1973 was not an interim report, but it was the final report and the Government should take steps to implement it. Now when the three parts of the report have come, it is clear from the terms of reference that the May report is final so far as nationalisation issue is concerned. Therefore, it should be implemented.

The Government of Uttar Pradesh has also recommended to centre to take over the sugar mills.

In case there is any constitutional difficulty, the constitution should be amended. If the Government is not prepared to go to that extent, it should authorise the state Governments to take over the sugar mills within their respective States.

It is regretted that when the prices of essential commodities have gone up, the price of sugar can has remained the same. Cane growers have to pay increased prices for seeds, fertilizers and other things but they are forced to accept unremunerative price for their produce.

Bhargava Commission has admitted that about Rs. 35-40 crores have not been paid by the millowners to the cane producers. The millowners have done nothing for the development of cane. I will therefore request the Government to announce the sugar policy in clear terms.

Let the Government prescribe a definite policy to the effect that the entire marketing of sugar be under Governments' control and they should be able to earn maximum possible foreign exchange. But, at present whereas the production of Jaggery and Khandsari is increasing, that of sugar is declining.

Whenever I spoke in the House during the last four years, I have always pointed out that the Food Department has been misleading the Government by giving wrong datas and statistics as a result of which Government could never meet their targets in the production of sugar and the mills could not expand their capacity. The mill-owners in the Joint Stock Companies have been exploiting the nation and the Government have given then a 30% rebate. Bhargava Commission had recommended for 50–50 of the profit nad that profit should have been utilised for taking over the sugar mills. No compensation should be given to the millowners after the takeover.

Until the Government prescribe a definite sugar policy, they would not be able to fulfil their export commitments. I have been repeating time and again that let the consumers of the country be given Gud and Khandsari, and let the entire sugar be exported so as to earn maximum foreign exchange. Also there should be an association of all sugar producing countries like that of oil producing countries. It would be a step forward twoards earning foreign exchange and it would strengthen our hold.

I am aware that there could be certain difficulties in declaring an clear sugar policy but let then sort those out and prescribe a clear cut policy. It would result in benefitting lakhs of families who are now leading a life of utter helplessness. It should be the primary duty of the Government to accept the report of Bhargava Commission. At the moment, many Government officials are exploiting the situation in collusion with the mill owners. How can then the Government achieve their goal of socialism? The Government should streamline the working of Food Department so as to bring about proper implementation of their policies. Adequate check should be exercised on bureaucratic way of functioning.

With these words, I support this report.

Some hon. Members rose

Mr. Chairman : Don't bother please. I will call all the Members whose names have eached me.

Shri Ishaquel Sambhali (Amroha) : The Chairman who proceded you had assured that an opportunity to speak would be given to those hon. Members who belong to sugar-mill areas. Therefore Shri Madhukar, who has sent his name, should be given an opportunity to express his views.

Shri B.V. Naik (Canara) : You please give your ruling on what maulana Sahib has suggested. In case you agree with him then we need not sit here because we do not have any sugar mills in our area.

Mr. Chairman : Shri Sambhali has requested for allowing Shri Madukar. He has not said that others showed not be allowed.

Sardar Swarn Singh Sokhi (Jamshedpur) : Daily we are sitting upto 9 P.M. Let us sit today also. All the members have spoken about cane-growers I want to speak for the industry.

Mr. Chairman : Do you provide steel to the sugar mills? Well I would consider your case in end.

By now almost all the basic points have been put forth from both the sides. It would therefore he desirable that only new points should be submitted. instead of repeating the same points again. This would save time and provide opportunities to more members.

***श्री नूरुल हुडा (कचार)** : इस चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष-विपक्ष दोनों ही ओर के सदस्यों ने एकमत से यह विचार व्यक्त किया है कि इस समय चीनी उद्योग कुछ ही एकाधिकारी उद्योगपतियों के हाथों में केन्द्रित है तथा गत कुछ ही वर्षों के दौरान उन्होंने इस उद्योग से अरबों रुपया कमाया है क्या सरकार केवल चुपचाप यह सब देखती रही है। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर गत दो दिनों में कांग्रेसी संसदीय दल की बैठक में भी काफी चर्चा हुई है तथा अधिकांश सदस्यों ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देने की हिमायत की है। वस्तुतः विपक्ष के भी सभी सदस्य इस के पक्ष में हैं फिर भी 'गरीबी हटाओ' आदि का नारा लगाने वाली समर्थ कांग्रेस सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीय-करण क्यों नहीं कर रही है? दूसरे गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का क्या मूल्य दिया जा रहा है? उनके मूल्य में केवल 50 पैसे प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है तथा अब वह दर 8 रुपये से 8 रुपये 50 पैसे की गई है जबकि चीनी के मूल्य 600 रु० से 650 रु० प्रति क्विंटल तक चढ़ गये हैं। नगरों के दूरवर्ती क्षेत्रों में तो चीनी 7 रुपये प्रति किलो से कम मिलती ही नहीं है। सरकार को इसका उत्तर देना है। चीनी मिल मालिक इतने निडर हो गये हैं कि वे चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करके मनचाहे दामों पर काला बाजार करने वालों को बेच देते हैं। सरकार ने उनको उनके उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दे रखी है। इसके फलस्वरूप चीनी उद्योग के अधिकारियों ने गत दो तीन वर्षों में अरबों रुपये कमाये हैं। गत वर्ष देश को भी चीनी के निर्यात में 260 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई थी। परन्तु इधर गरीब गन्ना उत्पादक की दयनीय दशा देखिये। कई राज्यों के सदस्यों ने यहां उनकी दशा का चित्रण किया है। सभापति महोदय स्वयं आपने भी अपने भाषण में उन गरीबों की हालत बतलाई है। अतः यदि हम निर्यात के लिये अधिकाधिक चीनी का उत्पादन चाहते हैं तो हमें इन चीनी एकाधिकारियों के लाभों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने होंगे भार्गव आयोग के मतानुसार चीनी उद्योग

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर।

*Summarised translated version based of english translation of the speech deliverd in Bengali.

का राष्ट्रीयकरण करना होगा तथा गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद दाम देने होंगे। और साथ ही कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उचित मजूरी देनी होगी। गैर-सरकारी हाथों में यदि चीनी उद्योग रहा तो उपरोक्त लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकते। फिर सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करने में क्यों संकोच कर रही है जबकि स्वयं सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी इसी के पक्ष में हैं? इसका कारण शायद यही है कि सत्तारूढ़ दल ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में चीनी उद्योगपतियों से करोड़ों रुपये लिये हैं तथा आगे भी उनसे धनराशि लेने की आशा रखता है। यही कारण है कि सरकार इस नाजुक समय में भी चीनी उद्योग के भविष्य के बारे में कोई स्पष्ट नीति घोषित नहीं कर रही है क्योंकि सरकार इन उद्योग-पतियों के दबाव में है।

बेचारे गन्ना उत्पादकों को न तो लाभप्रद मूल्य मिल रहे हैं और न ही वह कम अदायगी भी समय पर मिलती। उनकी करोड़ों रुपये की बकाया राशि का भुगतान भी हुआ है। वह राशि तुरन्त अदा की जानी चाहिये। साथ ही हमारी मांग है कि वर्तमान 8.50 रु० प्रति क्विंटल की दर को बढ़ाकर कम से कम दुगना जरूर किया जाना चाहिये। साथ ही चीनी उद्योग के कारखानों के श्रमिकों की मजदूरी में भी उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिये।

अपने दल की ओर से मैं तुरन्त ही क्रांतिकारी भूमि सुधारों की मांग करता में हूं जिनके लिये कांग्रेस दल भी स्वाधीनता के पहले से ही आन्दोलन करता आ रहा है। इनके बिना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य तो आज तक अविकसित और पिछड़े पड़े हुए हैं। अतः भूमि सुधार कानून लागू अविलम्ब किये जाने चाहिये। साथ ही गन्ना उत्पादकों को उनके द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि का स्वामित्वदे दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार देश में अपने बहुमत के बल पर श्रमिकों काश्त-कारों तथा गरीब जनता की मांगों की उपेक्षा नहीं कर सकती। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि चीनी उद्योग का तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण किया जाये तथा गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिये जायें तथा साथ ही उन्हें उनके द्वारा काश्त की गाने वाली भूमि का स्वामित्व दिया जाये। धन्यवाद।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सरकार की नीति का यहां गलत अर्थ लगाया जा रहा है तथा वे लोग भी लंबे-लंबे भाषण दे रहे हैं जिन्होंने गन्ने के खेत तथा चीनी मिलें देखी तक नहीं है। वस्तुतः वर्ष 1953 से 1974 तक सरकार की नीति सर्वश्रेष्ठ रही है। गत 21 वर्षों में चीनी का उत्पादन में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरा मत है कि जो चीनी मिल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तथा अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें बिना मुआवजा दिये राष्ट्रीयकृत कर दिया जाये। परन्तु जो कारखाने नियमों का सही-सही पालन कर रहे हैं उनके बारे में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाये। ऐसे कारखाने उत्पाद शुल्क तथा आयकर के रूप में सरकार को 400 करोड़ रुपये देते हैं। परन्तु विपक्ष चाहता है कि सरकार ऐसे कारखानों को भी राष्ट्रीयकृत करके एक भारी गलती कर ले ताकि फिर वे इस गलती का भरपूर लाभ उठा सकें। अतः सरकार यह घोषणा करे कि नियमों तथा विनियमों का पालन करने वाले कारखानों का अगले 10 वर्षों तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। इसमें उत्साहित होकर वे लोग अपने कारखानों का नवीकरण करेंगे तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। वसूली के बारे में प्रो० दण्डवते का भाषण स्वयं में एक अनुसंधानपूर्ण विश्लेषण था। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। परन्तु उसमें व्यवहारिकता का अभाव था।

जहां तक चीनी मिलों के नवीकरण की बात है, सो हर प्रकार की मशीनरी के पुर्जों की बदली तो प्राय: ही करनी पड़ती है।

सभापति महोदय : तो आप चाहते हैं कि केवल संकटग्रस्त चीनी मिलों का ही राष्ट्रीयकरण किया जाये।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाये जो श्रमिकों को उचित तथा समय पर अदायगियां नहीं करते हैं।

देश में इस समय चीनी ही सबसे सस्ती वस्तु है तथा इसके कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध है। केवल गुलाब-जामुन या लड्डुओं के शौकिन धनिक लोगों को ही 4 या 5 रुपये प्रति किलो खरीदनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कारखानों को 37 प्रतिशत उत्पादन शुल्क देने के बाद भी लाभ का 50 प्रतिशत भाग गन्ना उत्पादकों को देना पड़ता है। हमारे मुख्य मंत्री ने तो गन्ना उत्पादकों को शेष लाभ का 66 प्रतिशत भाग देने के लिये भी कारखानों को निदेश दिये हैं।

एक चीनी के कारखाने की स्थापना पर अब 1½ करोड़ रुपय की बजाये 6 से 7 करोड़ रुपये लागत आती है जिस का कि ब्याज ही 60-70 लाख रुपये बन जाता है; टूट-फूट अलग से होती रहती है। अत: यदि सरकार सम्पत्त समिति के प्रस्तावों के अनुसार चीनी उद्योग की सहायता नहीं देगी तो नये कारखाने स्थापित ही न हो सकेंगे। सरकार सम्पत्ति समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करे।

चीनी का निर्यात पहले कृषि मंत्रालय के हाथ में था परन्तु अब राज्य व्यापार निगम के हाथ में है। यह निगम कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसका विपणन संबंधी प्राक्कलन गलत है। कृषि मंत्रालय चीनी को ऊंची दरों पर बेच रहा था परन्तु यह निगम चीनी के कम दाम वसूल कर पा रहा है। यह एक गंभीर मामला है। मेरे पास आंकड़ें हैं जो मैं मंत्री महोदय को दूंगा। सरकार इसकी जांच करे।

हमें चीनी का 10 से 12 लाख टन निर्यात करना चाहिये। आखिर देश में चानी न खाने से कोई मर तो नहीं जायेगा बल्कि अधिक चीनी खाने से ऐसा हो सकता है। यदि हम इतना निर्यात कर सकें तो हमें काफी मात्रा में दुर्लभ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जायेगी। हमारे देश के केवल 20 प्रतिशत लोग तथा वे भी सम्पन्न परिवारों के लोग चीनी खाते हैं। कुछ लोगों ने तो चीनी देखी तक नही है।

श्री दरबारा सिंह : क्या आप चाहते हैं कि चीनी गांवों तक पहुंचे ही नहीं?

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : अवश्य पहुंचे, परन्तु पहुंच नहीं रही है। केवल सम्पन्न परिवार ही इसे खा जाते हैं। गरीब को तो मिलती ही नहीं। शायद आगे भी उसे न मिले। फिर अमीरों को भी क्यों मिले? गरीब आदमी को तो ज्वार भी दो रुपये किलो नहीं मिलती और अमीर लोगों को चीनी मिल जाती है।

सभापति महोदय : आप चाहते हैं कि अमीर लोगों के लिये चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी: जी हां, मेरे क्षेत्र में 10 लाख टन गन्ना पैदा होता है और एक लाख टन चीनी। मैं गन्ना उत्पादकों द्वारा यहां चुनकर भेजा गया हूं। वे लोग अधिक नहीं

150 रुपये प्रतिटन का योग करते हैं। मेरे पास उनके लिखित वक्तव्य हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने 120 रुपये प्रति टन तथा कंपनी के कुल लाभ का 66 प्रतिशत भाग उन्हें दिलवाना स्वीकार किया है। मंत्री महोदय शिन्दे साहेब हमें 10 रुपये और दिलवादें। या फिर यह कुल मिला कर 150 रुपये टन मूल्य दिलवादें तो हम लाभ में भाग नहीं मांगेंगे।

Prof. S. L. Saxena (Maharajganj) : I have been demanding the nationalization of sugar industry in the last 47 years but despite the appointment of so many committees etc. nothing has come out. On the other hand the mill owners out of fear of their mills getting nationalized have stopped investments and even repairing/replacing worn out machinery in their mills. I agree that the Government must be afraid lest there should be a fall in production after nationalization as has been in the case of several other fields, but certainly the Government should decide the matter once for ever and remove the state of uncertainty.

During my visit to Russia I found that nationalizations of various industries in that country has proved successful because firstly they put only the experts as managers etc. in the factories and also they provide a number of incentives like bonus etc. to boost up production. But here in India we appoint I.A.S. Officers instead of experienced persons and experts. That is why our nationalization does not come out successful. We should also care to afford adequate incentives. We should care to provide the cultivatiors with fertilizers so that they could make maximum productions in their fields. Similarly there should be very good relations between the workers and the management and the workers should be given all incentives only then we can get maximum production. Also I want cent per cent nationalisation: I am not in favour of co-operatives because there too the workers are victimised:

Let the Government implement the resolution of 1964 in regard to nationalization. Certain factories in Gorakhpur are working since 1930. Those were installed at the cost of Rs. 18 lakhs. Let the Government run those mills on invest money therein and earn profits.

Khandsari industry is a very weak competitor *vis-a-vis* sugar industry. But still it comes to the help of the cane-growers in case of heavy production of sugar-cane. The sugar industry causes utmost harassment to the cane-growers. So, the existence of Khandsari would prove a little bit check on the sugar industry in this matter.

I want that the price of sugar cane should be increased because the prices of fertilizers, power as also the rates of taxes have increased several folds. The price of sugar-cane should be at least Rs. 17.50 per quintal. You have to give incentive to the farmers otherwise if they did not increase production it would prove quite disastrous for the country.

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : I congratulate Shri Dandvate for bringing in this motion for consideration in this House. But certainly I do not approve such a bitter criticism of co-operatives because it would shake up the faith of the people in the voluntary organisation which are based and run on people's co-operation. Similarly criticism of our nationalized industries should also not go beyond limits. In fact a criticism should be aimed at strengthening and prospering the very basic object of a particular set-up or system of functioning Let the people not be scared of our co-operatives and nationalised industries, otherwise that would create a sense of doubt or fear even about our democratic system here.

Sugar Industry is the only agriculturing industry of the backward areas and the poor people of these areas live on the existence of this industry. After the Tarrif protection in 1932, we had hoped that the condition of farmers and workers would improve but instead thereof, they became the victims of exploitation and their Gud trade which was being run co-operative basis was ruined. And thus came in the sugar mill owners and they started further exploitation of the famers and workers both. Besides that they evaded huge amounts of taxes and duties by way of several types of malpractices and violations of rules. I do not know how Shri M. Ram Gopal Reddy finds so many virtues in the mill owners. They have not paid the dues of the workers and sugar cane growers regularly. There are always huge arrears. Despite promising they never share their profits with the farmers.

About 150 sugar mills came up in 50 years in our country whereas about 171 mills have come up or are fast coming up under the co-operative movement. I do agree that whereas certain mills have been going on very smoothly, some have given a bad image of themselves. But we should not blame the entire system on account of that. It would not be justified to end one's faith at all in the co-operative system.

I was very much surprised to find Shri Janeshwar Mishra opposing the nationalisation because the Chief of the party to which he belongs now, Shri Charan Singh has been a showing supporter of nationalization of sugar mills and his B.K.D. had passed a resolution to that effect even before our Congress did. I am not able to understand as to what type of policies it is and how far the people at large would test their trust in we politicians.

The members of the Bhargava Commission, who had agreed with Shri Bhargava in the report, have given very funny reasons for nationalizing co-operative sugar mills. They say that these co-operative societies are not having good support with the workers whereas these societies have agreed to give representations to the workers in the management. Then they say that grant of advance and technical help to the cane-growers is not possible because they have formed their cane-union. How can it be believed that the union would not accept advance and technical help ? Also why this advance and technical help could not be given prior to 1940 when there was no cane union. Such meaningless arguments and misstatements are aimed at only obstructing the way for nationalisation and cooperative movements.

Then these members who include mill-owners have said that the financial management in the private sugar mills was far better. But on the other hand major technical defects were found in 140 out of 189 private sugar mills. Therefore it is a point to note that these mill owners are investing their earnings from sugar mills in other industries.

The Sugar-syndicate managers have been increasing the prices of sugar whenever they liked when there was no Government control. This fact is envisaged in the Tariff Board Report of 1950 . It is therefore wrong to say that prices increase on account of control.

It is therefore, imperative on the part of Government to take a policy decision for nationalizing the sugar industry. At least all the sick mills should be taken over forthwith since nationalizations would take some time and entail passing of some other legislatures. But certainly this take-over should be in the shape of a step towards full nationalizations, not with a view to handing over them back to the mill owners after improvements.

I however, welcome the suggestions of Bhargava Commission to the effect that the Government should set up their sugar commission and that the States should also be allowed to have State sugar corporations if they want to manage their own nationalized sugar mills.

Sugar industry is the second largest industry. Crores of farmers and workers are earning their livelihood from this industry which is the only agro-industry in our backward areas. The Government should be very serious about its functioning particularly when sugar is the source of large foreign exchage income to us.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : How long would this discussion go ?

Mr. Chairman : Five hours were allotted and that period is over now.

Shri Rajdeo Singh : Members from every State and every party are interested in this debate. I suggest that the discussion be postponed now and carried over to the next session.

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस सुझाव से सहमत हूं।

सभापति महोदय : अब सभा जो चाहे निर्णय करे।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सरकार भी कुछ अनिश्चित सी है कि राष्ट्रीयकरण करे या न करे। तो चर्चा जारी रहे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। इस चर्चा को अगले सत्र में जारी रखा जाये।

Shri Ramavtar Shastri : How many Members are yet to speak ?

Mr. Chairman: Four from Opposition and 17 from Congress party. Even if 5 minutes are allotted to each, and then the hon. Minister also has to speak and the hon. Members too has to reply, we would not be able to finish in two or two and half hours.

Mr. Chairman : Is there anything to be said on the suggestion of carrying it over to the next session ?

Some hon. Members : It should be carried over to the next session.

श्री अन्ना साहिब : हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, I suggest that the names of other hon. members who desire to speak on it should also be included in this list.

Mr. Chairman : You may send those names to me.

श्री के० रघुरमैया : हम इस चर्चा को अगले सत्र में ले जाये जाने पर सहमत हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इस चर्चा को अगले सत्र में जारी रखा जाये क्योंकि इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि आज के वाद-विवाद में विपक्ष की ओर से केवल मुझे ही बोलने का अवसर नहीं मिला।

सभापति महोदय : मैं श्री मावलंकर को आज 5 मिनट का समय देता हूं। तत्पश्चात् हम इस वाद-विवाद को अगले सत्र में जारी रखेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे विश्वास है कि सभा प्रो० मधु दण्डवते और श्री समर गुह की आभारी है क्योंकि उन्होंने इस सत्र में यह महत्वपूर्ण मामला उठाया है। चीनी उद्योग के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं किन्तु यह निश्चित है कि चीनी उद्योग गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं और श्रमिकों का शोषण कर रहा है। इस संबंध में भार्गव आयोग ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था ठीक करने तथा उनका पिछड़ापन दूर करने के लिये चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना अनिवार्य हो गया है। उससे चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा, किस्म में सुधार होगा तथा चीनी का निर्यात भी किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट हो गया है कि चीनी उद्योग में लगे उद्योगपति अपनी पूंजी को अन्य उद्योगों में लगा रहे हैं तथा इस उद्योग के विकास के प्रति उदासीन हैं। उन्हें चीनी के विकास में कोई रुचि नहीं है। यह सम्भव है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस उद्योग में अफसरशाही जैसी कुछ बुराइयां भी आ जाएं। किन्तु राष्ट्रीयकरण से इस उद्योग का विकास होगा और गन्ना उत्पादकों तथा श्रमिकों का इस उद्योग में प्रतिनिधित्व होगा जिससे

उनका शोषण बन्द हो जायेगा। हमें इस उद्योग के बारे में भी मानव मूल्यों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमें आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए।

[इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 20 दिसम्बर, 1974/29 अग्रहायण 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।]

[The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday the 20th December, 1974/Agrahayana 29, 1896 (Saka)]

MGIPRRND—Sec.VIII—54LSS/74—22-3-75—200